रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252568 CG-DL-E-02032024-252568

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

No. 141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सा.का.नि. 153(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
 (2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962, परिशिष्ट II में, आई. टी. आर. 7 के स्थान पर , निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

1454 GI/2024 (1)

שַּׁל	ू आ.क.वि-7			जिनसे	भारतीय आयकर विवरणी उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139(4क) या धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी					,			नि	र्धारप	ग वर्ष		ı			
<u>.</u> '		П	.47.14-7	[कृपर	ग्रा आय	प्रस्तुत व प्र स्तुत व 1-कर निय् 1 मार्गदर्श	ग्रना अ गम, 196	पेक्षित २ का ि	है] नेयम	म १२ वे	देखिए]		2	0	2	4	-	2	5	;
भाग	क साध	धारण																		
퓌	, ,		ान/स्थापन/निग					,				(ক		ो लेखा र						
व्यक्तिगत सूचना			द्वार /ब्लाक र	ł.		5)परिसर/			T ना	Н				/	,		का तारार	ब (ता.मा.	d)	
भु			मार्ग/डाकघर		(क7	7) क्षेत्र /उ								थेति(नि				क12)		
ਲ	(क8)	नगर/श	हर/जिला		(क9)राज्य	(क10)	पिनक	ड/	जिप व	कोड		पैरा 11	ख देखें))			स्थिति ₍ नि		
					Ļ	0										ل_ا		1ख देख	Ť)	
			लय का दूरभ		स.टी.ड	डी (क	14) मोब	गईल स	1.2					(ক	715)	ई मेर	त पता -	l		
	काड	सा६त /	मोबाईल संख्य	11	т т															
	(क16	5) ई मेल	न पता -2																	
			रा 🗆 139(4व								के अधी		तुत की	गई विवर	रणी					
			तके अधीन छू																	
			नेर्धारिति द्वारा					ही है?।	(हां/	नहीं) य	गदि हां तो	कृप	ग ब्यौरे	दें:						
			चलाई जा रर्ह	परियोज																
	क्र. ⁻	सं.			परि	योजना/र (अनुदे	पंस्था क श देखें)	ा नाम		t	क्रेयाक ल (अन्	गप व गुदेश		ते			वर्गीव (अनुदेध			
	1																			
	3																			
	4																			
	, (क19)आयव	र अधिनियम	——। के अधीन र	जिस्टी	करण/ अ	ानंतिम र	जिस्टी	करा	ग या उ	भनुमोदन	के ब	ौरे (आः	नापक हैं	, यदि	र रि	स्टीकृत	किए जान	के वि	लेए
			जब निर्यामत र																	•
	क्र. ⁻	सं.	अनं या अधि	ोन रजिस्ट्र्र तिम रजिस् अनुमें स्मूचित	र्रोकृत	अनंतिम् रजिस्ट्री अनुमोत	किरण दन	या की	र्यू	नेक	न/अधिसू रजिस्ट्री गर.एन)	चना/ करण	अनु ग् प्राधि	गेदन/र्रा कारी	जस्ट्री	करप	रि / अ रि	खि जिसर स्ट्रीकरण नंतिम स्ट्रीकरण मोदन प्रः		ीं
	1		गया	চ																
	2																			
)) आय	——। कर अधिनियम	से भिन्न वि	केसी ५	। अन्य विधि	्रों के अध	र्गीन र्रा	जेस्ट	ीकरण	ा/ अनंति	म रि	ा नस्टीकर	ण या उ	अनमो	दन	के ब्यौरे	(विदेशी	अंश	दान
			।धिनियम , 20 1												. 3	•		(,		•
	क्र. :	सं.	जिस विधि के अधीन, पोर्टल जिसी पर रजिस्ट्रीकरण है	विधि मामले ब्यौरे दे	' के में	रजिस्ट्री या अ की तार्र	नुमोदन	अनुः सं.	मोद	न/अधि	प्रेसूचना/ र	जिस्ट्र	ोकरण	अनुमो प्राधिक		रजिस	ट्रीकरण	तारीख जिससे रजिस्ट्र प्रभावी	ोकरा	ण
	2			1				1										+		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र असाधारण : 3

۸E		धारा के	अधीन												
湿	(क21)	फाईल (चेह्नावि	रेत व	ग्रें)	139 (1	।)- नियत	न तारीख	को या उससे	पूर्व 🗆	139(4)- देय	ग तारीख के	पश्चात्, 🛭]139(5) <i>-</i>	पुनरीक्षित
फाइल करने की प्रस्थिति	(कi)	(कृपया र	अनुदेश	ा देखें					त विवरणी, □						Ü
क	` /	` ε	3.		,	•				•	, (- ,				
रमे		या धारा	केः	यशीन	ਬ ਰਜ਼ਾ										
 	()					- 420//		- 440/4			э тг				
ક	(कii)			н	फाइल	□ 139(9)), I	□ 142(1), 🛮 148,	⊔ 15	341				
2		किया गर													
		यदि पुन	रीक्षित	त/त्रुति	टेपूर्ण/उप	गंतरित है	तो								
		मूल विव	ारणी प	फाइल	त करने व	की पावती	†								
	ख)				गैर मूल ी										_/_/_
	.,	फाइल व													_ /
		(दिन/म			itigi										
								0				0			
									टिस अथवा ध				(विशिष्ट		
	(ग)								वेशिष्ट संख्या				संख्या)	,	/
	(1)	(डीआई	एन) त	तथा र	रेसे नोटि	स अथवा	आदेश	की तारी	ख भरें अथवा	यदि धा	रा 92गघ के	अधीन		/	/
		भरी गई	है तो	अग्रि	म मुल्य ी	निर्धारण व	करार र्क	ो तारीख	भरें।						
•	(ঘ)					ान लगाएं		। निवासी			□ अनिवास	1		<u> </u>	
-	(4)				•		••		ही गई है जिस	के लिए			.शकीच र	गता किय	गमा है 2
	_				त्ता ५ता	યુગલ આ	ाप म सा	m icia 4	יוא פ וטואי	क ।राष्	4111 90/90	יא ופקיאט	जवान	सापा ।पग्प	ा गपा ह १
	(ড়)	□हाँ		•	· ·		_	. .	0	٠.		^	0.0		
									नुसूची एफएस						
	(च)								ाइल की गई है	(निशान	ा लगाएं) 🗹	□ हाँ	□न	हीं	
	(4)	यदि हाँ	ं,तो द	कृपया	। निम्नलि	ाखित ज	नानकारी	देंः-							
•		(1)		प्रति	निधि क	ा नाम									
		(2)		ਧੁਰਿ	निधि की	हैसियत	(डापडा	उन दिया	जाग						
	ŀ				निधि क		(QI4OI	011041	٠١١٢)						
	ŀ	(3)						· a							
-		(4)							नि)/ आधार र		<u> </u>			0.3	
	(छ)	क्या आ	प किर	भी फ	में में भाग		-	ा लगाए) ह	य □ हां □ न	ाही .	यदि हा त	ो निम्नलिरि			
						फर्म व	का नाम					स्थायी	खाता सं	ख्यां	
													~		7.
	(ড)			ं आ।	स्त व पह				ब्यौरे (आज्ञाप	क याद			धक का	प्रातदाय ह	₹):
	एलइआइ	हें संख्याव	চ				तारीख	तक वेध			ता/म	/ व			
	क 22								आस्ति के अंश			हैं । निशान	न लगाएं	य □ हां ।	⊐ नहीं
		यदि हां	ं तो कृ	पया	आस्ति व	व शेयरों वे	ग्र संबंध ः	में निम्नलि	खित सूचना प्र	विष्ट करे	İΙ				
		कंपनी		पनी	पैन	आरंभिक	अतिशेष		वर्ष के ट	ौरान अपि	र्नत शेयर		वर्ष के	दौरान	अंत
		का नाम		ग गर					Ī			1	अतार	त शेयर	अतिशेष
			7	171							प्रतिशेयर	प्रतिशेयर			
										0.3	निर्गमन	क्रय मूल्य			
						शेयरों	अर्जन की	शेयरों	अभिदाय/क्रय	प्रतिशेय अंकित	٠,	(विद्यमान शेयर	शेयरों	विक्रय	शेयरों
						की सं.	लागत	की सं.	की तारीख	मृत्य मृत्य	। (नए निर्गमन	थारक से	की सं.	प्रतिफल	की सं.
										6	की दशा	क्रय की			
											में)	दशा में)			
		1ক	1	ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			क्या र	आपवे	न्द्वारा च	लाए जा	रही किर	री परियोज	जना/संस्था पूर्व	प्रयोज	नो में से एक	प्रयोजन स	धारण ल	ोक उपय	गिता के
			किसी	अन्य	। उद्देश्य	की अभि	वृद्धि कर	रने का है	यदि हाँ तो						
על									ईष्ट व्यापार, वा	णिज्य य	।। कारबार के	ी प्रकृति क	न कोई		हाँ
ब्रे	(क 23)	.	क	i	क्रियाक	रा <u>ट</u> (13) ज्लाप है?			५८ - मानास्त्रुना	7 -		7. 141			नहीं
अन्य ब्यौरे		i		ii			याकलाप	ों से प्राप्ति	ने के प्रतिशत वे	_ह साथ-	साथ कल पा	प्तियां		<u> </u>	
ন					क्या धा	<u>, ्।,,,,</u> रा 2(15)	के परं	तक में य	थानिर्दिष्ट किस	ो प्रतिप	न्तु के लिए इस के लिए	किसी व्या	पार		हाँ
			ख	i	′वाणिज	य या का	रबार के	ु संबंध में व	कोई सेवा प्रदा	न करने) का कोई क <u>ि</u>	याकलाप	है ?		र. नहीं
				ii					ने का प्रतिशत				-	<u>~</u>	-

		यदि '	यदि 'क' अथवा 'ख' हाँ है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां									
	ii	क्रस	r. प्रयोजन /संस्था का नाम	। ऐसे ि	क्रेयाक	लापों से कु	ल वार्षिक प्र	ाप्तियों की र	राशि			
		<u>क</u>										
		ख		पकलामें में कोर्ट	ut) a -	चित्र राज्य						
(ক24)	ı		ाष के दारान उन उद्दश्या / ।क्रय सके आधार पर अनुमोदन/ रि					□ हाँ	□ नहीं			
	•		किया गया था	orchida (al)	(141 (191	(ČI4)(SI		— 61	□ ·161			
	ii		ां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्र	स्तुत करे :-								
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (तार									
			क्या धारा 12क उपधारा (1		គ)/ មា	रा 12क						
			उपधारा(1) उपधारा के खंड (
		ख	तीस दिन की नियत अवधि के					□ हाँ	🗆 नहीं			
			नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम	रजिस्ट्रीकरण के	न् लिए	आवेदन						
			किया गया है		TT 44							
		ग	क्या नया रजिस्ट्रीकरण /अनंति अधीन स्वीकृत दिया गया है ?	म रायस्ट्राकरण ह	1141 114	२कख क		□ हाँ	🗆 नहीं			
			उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंति	म रजिस्टीकरण क	ी तारीर	а						
		घ	(तारीख/मास/वर्ष)	1.1 (1.01(Ž14, (-1.4)	1 11111	31						
(ক25)	क्या य	ाह आप	की प्रथम विवरणी है ?					□ हाँ	□ नहीं			
(क26)		गरा 10	(23ग) या धारा 13(10) के बाइस	नवें परंतुक के उप	बंध अनु	प्रयोज्य		□ हाँ	□ नहीं			
(4,20)	है?	<u> </u>	02.0		1							
		यदि हा	कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रस्तुत	त करे क्याः-								
		ग्राश	2 के खंड 15 के परंतुक के उपबंध	ा लाग हैं								
(ক)		MIXI	८ पर ७० १५ पर परपुपर पर ७५५०	1 (11.7 6			□ हाँ	□ नही				
(Ta)	10(23	3ग) के ट	रसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट	ष्ट्र शर्ते/धारा १२ क			हाँ	□ नही	•			
(ख)			धारा (1) के खंड ख के उपखंड (i)				□ <i>6</i> 1	⊔ ग हा				
(1 1)			दसवें परन्तुक के खंड (क) में निवि				□ हाँ	□ नही	•			
(',			मधारा (1) के खंड ख के उपखंड (i				_ (:					
(ঘ)	10(23		सवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट ो उपधारा (1) के खंड (खक) का उ				□ हाँ	□ नही	•			
	(i) वर		-कर अधिनियम के अधीन संपर्र		 टायी है	ंश्राम का	निष्टान लगा	ਹਂ⊓ ਵਾੱ	⊓ नहीं	यटि हाँ तो		
(क27)			जानकारी दें:	1011 47 1015 0114	QITI (7 : 123 471	1.1211.1 (1.11	, <u> </u>	<u> П</u>	יוט טורי		
	(ii) वि	रेस धार	रा के अधीन आप संपरीक्षा के वि	लेए दायी हैं (धार	विनिति	ईष्ट करें) कृ	पया संपरीक्ष	न्ना रिपोर्ट क	ो तारीख	का उल्लेख		
	करें (व	तारीख/	मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)									
]										
	क	कर स	ांपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर	ने वाले संपरीक्षक	का नाम	7						
कार्र	ख	संपरी	क्षक का सदस्यता संख्यांक									
संपरीक्षक जानकारी	ग	संपरी	क्षक का नाम (स्तत्वधारी/फर्म)									
क वि	घ	स्तत्व	धारी/फर्म का स्थायी खाता संख	यांक/आधार सं.								
विस्री	ड़	संपरी	क्षा रिपोर्ट की तारीख									
HV.	च	संपरी	क्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारी	ख/	तारीख	/मास/वर्ष						
	छ	संपरी	क्षा रिपोर्ट की अस्वीकृती संख्या									
	ज	यू डी	आई एन									
(क 28)	(i) ²	ादि आय	य-कर अधिनियम से भिन्न किसी	अधिनियम के अ	धीन सं	परीक्षा के	लिए दायी हैं	, अधिनियम	, धारा अं	ौर संपरीक्षा		
			त करने की तारीख उल्लिखित व									
		3	अधिनियम और धारा	(तारीख/मास/	वर्ष)		यम और	(तार	रीख/मास			
			· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ម	ारा		•	- ,		

	(क29)	iव्या ।	क्तियां की विशि	गष्टया ज	ना ३१ माच	T, 2024 क	ा ए.आ	.पा सट	स्या म थ (जा	ाखम ।	पूजा ।नाध	/ ावानधान	ानाध) द्वा	रा भरा जाए
		क्र	म सं.	नाम	और पता			की (यदि करें)	पैन		नामांक डी (य	संख्या / ज्न आई. दि आधार (योग्य है)	प्रास्थि	ते
		(1)		(2)		(3)			(4)		(5)		(6)	
			ास या संस्था वे व्यक्तियों के वि						ों आदि के संव	बंध में	विवरण (आईटीआर	-7 दाखिल	ा करने वाले
		क	पूर्व वर्ष के दै	-				-	ग्यापकों/ व्यव	स्थाप	क / (न्यार	गी)/ सोसाव	टी के स	टस्य/ शासी
		٦٠	परिषद के सट											
				<i>,</i>	संबंध	शेयर	क्या		पहचान	के	पहचान	पता	मोबाईल	
						धारक	भार		प्रकार(ड्रापड	ाउन	संख्या		नंबर े	पता
						के	का		दिया जाए)					
						मामले में शेयर	नाग है?	रिक						
						धारिति	6:							
_						का								
कार्						प्रतिशत								
गान														
सदस्य की जानकारी														
स्र		ख	यदि अन्य व्या	क्तयों वे	। ह मामले मे	। में (जैसे कि	उपर्यट	म् इत पंढि	न क में वर्णित	है। ਰੇ	व्यष्टि नही	ं है तो उन :	नैसर्गिक व	यक्तियों का
सद		<u> </u>	जो पूर्व वर्ष के											
			क्रम सं.	नाग			भारत				<u>. </u>	पता		भकारी
						का नि	वासी	_	र(ड्रापडाउन	₹	मंख्या			मित्व का
						है?		दिया	जाए)				प्रो	तेशत
		ग	उन व्यक्तियों	का ना	म जिसने ि	जेसने पूर्व	वर्ष के	दौरान	धारा 13(3)(ख) के	अनुसार	न्यास / संस	था में पर्या	प्त योगदान
			किया है।											
			क्रम सं.			नाम व पत	T		पैन					ांक्न आई
												डी (य	दि उपलब्	थ ह)
		घ	पूर्व वर्ष के दै				-							-
			कर्ताओं एवं उ						धक या पर्याप	त योग	दान कर्ता	ओं अविभ	क्त कुटुंब	है,वो उनके
	परिवार के सदस्यों और संबंधि		,			वेवरण								
	क्रम सं.			नाम व पत	T		पैन				आधार सं./नामांकन आई			
										डी				

विवरणी प्ररुप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची आई		धारा	11(2) के अर्थां	तर्गत या धार	ा 35(1) के स	गथ पठित ध	ारा 10(23ग)/1	0(21)/10(23)	के तीसरे परंतु	क के निबंधन	गानुसार संचि	त/पृथक् रकम	ों के ब्यौरे	
संचयन कावर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरूआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा गत वर्षों के दौरान परोपकारी धार्मिक प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त राशि	अनुप्रयुक्त राशि प्रयोजनार्थ के अलावा जिसके लिए ऐसा संचयन किया गया (यदि लागू हो)	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (vi)/ (viō) के अधीन अनुमोदित किसी न्यास या संस्थान को भुगतान या दी गई	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11 से 11(5) में विनिंदि ष्ट रीति में निवेशित या जमा राशि	धारा 11 से 11(5) के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिंदि ष्ट रीति के अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में रकम जिसका उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(रकम जिसे धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थ के भीतर आय समझा जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)	(9)	(10)	(11) = 7–8–9- 10	(12)	(13)	(14)	(15) = 9+10+13+14
2018-19														
2019-20														
2020-21														
2021-22														
2022-23														
2023-24														
योग														

अनुसूची आई.ए	धारा 11(3) के अ	ारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण											
नि.व. वि. व	नि.व. निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)												
संचयन वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल								
(वित्त वर्ष)	(ক)	(ख)	(ঘ)	(ड)	(ड.) (क+ख+ग+घ)								
2018-19													
2019-20													
2020-21													
2021-22													
<u>योग</u>				•									

3-		<u>धारा 11 की र</u>	उपधारा (1) के स्प	ष्टीकरण 1 के	खंड (2) के	अधीन आय के र	समझे गए अनुप्र्यो	<u>ग</u>	
	वर्ष जिसमें	पूववर्ती वर्षों के	समझे जाने	दावा किए	किसी	दावा किए गए	पूर्ववर्ती वर्षों में	धारा 11	समझे गए
	आय	वर्षीं के	वाले	गए समझे	पूर्ववर्ती वर्ष की	समझे गए	दावाकृत	(1ख) के	अनुप्रयोग के
	अनुप्रयुक्त किया	दौरान	अनुप्रयोग का	गए	वर्ष की	अनुप्रयोग में से	समझे गए	अधीन वह	अनुप्रयोग के कारण पूर्ववर्ती
	किया	अनुप्रयुक्त	कारण	अनुप्रयोग	रकम	, चालू निर्धारण	अनुप्रयोग की	रकम जो पूर्व	वर्षों में दावाकृत
	जाना	की जाने	आवेदन के	में,	जिसपर	वर्ष से संबंधित	रकम जिसे	वर्ती वर्ष के	छूट होने के
	समझा	वाली	कारण	अनुप्रयुक्त	कर	वित्तीय वर्ष के	चालू निर्धारण	वर्ती वर्ष के दौरान	कारण समझी
	जाए	समझी गई		की जाने	लगाया	दौरान	वष स सबाधत	अनुप्रयुक्त न	गई आयकी शेष
		रकम	(क) वह आय	वाली	है	अनुप्रयुक्त की जाने वाली	वित्तीय वर्ष के	सकी तथा	रकम और जिसे
			जो उस	रकम		जाने वाली	दौरान	आय समझी	वित्तीय वर्ष
			वर्ष के				अनुप्रयुक्त	गई	2024-25 में
			दौरान				किया गया		आगे अनुप्रयुक्त
			प्राप्त नहीं						किया जाता है
			प्राप्त नहीं हुई है (ख) कोई अन्य						
			(ख) कोई अन्य						
			कारण						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)=(4-6)
	ड्रापडाउन		ड्रापडाउन दें						
	दें								
	2023-24		ड्रापडाउन दें						
	योग								

अनुसूची डी.ए		गरा 11 (1ख) के अनुसार पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर लगाई संचित आय का विवर नेर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची घ के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट रकम पर कर लगाया गया था (
निर्धारण वर्ष संचयन वर्ष (वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2020- 21 से पूर्व	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल						
	(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ঙ্ভ)	(च) (क+ख+ग+घ+ड)						
वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व												
2018-19												
2019-20												
2020-21												
2021-22												
कुल				•	•							

(ii) के अलावा योग

पूर्व वर्ष के अंतिम दिन तक निधि तथा विनिधानों को दर्शाने वाला विवरण [निर्धारिती द्वारा भरा जाए जिसने धारा 11और 12 अथवा धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या अनुसूची ञ 10(23**ग**)(via))] अ कार्पस के ब्यौरे कोष दान वर्ष के वर्ष के कोष में कोष में वित्त वर्ष 31.03.2024 निर्धार 01.04.20 धारा धारा राशि को अंत दौरान दौरान विनिधानि जिसमें 11(5) में ण वर्ष 11(5) में 23 अतिशेष विनिधानि त या जमा विनिर्दिष्ट निर्दिष्ट से प्राप्त अनुप्रयु (4) 2023-को और क्त त या कुल राशि पहले 31.03.20 24 में भिन्न प्रारंभिक 24 को कोष वापिस अनुप्रयु कर 31.03.20 अतिशेष की दावों में जमा क्त हुआ लगाई 24 के (कोष किया विनिधान राशि अलावा तरह 31.03.20 व्यवृह गया (जो समुत्थान 23 तक निवेश पूर्व में त अनुप्रयुक्त) अनुप्रयु क्त की की गई थी तथा अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं की गई) (5) (7) = (1+2+(10) = 7(1) (2) (3) (4) (6) (8) (9) 8-9 5-3) i.01.04.20 20 को या उसके पश्चात धारा 80 छ (ख) के अधीन अनुसूचीत नवीकरण या स्थानो की मरम्मत के लिए प्राप्त दानों के रूप में 01.04.202 १ को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा iii. (i) एवं

अ ऋण और उधार के ब्यौरे 2

विनिधान निधियों का ब्यौरा

|--|

आ धारा 11(5) के अधीन 31.03.2024 को निवेशित/जमा कोष के ब्यौरे

क्र.सं.	विनिधान में से	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान का ढंग	विनिधान की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के रुप में कार्पस	ड्रापडाउन दें (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	
ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष		
iii	(i) एवं (ii) के अलावा		
iv	योग		

	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3								3(i)]	
इ				रा 10(23ग)	के इक्कीर	नवें परंतुक में निर्दिष्ट	व्यक्तियों का स	ारवान	हित है, पूर्व वर्ष (पर्व वर्ष	र्गी)
	के दौरा क्र. सं.	न किसी समय समुत्थान का नाम और पता	धारित विनिधान क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसका	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों क वर्ग		विनिधान से आय	क्या पूर्व व पूंजी व	स्तंभ (6) में वर्णित रक र्षि के दौरान समुत्थान व के पांच प्रतिशत से अधि है	म की ाक
	(4)	(2)	निशान लगाएं	(4)	(5)	(0)	(7)		(0)	
	(1) i	(2)	(3) □ हाँ □	(4)	(5)	(6)	(7)		(8) □ हाँ □ नहीं	
			नहीं							
	ii		□ हाँ □ नहीं						□ हाँ 🛮 नहीं	
	iii		□ हाँ □ नहीं						□ हाँ □ नहीं	
	iv		□ हाँ □ नहीं						□ हाँ □ नहीं	
	v		□ हाँ □ नहीं						□ हाँ □ नहीं	
	vi		□ हाँ □ नहीं						□ हाँ □ नहीं	
		योग								
-	गर्जनर्ग ने	⊨ ai Par P-r =	को यथा विद्यमान अ							
\$	क्र. सं.		मा यया ।वद्यमान अ समुत्थान का नाम	न्य ।वानधान क्या स		धारित शेयरों का	धारित शेयर	ों की	विनिधान का	
		'	और पता	कोई कं	पनी है?	वर्ग	संख्या		अभिहित मूल्य	
				(जो लागू ह						
	(1)		(2)	निशान ल (3)	गाए)	(4)	(5)		(6)	
	i		(2)		। नहीं	(4)	(3)		(0)	
	ii			□ हाँ □	। नहीं					
	iii			□ हाँ □						
	iv		योग	□ हाँ □	। नहा					
	V		ויוד				1			
उ			/संदान, जो वस्तु रू परिवर्तन नहीं किया		केए गए हैं	किंतु जिन्हें उपबंधित	ा समय के भीत	र धारा	11(5) के अधीन विनि	र्दिष्ट
	क्र. सं.		दाता का नाम और	•	/संदान	उद्देश्य के मद्दे	धारा	11(5)	धारा 11(3) के	
			पता	का म्		लागू अभिदाय का	केअधीन	विहित	अधीन आय माना	
						मूल्य	ढंगों में (3) विनिहित की	म स गि गई	जाने वाला अतिशेष	
	(1)		(2)	(3)		(4)	रकम (5)		(6)	
	i		\-/	(3)		**/	(5)		(0)	
	ii									
	iii									

योग

iv

ПП	क्रा	-खध	31 मार्च, 2024 को समेकित संतुलन पत्र	
-TIN			स्रोत	
	47		कोष स्वामित्व	
		•	12 m 1 m 00 x 00 x 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
			क जिनुसूचा का धारा ४०७(८)(ख) के जधान का या उसके पश्चात् 01.04.2020 आधसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1 क
			ख 01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1 ख
			ग (क) एवं (ख)के अलावा प्राप्त कोष	1 ₁ 1 ₁
			घ धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1 _घ
			हीस्ड आय की शेष राशि पर्ववर्ती वर्षों में छट का दावा डीस्ड आवेदन के कारण तथा	
ग्रेन			ड़ अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 से आगे आवेदित	1 ਤ
निधियों का स्त्रोत			च कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	
 			i प्रकृति निर्दिष्ट करें i	
द्धि			ii प्रकृति निर्दिष्ट करें i	
Œ			iii कुल (कi + कii.)	1चiii
			छ कुल कोष (क+ ख+ग+घ+ड+च)	1 ਰ
		2	ऋण व उधार	
			क सुरक्षित ऋण	
			ख असुरक्षित ऋण(जमा सहित) ख	
			ग कुल ऋण कोष (क+ ख)	2 ग
			अग्रिम	3
			कोष स्त्रोत (1च+ 2ग +3)	4
	ख		यों का अनुप्रयोग	
		1	अचल आस्तियां	
			क सकल अचल अस्तियां	1क
			ख मूल्यहास	1ख
			ग शुद्ध अचल आस्तियां (1क-1ख)	1ग
			निवेश	2
		3	वर्तमान आस्तियां , ऋण और अग्रिम	
			क वर्तमान अस्तियां	
			i माल	i
			ii विविध देनदार	ii
			iii नकद व बैंक बैलेंस	
गु			क बैंक में बैलेंस	
का स्त्रोत			ख पर्याप्त नकदी iiiख	
 			ग अन्य iiiग	
निधियों			घ कुल नकद तथा नकद समकक्ष (іііक + іііख + іііग)	iiiū
Œ			iv अन्य वर्तमान आस्तियां v कुल अन्य आस्तियां (i +ii + iiiघ + iv)	iv
			ण कुल अन्य आस्तिया (i +ii + iiiघ + iv) ख ऋण व अग्रिम	क v
				ख
			ग कुल (कv + ख) घ वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान	ग
			ा वितमान देनदारा तथा प्रावधान वितमान देनदारी	
			क विविध लेनदार क	
			ख अन्य लेनदार ख	
			ग कुल (क + ख)	
			। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
				घiii
			iii कुल (iग + ii) इ शुद्ध वर्तमान आस्तियां(4ग – 4 घiii)	या। 3 ड़
			७ राज्य परामान जात्तिया(४१ - ४४११) ४ संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)	4
			५ जित्तरा राजुपराइ जन्म रिजय (बाटा) ५ कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4 ड़)	5
			6 5 के अलावा , धारा 11(5) के अधीन विनिदिष्ट रीति में किया गया निवेश	6
			7 5 के अलावा , धारा 11(5) के अधीन विनिदिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश	7
	l	1	ा हुन्यः अस्ताया , यास्य १ १(७) यः अयाम ।यामापुर सारा यः अस्ताया ।यंत्रा ।यंत्रा	

अनुसूर्च	ो द	कोष के अन्	सूची जे तथा बैलेंस का मिलान			
विवरप	ग		01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित र के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	या	.04.2021 को उसके पश्चात् य प्राप्त कोष	(1) तथा (2) के अलावा कोष
			(1)	(2))	(3)
(ক) 31.03		नुसूची जे के अनुसार को समापन शेष				
		कारण (+/-)				
(र	gi+खi	i+खiii)				
i) अच	ल परि	संपत्ति का क्रय				
ii) मूल	य अव	क्षरण				
		य कारण (कृपया				
लिखें)		-				
(ग)	बैर	ग न्स शीट (क + ख)				
के अन	सार	31.03.2024 को				
	न शेष					
(11117	1 313					
2000	-9	राजनीतिक प	 f f			
	ची ठव		पाटा ानियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?			- D :
1					□हाँ □न	हा
		यदि हां, कृपया पंजीक	रण स. दज कर।			
	_	पंजीकरण तारीख	<u></u>	•••••	<u>//</u>	
			गोग द्वारा मान्यता प्राप्त है		□ हाँ □ न	ह।
	ф -	यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति	to			-O:
2			थी? जैसा लागू हो ळ का निशान लगाएं		<u> </u>	
3			की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें छ)		□ हाँ □ न	हा
		हां, कृपया निम्नलिखित				
			प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
	_		ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम			
	ग	लेखा परीक्षक की सदर				
	ঘ	लेखा परीक्षक का नाम				
	ङ	स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्री				
	च	लेखापरीक्षक की स्थाय	ी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)			
		लेखा परीक्षक रिपोर्ट व			w	0:
4	वर्ष वे	o लिए प्रस्तुत की गई है?	यम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त १ (जो लागू हो उसे चिह्नित करें छ)		□हाँ □न	हीं
			की तिथि (तिथी /माह/वर्ष)	•••••	<u>//</u>	
5	क		ी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक		□ हाँ □ न	ही
		आभदाय प्राप्त किया ग	ाया था (लागू अनुसार 🗹 का निशान लगाएं)			0.
		रूप में अभिदायों से वि	पए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार 🗹 का		□हाँ □न	ह।
6			। चैक या पाने वालेके खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खातेके			<u>ਵੀਂ</u>
O	माध्य	नान पाल पर खात म ६५ म. स्रेटलैक्सानिक स्म	। यक या पान वालक खात म द्वयं बक ड्राफ्ट द्वारा या बक खातक ।।शोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलैक्ट्रानिक बंधपत्र के		п бі па	Ų.
			रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार			
	माध्य छ व		र नद् रा जायक कार्य त्राचा प्राचा किया गया या १ (सामू जनुसार			
7		/२) 1 निम्नलिखित जानकार्र	गाउन्त करें:			
,	कृ	ा सामाजा जानकार तित के होगन पार्टी	। प्रस्तुत परः द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क		
	4′			 ७ ७		
	ख		त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रू. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	(खi+खii)		
		i. नकद में	ा गोर	7खi		
		ii. नकद के अलावा अ	न्य भाइ त स्वैच्छिक अंशदान जो 2,000रू. से 20,000रू. के बीच प्राप्त	7खii		
	ग	·	त स्पाच्छक अरादान जा ८,०००रू. स ८०,०००रू. क बाद्य प्राप्त	7ग		
	घ	हुआ का कुल मूल्य वि.व. के दौरान समस्त र	वैच्छिक अंशदान जो 20,000रू. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	+	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र असाधारण :

अनुस्	नूची ड		निर्वाचक न्यास			
	1		नेखा बहियां रखी गई थी?		। हाँ	🗖 नहीं
	2	क्या प्र	प्रत्येक् स्वैछिक् अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम्,पता और पैन भी			
			लित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे?जैसा		। हाँ	🗖 नहीं
			हो 🛮 का निशान लगाएं)			
	3	क्या १	प्रत्येक ऐसे पात्र राजूनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य		100	0.
		ऑभ	दायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और		⊐ हाँ	🗖 नहीं
		रजिस	ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार 🗹 का निशान लगाएं)			
	4		धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार Ø का] हाँ	🗖 नहीं
_			न लगाएं)			
<u> </u>		यदि ।	हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		/_	/
निर्वाचक न्यास	5	क्या	नियम 17गूक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत] हाँ	🗖 नहीं
निव		कर ट	री गई है?(जैसा लागू हो 🗹 का निशान लगाएं)			
नेर्वा	6	प्राप्त	ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे		1	
4		i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i		
		ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैछिक अभिदाय	ii		
		iii	योग (i+ii)	iii		
		iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv		
		v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. 11 के 5% अथवा समावेशन के	v		
			प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)			
		vi	योग (iv+v)	vi		
		Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii		
		viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष (iii)-(iv)	Viii		

25	नुसूची प	~	म ्हेरिक अधिकार (अपर्व नी अपर न धरा) सम्प	- 	क्तीं बाग अवसाव	 1 ; 0	
ধ	<u> </u>		स्वैछिक अभिदाय (आई.टी.आर 7 भरते समय			? १ ०५ म म	रा जाए)
	अ		अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात र	तदान क अल	lidi)		
		i	समग्र संदान	-		अi	
			अनुसूची की धारा ८०छ(२)(ख) के अधीन				
		क	अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त	अंक			
			दान में से कॉर्पस				
		ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	अंख			
		ii	समग्र संदान के अतिरिक्त			आii	
			(क) सरकार से प्राप्त अनुदान				
			(ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधी	न कंपनीयों	से प्राप्त अनुदान		
			(ग) अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान				
			(घ) अन्य संदान				
			(ड ়) कुल			आंंड़	
		iii	घरेलू स्वैछिक अभिदाय (अं + आंंड़)			आiii	
	आ	विदे	री अभिदाय (धारा 115 खखग के तहत कर योग्य अज्ञात	। संदान के उ	lलावा)		
		i	समग्र निधि संदान		-	आ i	
			अनुसूची की धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित	Ŧ			
		क	के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान मैं र	ो आ क			
			कॉर्पस				
		ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आ iख			
		ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त		- !	आ ii	
		iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)			आiii	
İ		iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त	किया गया		आ iv	
	इ	कुर	न अभिदाय (अiii + आiii)			इ	
		अज्ञा	त दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारि	ती पर लाग्र	्जो धारा 11 या		
	ई		23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi)				
	•	10(2	23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiक½) के अधीन छूट का उ	द्यावा कर रह	हैं]		
		i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग		_	i	
		ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उ	व्यतम हो		ii	
		iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से कराधेय अना	म अभिदाय		iii	{नकारात्मक होने पर शून्य लिया जाएगा}
	ਰ	(अनुस्	ची फग की क्रम सं. ईiii से भिन्न अनाम संदान(अनुसूची फ ग का ईi से ई	iii)		ਤ	

अनुसूर्च	एआ:	ş	ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करवे 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधी	न पूर्व के न छट क	दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धार ग दावा करने वाले निर्धारितिय	रा 11 और 12 र ों द्वारा भरा जा	के अधीन या धारा रा
	1	मुख	। उद्देश्यों से प्राप्तियां			1	
	2	अनुष	त्रंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां			2	
	3	किर				3	
	4	कमी	शन			4	
	5	लाभ	ांश आय			5	
	6		न आय			6	
	7		'आय			7	
lv)·	8	पूंजी	आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल			8	
कुल जाड़	9	कोई	अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट	करें)			
<u>क</u> ुद			प्रकृति		रकम		
a		क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क			
आय		ख		ख			
		ग		ग			
		घ		ঘ			
		ड	कुल (९क +९ख +९ग+९घ)	ड		9ड	
	10	कुल	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृ	षे आय व	के अलावा)	10	

च्याप्त, संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर ताणू राशि समस्त स्लोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तातिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारिती द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(237)(w) या 10(237)(w) या 10(237)(w) या 10(237)(w) के अधीन ख़ट का दावा के लिए ताखिल किया जाएगा) इस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन 1 धारा 12कळ के अधीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) / (w) / (wi) / (wiक) के अधीन अनुमोदित कांपंत्र से भित्र संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविद्यों पहां करना आवस्यक हैं) 1 क धारा 12कळ के अधीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) / (w) / (wi) / (wiक) के अधीन अनुमोदित कांपंत्र से भित्र संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 2 यार्मिक विवरण जारा या स्थार 10(237)(w) / (w) / (wi) / (wiक) के अधीन अनुमोदित कांपंत्र से भित्र संस्थान या न्यास को दान का 85% 4 शिक्षा 4 शिक्षा 4 यार्मिक विवरण संरक्षण 7 यार्मिक विवरण संरक्षण 7 यार्मिक संस्थान से का संस्थान 8 सामरको आदि का संरक्षण 7 यार्मिक संस्थान 8 सामरको आदि का संरक्षण 7 यार्मिक सामरको आदि का संरक्षण 8 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक अपनि पर्योक्ष से 9 के तहत विधिष्ट रूप दावा की लागत 11 आरा 11(19) के तहत नई परिसंपत्रि के लिए छुट या दावा की लागत 11 आरा 11(19) के अलाव उपयोगिता 12 सार्वज के अभीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) के अधीन अनुमोदित कार्यस के अधीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) (w) (w) के अधीन अनुमोदित वापर सार्वजन के अधीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) (w) (w) के अधीन अनुमोदित वापर सार्वजनिक संस्थान या न्यास को दान के मामले में 4 सार्वज के अधीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) (w) (w) (w) के अधीन अनुमोदित वापर सार्वजनिक संस्थान या निक्ष विक्ष या सार्वजनिक के अनुसार प्राप्तक के अभीन पंजीकृत या धारा 10(237)(w) (w) (w) (w) के अधीन अनुमोदित वापर सार्वजनिक के अधीन पंजीकृ				} -		-01	0-0
दुस्ट्र-संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कर्गियं से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना आवश्यक है) 1क धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कर्गियं से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 धार्मिक 3 गरिवों के लिए अनुतोष 3 गरिवों के लिए अनुतोष 5 धार्मिक 5 धार्मिक 5 धार्मिक 6 विकल्सा अनुतोष 5 पर्यावरण संरक्षण 7 गर्पावरण संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 8 समायकों आदि का संरक्षण 9 समायच सार्वजिक उपयोगिता 99 10 10 10 आवेदन जिसे उपयुक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप या दावा की लागत 10 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के जहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के जहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के जहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के अलावा व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव	21		न्यास/ संस्थाना के स्थिर वस्तुआ पर लागू शाश समस्त स्त्राता स पूर्व वर्ष के दौरान तालका है। स	۰ ۲۹ کې حصرت	सदाभत च कर च	ानधा ज्या के	रिता जि र्म
्रस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित कॉप्स से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना आवश्यक है) 1क धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित कॉप्स से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 3 गरिकों के लिए अनुतोष 4 शिक्षा 5 योग 6 विकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 समान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपयुक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छुट या दावा की लागत 3 वर्ष से गर (खा + ख 2 + ख 3 + ख 4 + ख 5 + ख 6 + ख 7 + ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन कं अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित कं कार्यस को अधीन अनुमोदित वा संप्राव या या सार्व को दान के मामले में 1 कॉप्स के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित कं कॉप्स के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित कं कॉप्स के अलावा संस्थान या ना के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित वा कॉप्स के अलावा संस्थान या ना के मामले में विजनके पास वहीं वस्तुप्त नहीं है। 3 कॉप्स के अलावा संस्थान या ना के मामले में विजनके पास वहीं वस्तुप्त नहीं है। 3 कॉप्स के अलावा संस्थान के मामले में विजनके पास वहीं वस्तुप्त नहीं है। 4 यारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(w)/ (w)/ (wib) के अधीन अनुमोदित वा कॉप्स के अलावा संस्थान के मामले में विजनके पास वहीं वस्तुप्त नहीं है। 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं वि वि का मामले में वि किनके पास वहीं वस्तुप्त नहीं है। 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं वि वि का मामले में अनुमोदन के मामले में वि किनके प्राप्त के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं वि वि कि मामले के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं वि वि कि सामा मा है।	अर्	<u> </u>	्रहारी धारी 11 था 12 था धारी 10(234)(IV) था 10(234)(V) था 10(234)(VI) था 10(234)(VI) था 10(234)(VIФ) के अ	।यान छू	C 471 G	।प। क	ાલણ
स्व जी ल ल जांधिस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की अधीन अनुमोदित कांधिस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविधी यहां करना आवश्यक है) 1 कांधिस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविधी यहां करना आवश्यक है) 1 कांधिस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 2 धार्मिक 3 3 4 4 खिक्षा 4 4 खिक्षा 5 योग 5 5 1 योग 5 1 या या यार्मिक अनुमोगित 7 1 यार्मितरण संरक्षण 7 7 8 8 समारकों आदि का संरक्षण 8 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(iv			7.7	πi	-
1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्फ्स से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना अत्ययपक है) 1क धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्फ्स से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 3 गरिबों के लिए अनुतोष 3 3 4 थिक्षा 4 थिक्षा 5 योग 5 थिक स्थान या न्यास को दान का 85% 4 थिक्षा 4 थिक्षा 5 योग 6 विकत्सा अनुतोष 6 6 विकत्सा अनुतोष 6 6 विकत्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 7 यावारण संरक्षण 7 यावारण संरक्षण 8 समागरकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजिन करपयोगिता 9 9 यावारण संरक्षण 9 सामान्य सार्वजिन करपयोगिता 9 9 यावारण संरक्षण 9 सामान्य सार्वजिन करपयोगिता 9 9 यावारण संरक्षण 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 थारा स्थान अवावरन अनुमेय नहीं विद्याण क्रम से ख में दर्ज राशि कम से कर्म बाहर होनी चाहिए आप कंपिस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कर्णपंस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कर्णपंस के अलावा संस्थान या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा संस्थान या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा संस्थान या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा संस्थान या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में विनके पास वही वरसूर नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा कित्या या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा कित्या या यारा के बातक के मामले में विनक के अनुसर प्राप्त विवास अनुमोदित वर्णपंस के अलावा कित्य या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा कित्य या यारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वर्णपंस के अलावा कित के वर्णपंस के अलावा के अलावा के मामले में विनक के अनुस	25	ट्रस्ट/सस	मान क ।ववराणत उद्दर्या क ।लए आवदन			ا بر با	
काँपेंस से शित्र संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना आवश्यक है) 1क धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित काँपेंस से शित्र संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 3 गरिबों के लिए अनुतोष 4 शिक्षा 5 योग 6 विकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विधिष्ट रूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 12 कुल (अ 1 से अ 11) 3 हुल (अ 1 से उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विधिष्ट रूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(को अ 11) 3 हुल (अ 1 से उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विधिष्ट रूट या दावा की लागत 11 धारा 11(को अ 11) 3 कर्णावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं 2 प्राप्त : कम सं. ख से दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 3 कांपिस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कांपिस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 4 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कांपिस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 5 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कांपिस के अलावा संस्थान या नहीं कारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कांपिस के अलावा किसी व्यवित को दान के मामले में 5 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कांपिस के अलावा किसी व्यवित को दान के मामले में 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त निया गया 6 किया गया संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 वस स्था संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	স				*9	তা।	CI
आवश्यक है) 1क धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii)/ (vii) के अधीन अनुमोदित काँपंस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85% 2 धार्मिक 3 गरिबों के लिए अनुतोष 4 शिक्षा 5 योग 6 चिकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 ओवंदन जिसे उपयुंक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 10 ओवंदन जिसे उपयुंक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 12 कुल्त (अ 1 से अ 11) 31 कुल्त (अ 1 से अ 11) 32 के अलावा व्यय आवंदन अनुमेय नहीं 22 प्राप्त के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii)/ (vii) के का अधीन अनुमोदित कांप्र से के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii) के अधीन अनुमोदित कांप्र से अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii) के अधीन अनुमोदित कांप्र से के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii) के अधीन अनुमोदित कांप्र से के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (vii)/ (vii) के अधीन अनुमोदित कांप्र से के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवंदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार आपत किया गया 5 भारत के बाहर आवंदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विकी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		1	धारा 12कख के अधान पंजाकृत या धारा 10(23ग)(IV)/ (V)/ (VI)/ (VIФ) के अधान अनुमादित	1			
2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 धार्मिक 2 धार्मिक 3 गिरबों के लिए अनुतोष 3 गिरबों के लिए अनुतोष 4 धिक्षा 4 धिक्षा 5 योग 5 धोग 5 धोग 5 धोग 6 धिकल्ला अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 7 पर्यावरण संरक्षण 8 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 11 धारा 11(16) उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 10 साम सार्वजनिक उपयोगिता 11 धारा 11(16) उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप या दावा की लागत 11 साम सार्वजनिक अविरक्त अधिन अमुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं ख 2 + ख 3 + ख 4 + ख 5 + ख 6 + ख 7 + ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्याव आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं ख में दर्ज राशि क्रम सं क से बाहर होनी चाहिए आ 11 साम के आधीन अनुमोदित कार्पस के प्रतीत धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित व कार्पस के प्रतीत अतावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में विजनके पास वहीं वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 मामले में जिनके पास वहीं वस्तुएं नहीं है। 3 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया भारत के साहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया याया संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 स्थार या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7			आवश्यक है)				
2 धार्मिक 2 1 विकल्सा अनुतोष 3 3 4 4 शिक्षा 4 4 5 5 योग 5 5 1 योग 5 5 1 1 5 6 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3		1क	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कर्मान से भिन्न संस्थान या नाम को टान का 85%	1क			
3 गरिबों के लिए अनुतोष 4 शिक्षा 5 योग 5 योग 6 विकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 3 अ1 12 31 के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 31 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापसे के प्रति अलावा संस्वान या चारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्वान या चारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्वान या चारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 चारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 चारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 10 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त निव्या गया है। 6 किया गया है। 7 चारा या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विक्री अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		2		2			
4 शिक्षा 4 5 योग 5 6 विकित्सा अनुतोष 5 6 6 7 पर्यावरण संरक्षण 7 7 1 8 8 समारकों आदि का संरक्षण 8 8 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 9 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 10 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 खारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 जुल (अ 1 से अ 11) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12							
5 योग 6 चिकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 12 गृद से गृत (खा + ख 2 + ख 3 + ख 4 + ख 5 + ख 6 + ख 7 + ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए जा के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए जा के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापस्त के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 1 पारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 1 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 1 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 1 किया गया है। 2 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 2 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए			, 9				
6 चिकित्सा अनुतोष 7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजिनक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 11 धरा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 11 यर से गा (खा + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए आ 1 कार्यस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्यस के प्रति अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्यस के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्यस के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्यस के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वारा संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित वारा संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 न्यास या संस्थान के अलाव किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त निया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्रमुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए							
7 पर्यावरण संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 10 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपित के लिए छूट या दावा की लागत 11 जुल (अ 1 से अ 11) 3 12 12 12 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11							
8 समारकों आदि का संरक्षण 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 10 सारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 कुल (अ 1 से अ 11) 34 से ग7 (खा + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुभेय नहीं टिप्पण : क्रम सं ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए आ अधीन अनुभोदित कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुभोदित व कंपर्स के प्रति अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुभोदित 2 कंपर्स के प्रती अलावा संस्थान या सारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुभोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vi)/ (vi) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 पारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 1 पारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुयोग के लिए							
9 सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता 10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 कुल (अ 1 से अ 11) 12 कुल (अ 1 से अ 11) 12 ग्रें 2 से गर (खा + ख 2 + ख 3 + ख 4 + ख 5 + ख 6 + ख 7 + ख 8) पर निधि के स्लोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं िटप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 31 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 ने न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7							
10 आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता 11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 11 कुल (अ 1 से अ 11) 12 कुल (अ 1 से अ 11) 13 गंट से गं (खा + ख 2 + खा 3 + ख 4 + ख 5 + ख 6 + ख 7 + ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं हिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 31 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुए नहीं है। 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुए नहीं है। 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विकी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए							
11 धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत 12 ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं िटप्पण: क्रम सं ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए ग कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित श कापर्स के प्रति अलावा संचित्र वा धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित श कार्यस के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कार्यस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वहीं वस्तुएं नहीं है। धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विक्री अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए							
12 कुल (अ 1 से अ 11) 12 में ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं िटप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 निया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		10		10			
12 ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्लोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं िटप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		11					
12 ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अतावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अतावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 विसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		12	कुल (अ 1 से अ 11)	अ			
के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए				12			
टिप्पण: क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए 1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के 3 अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	आ						
1 कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में 1 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में 2 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 3 कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए				आ			
े अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। नयास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		10 11.7	कॉर्पस के प्रति धारा 12करव के अधीन पंजीकत या धारा 10(23ग्र)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viळ) के				
2 कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (via) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। 3 धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (via) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 4 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 6 किया गया है। 6 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		1	अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1			
धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है। धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए			धारा 12कख के अधीन पूंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित				
धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		2	कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2			
धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए			धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित				
धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित 4 न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		3	कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।	3			
5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया 5 भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए			धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित	-			
भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		4	न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4			
भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं 6 किया गया है। 6 7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए		5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5			
7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए 8			भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं				
7 न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त 7 8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए 8		6		6			
8 किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए			न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त				
		8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8			
	इ			इ			

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 $\overline{}$
	ावस्ताार	त रकम)			
	1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युतपन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1		
	2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल	2		
	3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल	3		
		तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दाव किया हो)			
	4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4		
	5	कॉर्पस	5		
	6	उधार ली गई निधि	6		
	7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7		
ई	पूर्व वर्ष	के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7] ाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई(यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलि	ነ ው		
उ	'ई' के ब	ाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई(यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलि	ত		
	त है तो)				
ऊ	राशि ज	ो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु त वर्ष में आयू अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ড		
	पहले ग	त वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई			
ए	आवेदन	के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए		

थनगर	अय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ख), धारा 10)(23घ),	धारा 1	0(23घक),	धारा
अनुसूर आई.ई	10(23 डग), धारा 10(23 डघ), धारा 10(23डड) , 10(23चख), धारा 10(29क) , धारा		, धारा	10(46क),	धारा
आई.ई	10(46ख), धारा 10(47) के अधीन (छूटे गणनीयता या आय शर्तों के शीर्ष के अधीन नहीं हो	ागी।)			
1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1			
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2			
3	संचित आय	3			

अ	नुसूर्च	ी आई.ई-2	आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारित्यों	को ला	गू) (जहां
			आय के केवल कतिपय शीर्ष कराधेय और नीचे पंक्ति 4 में रिपोर्ट की गई अन्य प्राप्तियां छूट प्रापत है)		
अ		कोई स्वैच्छि	क अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां (पंक्ति ख के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले कराधेय शीर्षों के अधीन		
	1	आने वाली	प्रापतियों के सिवाय)	1	
	2	संस्था के उ	द्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3	संचित आय		3	
आ	1		ो <mark>कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (</mark> चिह्निकित) ल्र		हां □नहीं
		क गृह	संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1	□हां
				क	□नहीं
		ख का	रबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1	□हां
				ख	□नहीं
		ग पूंज	ीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1	□हां
				ग	□नहीं
		घ अन	य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1	□हां
				ਬ	□नहीं

अनु	सूची आई.ई-3 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकख) या 10(23ग)(iiiव कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें)(छूट , स्वैच्छिक अभि पचास प्रतिशत से अधिक, सरकारी अनुदानों के अध्यधीन होगी) :	रुग)] के अधीन छूट का दावा भदाय सहित कुल प्राप्तियों के
1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

अनुः	सूची आई.ई-4	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiis	s)] के अधीन छूट का दावा
		कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें) (छूट सभी संस्थाओं/वि	विद्यालयों से पांच करोड़
		रूपए से अनिधक कुल प्राप्तियों के अधीन होगी):	
1		(ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2		pलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्र	ाप्तियां	
4		अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष		
		नं. 1 से क्रम संख्या 5 के लिए पंक्ति जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जएगा।)	
	कुल वार्षिक प्रार्वि	प्तेयों की राशि(क्रम सं. 3 की राशि)	

अनुर	नूची ग	ाह संपत्ति	गृह संपत्ति से प्राप्त अ	ाय का ब्यौरा (कृपय	ग अनुदेशे स्टब्से चे	iं को देर	वें) (र	ांपत्ति व	हा स	वामि	त्व र	उपद् जन्म	र्शत	करते जे ने	हुए ड्	गुपडा च	उन उ	पलब्ध
	••	संपत्ति 1	ाक्त्रवा जाद्र)/(छूट समा		ग्रालया स नगर / २		राङ्		स अ राज्य		en g	९ल ५ दे		या क) अधा			/ जिप
	1															कोड		
					0:					~ ~	_	33			٦.			
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ?हां 🗆 नहीं 🗅 (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रा									र प्राव	वष्ट व	गर)					
		संपत्ति में	आपके अँश की प्रतिशत सह स्वामी (स्वामियों)		T	0	٠.			α					• -•	-0	_	
			सह स्वा	मा (स्वा ांख्याक					ता		सप	ात्त म	। अश	की प्र	ातशत	ता		
		I				194147	<i>/</i> जा	uit ti	911	•								
		II																
				किराएदार का			, m	72I TI	viva	ترگ	,	किर	एदार	र (कि	राएदा	रों) का	पैन/टै	न/आधार
		लगाएँ] (र टीड	टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जात									
		-	र्गा ए पर हो	पर हो)				1	T (1)				ı		<u> </u>	<u>})</u>		1 1
इ संपत्ति		🗖 किराय	पर दिया हुआ समझा गय	II II														
		क सकर	न प्राप्त या प्राप्य या किराए	योग्य मूल्य		<u> </u>		<u> </u>						1 क				1 1
		ख किरा		1 평														
गृह		ग स्थान	ीय प्राधिकारियों को संद	त्त कर		1ग												
		घ योग	(1ख + 1ग)			1ঘ												
			क मूल्य (1 क – 1 घ)										1	1ङ				
		च स्वागि	मेत्व संपत्ति का वार्षिक मृ	ल्य (स्वामित्व भाग	का प्रतिः	रात x 1	ङ)							1च				
		छ 1च व				1छ												
			र ली गई पूंजी पर संदेय ब	याज		1ज												
		_	(1छ + 2ज)										1	1झ				
			के दौरान 30% से कम प्र		या /वसूल•	ीय कि	राया							1ञ				
			संपत्ति 1 से आय (1च – 1										<u></u>	1ट				
		V	क संपत्ति का विवरण अलग	,										_				
	2	-	के जरिए पास, यदि कोई	•	a			-} -} -	.0	·				3				
	3	का अंक 2											•	4				
टिप्प	ण ▶		प्तर की स्थायी खाता संख्या, प्तर का टीएएन देना आज्ञाप									की व	कटौत	ती की 	गई है	T		

सूची प क	भूजा उ	ल्पक	ाभ ालिक पृं	पूंजी अभिलाभ ंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (उप-मद ४ और 5 निवासियों के लिए लागू न	हीं है)	
	1					
		विक्र	य / अ	र्जन की तारीख दिन /मास /वर्ष विक्री/अंतरण की तारीख	दिन /मास /वर्ष	
		भ	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कi	
			ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारींके अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii	
म् । ज्ञान			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कां) 1.10 गुणा (कां), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (कां) के रूप में लें या अन्यथा (कां) के रूप में लें]	क iii	
<u></u>		ख	धारा ४	8 [°] के अधीन कटोतियाँ		
,			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
				(ক iii – ख iv)	1 ग	
			धारा ! विनिर्दि	54 छ /54 छ क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरें ए करें)	1 घ	

구	अनल यं	पनि के थंट	न्या के प्राप्त ने	ांजी अभिलाभ (1 ग में कृपया निम्नलिखित ब्य	<u>ਾ ਘ)</u> ਹੈਹੇ ਟੇਂ ਨਿਹਾ	गा। टेउते	<u> </u>				क
9				क्रिया निम्नालाखत ब्य क्रेता(क्रेताओं) का			,	त्ति का पता, देश	ा पिन	राज्य	л
	97	. પ ા.	के नाम	पैन/	प्रतिशत			ात्त का पता, दश गेड, जिप कोड	ापन कोड		4
				आधार सं.							
	टिप्पप	T .	110 0171 4	 94झक के अधीन काट	 	 	<u> </u>	} 			
	icwi	1 ▶		94झक के अधान काट क्रेता की दशा में कृपया					نحہ کا	÷	
2 32	लम्प बिक्री	1 1	एक स जावक प्र	गरा। पर्रा ५२॥ म पृरपपा	तम्बान्दत	रापर प्र	id4id (गार रपम्म ७५५।	रात पगर		
८ क			ा क हा (२) के .थ	नुसार उचित बाजार मू			<u>2</u> ক	:			-
47	' I I			नुसार उचित बाजार मूर नुसार उचित बाजार मूर			2कi				-
	iii			ं या क ii का अधिक			<u> </u>				-
স ন			ा पूरा मूरप (प) ान का शुद्ध मूल		(141)		<u>2৭/।</u> 2 ভ				-
				जी अभिलाभ (2कiii -	2ख)						वः
				मएफ)उन्मुख ईकटी		से य	ा कारत	ार न्यास की दर	कार्द रि	जेस पर	
				ख) के परन्तुक (विदेध							
		का पूरा मू		G) में मेर पुन्न (मि प्	XII 47 IXI	\) \ \	91411	3 क	19/91	141 (-
			न कटौतियाँ					3 1			
	i		<u>। के बिना</u> अर्ज	न की लागत				ख i			
	ii		। के बिना सुधा					ख ii			
		पर्णतया य	ा अनन्यता के उ	अंतरण से संबंधित व्य	य			ख iii			
		योग (i +			-			ख iv			
ग		क – ख iv						3 ग			
	तब ऐर्स	। आस्ति	के विक्रय से उ	भाय/बोनस यूनिटों क द्भूत हानि की अनत्	ग प्राप्ता । देखी की प	क्या ज नाएगी	ाता ह (केवल	3 ঘ			
3	तब ऐसी सकारात साम्याः	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए	द्भूत हानि की अनत् एफ पर अल्पकालिक ए	देखी की प्र गुंजी अभि	नाएगी लाभ (ए	(केवल (सटीटी	संदत्त) (३ ङ +३	3 ਬ) ਕਿਵਾ	- 1 (2 -	क
ਤ ₄ अ	तब ऐसी सकारात साम्याः निवासिय	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा ों के लिए	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक ए आई नहीं है किसी भ	देखी की प गूंजी अभिगारतीय कं	नाएगी लाभ (ए पनी के	(केवल (सटीटी) शेयर	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के	^{3 घ)} विक्रय	। से(जि	क सकी
ड 4 संग	तब ऐसी सकारात साम्याः निवासिय गणना धार	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा ों के लिए रा 48 के उ	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईंअ प्रथम परन्तुक के	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प् आई नहीं है किसी भ ज अधीन विदेशी मुद्र	देखी की ज गूंजी अभिगारतीय कं गरतीय कं	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के	(केवल (सटीटी) शेयर साथ	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी)	विक्रय	। से(जिर	सकी
ड 4 संग क	तब ऐसी सकारात साम्याः निवासिय गणना धार् संव्यवह	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा ों के लिए रा 48 के उ	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईअ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिन	द्भूत हानि की अनते एक पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ उ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यव	देखी की ज गूंजी अभिगारतीय कं ग्रांसमायोज वहार कर	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसर्ट	(केवल (सटीटी र शेयर साथ ोटी) सं	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया	विक्रय है	ा से(जिर	सकी क
ड 4 संग क ख	तब ऐसी सकारात ह साम्या निवासिय गणना धार संव्यवह संव्यवह	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा ों के लिए रा 48 के प गरों पर एर ारों पर एर	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईअ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प् आई नहीं है किसी भ ज अधीन विदेशी मुद्र	देखी की ज पूंजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोज वहार कर इार कर (नाएगी पनी के नन के (एसर्ट एसटीर्ट	(केवल (सटीटी हे शेयर साथ ोटी) सं	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग क ख	तब ऐसी सकारात ह साम्या निवासिय गणना धार संव्यवह संव्यवह निवासिय	। आस्ति मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के उ गरों पर एस् तें की दशा	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ ठ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह पर प्रतिभूति संव्यवह	देखी की उ गूंजी अभि गरतीय कं ग समायोज वहार कर गर कर (गि एफआ	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसर्ट एसटीर्ट ईआई :	(केवल स्तटीटी चे शेयर साथ ोटी) सं द्वारा प्र	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग क ख	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	आस्ति मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के प्र गरों पर एस तें की दशा फ़्रिति॰ कंपर्न	के विक्रय से उ दर्ज करें) ाम्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके ा में -धारा 115व पूतियों जिनमें	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ उ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस्	देखी की प्रंजी अभि ग्रंजी अभि ग्रंतीय कं ग्रंसमायो बहार कर ग्रंट कर (ग्रंपिकआ ले शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के न के (एसर्टी एसर्टी ईआई	(केवल सटीटी हे शेयर साथ ोटी) संद द्वारा प्र	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति मुल्य मुल्य स्रोयर या सा	के विक्रय से उ दर्ज करें) ाम्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके ा में -धारा 115व पूतियों जिनमें वे के शेयर समि	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ ठ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यव पर प्रतिभूति संव्यव कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय व	देखी की प्रंजी अभि ग्रंजी अभि ग्रं समायोग् वहार कर ग्रं कर (ग्रं एफआ ले शेयर की दशा ग्रं	नाएगी लाभ (ए पनी के न के (एसर्ट एसर्टीर्ट ईआई के ओ ने निम्ना	(केवल सटीटी र शेयर साथ ोटी) संद द्वारा प्र तेरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	अस्ति भ्रास्त भ्रां स्वयं स्वयं सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था सार्था पर एर एर सिंग्जी दशा क्यारा क	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईअ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके हों -धारा 115व मूतियों जिनमें वे शेयर समि दीजिए:- कोटा नहीं किए	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ ठ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय व	देखी की उ पूंजी अभिव गरतीय के गरतीय के वहार कर गर कर (गिएफआ ले शेयर भी दशा प्र संबंध में प्र	नाएगी लाभ (ए पनी के न के (एसर्ट एसर्टीर्ट ईआई के ओ ने निम्ना	(केवल सटीटी हे शेयर साथ ोटी) संद द्वारा प्र	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र् संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति स्वकं मूल्य शियर या सा ते के लिए रा 48 के उ हारों पर एर ते की दशा प्रतिश् कंपर्न ब्यौरा	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईं अ स्थम परन्तुक के सटीसीजी जिनके हों -धारा 115व मुतियों जिनमें के शेयर समि दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ उ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किसे कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय व	देखी की उ पूंजी अभिन गरतीय कं गरतीय कं गरकर वहार कर गर कर (गिएफआ ले शेयर की दशा प्र संबंध में प्र ल्य	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसर्टी एसर्टी ईआई वि के जिल्ला	सटीटी ज्ञीयर साथ टिी) संदः द्वारा प्र तेरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र् संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति स्मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के उ तरों पर एस तें की दशा प्रतिश् कंपर्न ब्यौरा क	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग शेयरों का उचि	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भ उ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किसे कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के ए जाने वाले शेयर के उ प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मुल्य	देखी की उ पूंजी अभि गरतीय कं गरतीय कं गरतीय कर गर कर (शि एफआ ले शेयर की दशा प्र संबंध में प्र पूल्य गए जाने व	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसटीर्ट ईआई: के आं दें निम्ना	(केवल सटीटी र शेयर साथ ोटी) संद द्वारा प्र तेरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र् संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति स्मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के उ तरों पर एस तें की दशा प्रतिश् कंपर्न ब्यौरा क	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व विविधः- कोटा नहीं किए। प्राप्त करने योग शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र पाई नहीं है किसी भ क अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के एया प्रतिफल का पूरा म् अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य म के उद्देश्य के लिए ध	देखी की उ ग्रंजी अभि गरतीय कं ग्रं समायोज् बहार कर (ग्रंगर कर (ग्रं	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसटीट र्सटीट ईआई विक्रा पित्र/ पत्र/ के के	सटीटी ज्ञीयर साथ टिी) संदः द्वारा प्र तेरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र् संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति स्मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के उ तरों पर एस तें की दशा प्रतिश् कंपर्न ब्यौरा क	के विक्रय से उ दर्ज करें) ाम्या उन्मुख एमए जो एफ आ ई3 प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व दिवयों जिनमें वे के शेयर समि दीजिए:- फोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र माई नहीं है किसी भ क अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्र प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य । के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर के शेयर हार का ग्रे ह्ल्य गरा 50 गर रों के संबं	नाएगी लाभ (ए पनी के नन के (एसटीट र्सटीट ईआई विक्रा पित्र/ पत्र/ के के	(केवल सटीटी) ज्ञीयर साथ टि) संद द्वारा प्र तिरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात हा साम्या निवासिय गणना धार हे संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के प रारों पर एस तें की दशा प्रतिभ कंपर्न ब्यौरा क	के विक्रय से उ दर्ज करें) ाम्या उन्मुख एमए जो एफ आ ई3 प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व दिवयों जिनमें के शेयर समि दीजिए:- प्राप्त करने योग प्राप्त करने योग प्राप्त कर ने योग प्राप्त कर ने योग शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट न	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र माई नहीं है किसी भ क अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्र प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य म के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मुल्य (क या ख से	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी ज्ञेयर साथ टि) संदः द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंक	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धा र् संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति । आस्ति । सक मूल्य । श्रीयर या सा । श्री के तिए एर एर एर । श्री पर एर एर के पर्न ब्यौरा क । या कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : कोट : काट	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ उथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट न प्रतिफल का पू न किए जाने वा	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से के ले शेयरों के अतिरिक्त	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी) ज्ञीयर साथ टि) संद द्वारा प्र तिरिक्त लेखित	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात हिवासिय गणना धार हे संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति मिक मूल्य शेयर या सा से किए प्र प्र एस एसे किप में कि देशा किप में कि	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ उथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व पूर्तियों जिनमें विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट क प्रतिफल का पू न किए जाने वा में प्रतिफल का	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से के ले शेयरों के अतिरिक्त	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी) ज्ञायर ज्ञायर साथ टि) संदु द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंक	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
ड 4 संग् क ख 3 5 से	तब ऐसी सकारात हा साम्या निवासिय गणना धार हे संव्यवह निवासिय भिन्न)	ा आस्ति मिक मूल्य शेयर या सा से किए प्र प्र एस एसे किप में कि देशा किप में कि	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ उथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट न प्रतिफल का पू न किए जाने वा	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से के ले शेयरों के अतिरिक्त	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी) ज्ञायर ज्ञायर साथ टि) संद द्वारा प्र तिरिक्त लेखित ंक ंख	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
3 4 संग् क ख 5 से क	तब ऐसी सकारात निवासिय गणना धार संव्यवह संव्यवह निवासिय भिन्न) ।	ा आस्ति मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के उ गरों पर एस तें की दशा फ्रिंति कंपर्न ख्यौरा क ख ग	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके चें -धारा 115व मूतियों जिनमें वेक शेयर समि वोजिए:- फोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट न प्रतिफल का पू न किए जाने वा में प्रतिफल का (ग + ii)	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से क् ले शेयरों के अतिरिक्त	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी) ज्ञायर ज्ञायर साथ टि) संदु द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंक	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
3 4 संग् क ख 5 से क	तब ऐसी सकारात हा साम्या निवासिय गणना धार हा संव्यवह निवासिय भिन्न) । हा धारा 48	अस्ति मक मूल्य शेयर या सा तें के लिए रा 48 के प्र गरों पर एस तें की दशा प्रतिभ कंपर्न ब्यौरा क यो ग कोटः संबंध कुल	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईं उथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व पूर्तियों जिनमें के शेयर समि दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट न प्रतिफल का पू न किए जाने वा में प्रतिफल का (ग + ii)	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यवह क्य प्रतिभूति संव्यवह क्य प्रतिभूति संव्यवह क्य के अनुसार किसे ए जाने वाले शेयर के स् त्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से स् ले शेयरों के अतिरिक्त पूरा मूल्य	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी इंशेयर साथ टि) संदः द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंक ंग कांं	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
3 4 संग् क ख 5 से क	तब ऐसी सकारात हा साम्या निवासिय गणना धार हा संव्यवह निवासिय भिन्न) । हा धारा 48	अस्ति भक्त मूल्य शेयर या सा हैं के लिए एर एर एर एर हों की दशा कि या सा कोट संबंध कुल कि अधीन	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईउ प्रथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व प्रीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट प्र प्रतिफल का प्र न किए जाने वा में प्रतिफल का (ग + ii)	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यव पर प्रतिभूति संव्यव कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से क् ले शेयरों के अतिरिक्त पूरा मूल्य	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी इंशेयर साथ टि) संदा द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंख ंग कांं	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
3 4 संग् क ख 5 से क	तब ऐसी सकारात हिवासिय गणना धार ह संव्यवह ह संव्यवह ह तिवासिय भिन्न) । ह	अस्ति मक मृत्य शेयर या सा ते के लिए सा 48 के उ पर एसे पर एसे के पर पर पर हों की दशा कि या सा विषय के अधीन सूचीकरण सूची सूची सूची सूची सूची सूची सूची सूची	के विक्रय से उ दर्ज करें) म्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईं 3 उथम परन्तुक के सटीसीजी जिनके में -धारा 115व प्रतियों जिनमें वे शेयर समि दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ अनुसार कोट के प्रतिफल का पू न किए जाने वा में प्रतिफल का (ग + ii)	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्र आई नहीं है किसी भू के अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यव पर प्रतिभूति संव्यव कघ के अनुसार किसे कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के एया प्रतिभारत कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से क् ले शेयरों के अतिरिक्त पूरा मूल्य	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल (सटीटी) (सटीटी) सं (सटीटी) सर (सटीटी) सं (सटीटी) सर (सटीटी) सर (सटिटी)	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क
3 4 संग् क ख 5 से क	तब ऐसी सकारात हा साम्या निवासिय गणना धार हा संव्यवह निवासिय भिन्न) । हा धारा 48	अस्ति मक मृत्य शेयर या सा ते के लिए सा 48 के उ पर एसे पर एसे के पर पर पर हों की दशा कि या सा विषय के अधीन सूचीकरण सूची सूची सूची सूची सूची सूची सूची सूची	के विक्रय से उ दर्ज करें) (स्या उन्मुख एमए जो एफ आ ईं 3 (स्थम परन्तुक के सटीसीजी जिनके (सें -धारा 115 के शेयर समि दीजिए:- कोटा नहीं किए प्राप्त करने योग विहित रीति से शेयरों का उचि पूंजी अभिलाभ् अनुसार कोट न् प्रतिफल का पू न किए जाने वा में प्रतिफल का (ग + ii) के बिना सुधा । अनन्यता के अंत्र	द्धभूत हानि की अनते एफ पर अल्पकालिक प्राई नहीं है किसी भ अधीन विदेशी मुद्र के पर प्रतिभूति संव्यव पर प्रतिभूति संव्यव कघ के अनुसार किस कोटा किए जाने वा मेलित हैं, के विक्रय के प्य प्रतिफल का पूरा मु अवधारित कोट न कि त बाजार मूल्य भ के उद्देश्य के लिए ध न किए जाने वाले शेय रा मूल्य (क या ख से क् ले शेयरों के अतिरिक्त पूरा मूल्य	देखी की व जूजी अभि गरतीय कं ग्रा समायोग् वहार कर (ग्रा कर (ग्री एफआ ले शेयर के शेयर	नाएगी लाभ (ए पनी के जन के (एसटीट एसटीट ईआई के आ ों निम्ना पत/ ाले क के	(केवल सटीटी इंशेयर साथ टि) संदा द्वारा प्र तेरिक्त लेखित ंख ंग कांं	संदत्त) (3 ङ +3 ों या लाभांश के की जाएगी) दत्त किया गया त नहीं किया गय तिभूतियों के वि	विक्रय है ॥ है		सकी क

	धारा ९)4(7) ³	या धारा <u>9</u> 4(8)- के अध	धीन अनुज्ञेय	ूहानि -उद	ग़हरण के			
	लिए य	दि ुआ	स्ति को अ	भेलेख ता	रीख से पूर्व	तीन् मास	के भीतर			
	घ क्रय/	अजित	किया जाता	है और	लाभांश्र्रआ	य/बोनस र	पूनिटों को	5 घ		
	प्राप्त रि	केया ज	ाता है तब प	रेसी आस्	ते के विक्रय	से उद्भूत	हानि की			
					क मूल्य दर्ज					
	ङ साम्या	शेयर या	साम्या उन्मुख	एमएफ प	र अल्पकालिव	७ पूंजी अभि	ालाभ (एसर्ट	ोटी र	दित्त) (3 ङ +3 घ)	क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क	1 या क	² या क 3 य	ा क ४ या व	क 5 से भिन्न उ	आस्तियों के	विक्रय से			
		3	गस्तियों जिन	में कोटा वि	रुए जाने वाले	। शेयर के उ	अतिरिक्त कं	⁷ पनी		
	क i			ालित हैं, वे	७ विक्रय की	दशा में नि	म्रलिखित व	ब्यौरा		
		र्द	ोजिएः-							
			क कोटा	नहीं किए	जाने वाले शेय	ार के संबंध	में प्राप्त/	iक		
			प्राप्त क	रने योग्य !	प्रतिफल का पृ	रुरा मूल्य				
			ख विहित	रीति से अ	वधारित कोट	न किए जा	ने वाले	iख		
			शेयरों व	ग उचित ब	वाजार मूल्य					
			ग पूंजी अ	भिलाभ के	उद्देश्य के लि	ए धारा 50	गक के	iग		
			अनुसार	: कोट न वि	केए [ं] जाने वाले	। शेयरों के र	प्तंबंध में			
					मूल्यं (क या ख					
	ii	i गै	र कोटिड शेर	गरों से भिन	न अस्तियों व	के संबंध में :	पतिफल			
		a	ग पूर्ण मूल्य		•			कii		
	ii		<u>रल (iग + ii)</u>					क		
		وا	, (,					iii		
	ख धारा ४	18 के उ	अधीन कटौति	ायाँ						
	i		करण के बिन		_{ही} लागत			ख i		
	ii		करण के बिन					ख ii		
	iii				। से संबंधित व्य	 गय		ख		
		6						iii		
	iv							ख		
		याग	(i + ii + iii)					iv		
	ग शेष (6 क iii	– खiv)					6 ग		
				के अधीन	अनुज्ञेय हानि	ने -उदाहरण	के लिए			
	यदि अ	गस्ति व	गे अभिलेखं त	ारीख से पूर	र्व तींन मास वे	मीतर क्रय	1/ अर्जित			
	घ किया र	जाता है	और लाभांश	ा/आय/बोन	स यूनिटों को	प्राप्त किया	जाता है	6 घ		
	तब ऐसी	गी आसि	ते के विक्रय	प्ते उद्भूत ह	प्रानि की अनदे	खी की जाए	गी (केवल			
			ल्य दर्ज करें)							
				गया अल्पक	गलिक पूंजी उ	भभिलाभ (उ	अनुसूची	6 ङ		
		ो का 6)								
			४ छक के अर्ध					6 च		
						भेन्न आस्ति	यों पर एस	टीसी	जी (6 ग+6घ+6ङ-6च)	क ६७
7	अल्पकालिव		अभिलाभ सम							
									भिलाभ की उपयोग में नहीं लायी	
	क			राशि को	उस वर्ष के वि	लेए देय तारी	ोख के भीत	र पूंज	ी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा	
	4,		केया गया है ?							
			<u>] हाँ</u> ।	⊐ नहीं [🗖 लागू नहीं ह	होता, यदि	हाँ , तो ब्यौरें	उप	लब्ध कराएँ	
				वह धारा	न ई आस्तियां	ं अर्जित /नि	ोर्मित की गड़	₹ है		
			2 2	जिसूके						
			पूर्व वर्ष में	अधीन					न ई आस्तियों के लिए उप योग नहीं	
		7	न् जिसमें	उस वर्ष	तर्ष क्रिकाने	i आस्त्रिगां	पूर्व वर्ष पृं	्जी	न इं आस्तियां के लिए उपयाग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x)में उपयोगमें नहीं लाई गई बची	
		व्र स	ं आस्तियां	में	्थर्जित /नि	ो जास्सवा र्धित की गर्ट	अभिलाभ र	वाता	(४) में उपा रोग में नहीं लार्ट गर्ट बनी	
		`	अतारत क		है	नाता प्रशास्त्र	में से उपर	योग	हुई राशि	
			गई है	का दावा	9	,	की गई नई	राशि	पुर सारा	
				किया्						
				गया है						
			i 2020-21	54छ						
		'		/54छक	1					
		l ₁	i 2021-22	54छ						
			· 	/54छक						
		li	ii 2022-23	54छ						
	-			/54छक		ரின்ர பட	 ਜੀ ਜੁੜੇ ਤਾਲਿ			
	ख	્રા	liti 54 t9 t	14m ୯ାଧି [,]	अवधि पूंजी अ	।मलाम समइ	रा गई सारा			

			धारा	54 ख /54 घ /	/54 <mark>छ</mark> /54	. छक लघु अ	विधि पूंजी अ	भिलाभ	<u>सम</u> झी गई	राशि (४	Ki + Xii	+Xiii + ख)	क7
	8	अल्पावधि पृ	्जीगत अभि	लाभ की प्रकृति	में आय/क्ष	ति के जरिए	प्राप्त (अनुसूर	वी पीर्ट	आई भरें)	(क8क°+	क8ख+	क8ग)	क8
		 ਰ				वधि पूंजीगत	अभिलाभ की	प्रकृति	में क्र	<u> </u>			
		4,	(প			<u>~~~~</u>		<u> </u>					
		ख				वाध पूजीगत	आभलाभ क	। प्रकृति	^{1 म} क 8 र	व			
			ઝા			ىد جىنلچىنىن	गिलाग उसी ग	ن ج					
		ग				ય પૂજાગત ઝ	।मराम का प्र	ાર્યુંગત મ	क8ग	Γ			
	9	क 1 – क8				न जिस पर १	भारत में दीटी	एए के	<u>।</u> अनसार क	र से प्रभ	्रार्य धन क	ा टावा नहीं है	
					(4,.1 (114,	TION TO	TITCH TO OF	1// 1	913(11) 49	C (I M·I	17917	1 4141 101 0	
		क्रम	आय की	उपरोक्त	देश का	डीटीएए	संधि के	क्या	क्रम	,	आय की	उपरोक्त	
		संख्या	रकम	मद सं.	ना्म	की धारा	अनुसार			ग्रा ३	रकम	मद सं.	
					काड			गइ ह					
							सून्प प्रतिषट					ाक्या गया हि	
				V			करें करें						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)		(9)	(10)	
		I			. ,			. ,	1		,		
		II											
		क ,	डीटीएए के	अनुसार भारत	में अप्रभा	र्य कर के दा	वे की कुल र	राशि					क9क
													क9ख
	10		कालिक पूंज	र्गी अभिलाभ (क1 ङ+	क2 ग+ क	3 ङ + क4	क + क	क 4ख+ व	⁷⁵ ङ +	क6छ -	- क7 + क8	क 10
72	7.6		नी अणिक्या	or (1122) 10.5) \ (21) 	- 1900)			7 0 287	<u> А</u> ПП	 .		
এ	दाध	कालिक पूर	गा आमला वय गा योगो	म (एलटासाज कि विकास	।) (आनव गानगेळ गं	गति के ह	ालए उप-मद गौरे गशक क	5, 6, जा जे १	<u>7, ४ आर</u> क्रिं	9 લાગૂ	नहा)		
	•	तिकस्य ८	यम या दामा थर्जन की त	ाग्रीक दिन	(प्रत्पफ स याज्य <i>(</i> तर्ष	पत्।त प ब्				टिन /	⁄पाम /त	र्म	
			i	णाप्त /पाध्य प	मारा /पप ातिफल क	ा परा मल्य	ाषक्रग/जरा				11074	Ч	
				स्टांप मल्यांक	न प्राधिक	. <u> </u>	मार संपत्ति व	न					
									कi	i			
ᠴ													
ज			iii	अनुसार अंगीकृ	त प्रतिफल	का पूरा मूर	य [किसी दृश	शा में	कii	i			
अ हि				(कii) (कi) क	1.10 गुण	गा से अधिक - - र ो ने न्ट	नहीं होता है	तो ->:-		•			
唐 .		72	CITT 40 2	(का) करूत (का) करूत	म इस अक् रिक्त ि) का ल या उ	ान्यया (का <u>ा)</u>	୯]					
ध प्र		લ	धारा 48 द	र अधान फट सनीकगा के	ातपा बिना अर	निकी लाग	Ŧ			ਹ ਰ :			
भवि													
ব্			iii										
₩			iv								_		
		ग								1 ग			
		ย			छ /54 छव	ठ के अधीन	कटौती (नी	वे मद	घ में	1 घ			
					<u> </u>								
			स्थावर सपा	त पर दाधका	लिक पूजा ने उक्ता में उ	आभलाभ (1	ग - 1 ध) फिन कोरे ने	· (=====	. Duruu 3				
		ਧ	अचल सपा	त्त क अंतरण क	ा दशा म, ९	<u> १</u> पया ।नम्नाल	ાહ્યત <u>ષ્યા</u> ર	: (कृपय T					
						_							
				केता/केताओं			शेयर		देश		पिन		
			क्र. स.	के नाम	कार		प्रतिशत	रका	न को	ਤ,	कोड	राज्य	
					आध	रि न.			जिप	7			
									को	ड			
				_									
				T 40 4 TT -	.യറിച്ച ക്വ	ग गया है तो	पैन / आशार	नं देना र	अनिवार्य है।	1			
		टिप्पण ▶											
		टिप्पण ▶		ारा 194झक क प्रक क्रेता की दृष्							l		
			एक से अधि								I		
	2	स्लम्प बिक्री	एक से अधि से)क क्रेता [ं] की दश	राा में कृपय	ा सम्बन्धित इ	शेयरं प्रतिशत			र्शेत करें	1		
	2		एक से अधि से i नि		शा में कृपय (2) के अन्	ा सम्बन्धित इ नुसार उचित	शेयर प्रतिशत बाजार मूल्य						
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	अवधि पूंजी अभिलाभ 🔬 । 🖆 10	9 क 1 - क8 या विशेष द क्रम संख्या (1)	(1) (2)	ख अाय/क्षित के जिर से प्र आय/क्षित के जिर से प्र आय/क्षित के जिर ग लागू दरों पर प्रभाग आय/क्षित के जिर श का 1 – कि में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की या विशेष दर पर प्रभार्य है क्रम आय की उपरोक्त संख्या रकम मद सं. का - कि कि जिसमें सम्मिलित किया गया है (1) (2) (3) । ॥ क डीटीएए के अनुसार भारत में ख डीटीएए के अनुसार भारत में ख डीटीएए के अनुसार भारत में विक्रय निक्रय सें विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / क । प्राप्त /प्राप्य प्र स्टांप मूल्य पंजी अभिलाभ अनुसार अंगीकृ (कां) (कां) के रूप म्लांकः मूल्य पंजी अभिलाभ आंप (कां) के रूप योग (खां + र मां स्वीकरण के सं स्वीक	अग्र/क्षित के जिएए पास ख अग्र/क्षित के जिएए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावरिक जारए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावरिक जारए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावरिक जारए पास श विशेष दर पर प्रभार्य है कम आय की उपरोक्त देश का नाम का नक और जिसमें का का नक और जिसमें को ड सम्मिलित किया गया है (1) (2) (3) (4) । (1) (2) (3) (4) । (1) (2) (3) (4) । (1) (2) (3) (4) । (1) (3) (4) । (1) (2) (3) (4) । (1) (3) (4) । (4) । (5) अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट के अनुसार अणिक स्वां पूर्णी अभिलाभ (का प्राप्त प्रकार के प्रयोज अभिलाभ के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के स्टांप मूल्यांकन प्राधिक मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के स्टांप मूल्यांकन प्राधिक मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अनुसार अणीकृत प्रतिफल के प्रयोज अलुसार के अलुसार के प्रयोज अलुसार के अ	अाय/क्षिति के जिरिए पास ख 30% की दर से प्रभार्य अल्पाविध पूंजीगत अ आय/क्षिति के जिरिए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पाविध पूंजीगत अ आय/क्षिति के जिरिए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य पास 9 क 1 – क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर १ या विशेष दर पर प्रभार्य है क्रम आय की उपरोक्त देश का डीटीएए संख्या रकम मद सं. नाम की धारा क1-क8 और जिसमें कोड सम्मिलित किया गया है (1) (2) (3) (4) (5) 1 11 20 (3) (4) (5) 1 10 कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 इ- + क2 ग+ क - क 9क) ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के न् क क क) ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के न् क क मुसार आरत में स्वास्था के ज्वास्था प्रतिक कं क् विक्रय / अर्जन की तारीख दिन /मास /वर्ष क ं प्राप्त /प्राप्य प्रतिकल का पूरा मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए १ अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए १ अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए १ अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य पूंजी अभिलाभ के किया अर्जन की लोगत iii पूर्णतिया या अनन्यता के अंतरण से संबं iv योग (ख i + ख ii + ख iii) श शेष (क iii - ख iv) धारा 54 घ/ 54 ङग/ 54 छ /54 छक के अधीन ब्यौर विनिर्दिष्ट करें) ङ स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्निल	ख अाय/क्षिति के जिएए पास ख अाय/क्षिति के जिएए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ को प्र शाय/क्षित के जिएए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ को प्र शाय/क्षित के जिएए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ को प्र शाय/क्षित के जिएए पास विशेष दर पर प्रभार्य है कम आय की उपरोक्त देश का डीटीएए संधि के मद सं. नाम की धारा अनुसार क1-क8 और प्रभार्य नहीं हो, जिसमें कोड प्रभार्य नहीं हो, जिसमें कोड प्रभार्य है (1) (2) (3) (4) (5) (6) । । । क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस राविष्ट करें विटिएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एस क डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट करें। विक्रिय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन की तारीख दिन / मास / वर्ष विक्रय / अर्जन को ले पर पर स्टाप मूल्य पूर्णी अभिलाभ के प्रताजन के लिए धारा 50ग के अनुसार संपत्ति के अर्वीन कटोतियाँ विक्रय / अर्जन के अर्वीन को ले ले पर पर संपत्ति के अर्वोन के ले ले पर पर संविक्य विक्रय के अर्वीन कटोतीयाँ विनिर्द करें - पर वर्ष विक्रय के अर्वीन कटोती (नी क्योर विनिर्द करें) क श्वार संपत्ति पर दीर्घकालिक पूर्जी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) च अरल संपत्ति पर दीर्घकालिक पूर्जी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) च अरल संपत्ति पर दीर्घकालिक पूर्जी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) व अरल संपत्ति पर दीर्घकालिक पूर्जी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	अप/क्षिति के जिरए पास 30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आप/क्षिति के जिरए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आप/क्षिति के जिरए पास 9 क 1 - क8 में अंतिविष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के या विशेष दर पर प्रभार्य है कम अप की उपरोक्त देश का डीटीएए सिंधि के क्या संख्या मद सं. नाम की धारा अनुसार टीआर का-क8 और दर त्यदि प्राप्त में जिसमें कोड प्रभार्य महं है नहीं हो, पहीं की सम्मितित किया गया है (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	ख अंतर/क्षित के जरिए पास ख अंतर/क्षित के जरिए पास ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में क्रिक्ष ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में क्रिक्ष ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में क्रिक्ष ग लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में क्रिक्ष ग विशेष दर पर प्रभार्य है कम आय की उपरोक्त देश का डीटीएए संधि के कृया क्रिम संख्या रकम मतिक की धारा अनुसार टीआरसी संख्य कम्मीलित कि जीड प्रभार्य गई है नहीं हो हो है हो गई है नहीं हो हो हो हो हो हो है हो हो हो हो हो हो हो हो है हो हो हो हो हो है है नहीं हो हो है हो हो हो हो हो है है नहीं हो है है हो हो हो हो हो है है नहीं हो है है हो हो हो है है हो हो हो है हो हो है है हो हो हो है है हो हो है हो हो है है हो हो है है हो हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है हो हो है हो है है हो है हो है हो है हो है हो है है हो हो है है हो है है है है है है है है है है है है है	अार/क्षति के जिरए पास 30% की दर से प्रमार्थ अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में क8ख 1 जार/क्षति के जिरए पास 1 जार/क्षति के जिरए पास 1 जार/क्षति के जिरए पास 2 क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभाव विशेष दर पर प्रमार्थ हे 3 क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभाव विशेष दर पर प्रमार्थ हे 3 कम आय की उपरोक्त देश का डीटीएए सिंध के क्या क्रम संख्या रकम मद से नाम की धारा अनुसार टीआरसी संख्या का का कि जार प्रमार्थ है 3 कम अव की उपरोक्त देश का डीटीएए सिंध के क्या क्रम संख्या का का का का स्वाप्त में लिंग हों हों हों हों हों है नहीं हों, किया गया है का समितित किया गया है हों हों हों हों है जिसमें कोड प्रमार्थ प्रविष्ट करें प्रमार्थ प्रविष्ट करें हों हों हों हों हों हों हों हों हों हो	अग्राय/श्राति के जरिए पास कार्याविष पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में कार्याय/श्राति के जरिए पास गार्य अप्यायिष पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में कार्याय/श्राति के जरिए पास गार्य अप्यायिष पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में कार्याय/श्राति के जरिए पास जार्य/श्राति के जरिए पास जार्य/श्राति के जरिए पास जार्य/श्राति के जरिए पास जार्य की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य धन कर से प्रभार्य धन कर कार्य कार्य कार्य के प्रथा विशेष दर पर प्रभार्थ है कम आय की उपरोक्त देश का डीटीएए से अनुसार पीठारी जहार के जार्य कार्य सम्भारित किया गया जार्य की प्रभार्य गई है जहार जार्य की प्रभार गई है जहार जार्य की प्रभार गई है जहार जहार जार्य की प्रभार गई है जहार जार्य की प्रभार गई है जहार जार्य कार्य प्रभार गई है जहार जार्य कार्य प्रभार जहार जार्य कार्य प्रभार जहार जहार जार्य कार्य प्रभार जहार जार्य कार्य प्रभार जहार जहार जहार जार्य कार्य जहार जहार जार्य कार्य जहार जहार जहार जार्य कार्य जार्य कार्य जहार जहार जार्य कार्य जहार जहार जहार जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य जार्य जार्य कार्य जार्य जार्य कार्य जार्य अवश्वक्षिक कारिए पास अवश्वक्ष के कारिए पास विकास कार्म कार्	

				^		1		
	ख			ा विभाजन का शुद्ध मूल्य		2ख		
	ग			ii — 2 ख)		2ग		
	घ			ग के अधीन कटौती		2घ		
	ङ			वेक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2				
3	बंध पत्रों			के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत	न बंध पत्रों से भिन्न)			
	क			। पूरा मूल्य	3 क			
	ख			अधीन कटौतियाँ				
		i	सूचीक	रण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		ii	सूचीक	रण के बिना सुधार की लागत		ख ii		
				।। या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		ख iii		
				ख i + ख ii + ख iii)		ख iv		
	ग	बंध	<u>। पत्रों या</u>	डिबेंचरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (उ	3 क – 3 ख iv)			ख 3 ग
4	सूचाबद्ध	द्धं प्रात	भूतिया (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों वे है।	म विक्रय स जहां धारा 11	2(1)क अध	ान परतुक लागू हाता	
	क	п	ਜ਼ਿਲਕ ਕ	-	<u> </u>	4क		
	ख			ा पूरा मूल्य ज अधीन कटौतियाँ		447		
	લ	या	i 48 9	भूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		-	'	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				-
		\vdash	II iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित	ਰਾਸ	ख ii ख iii		
		-	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	УЧ Ч	ज॥		
		Η,		्व ४ पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी उ	ਪ ੀ ਗਾ। (4 ਲ 4 ਹਰ			4 ग
	ग	۲	(diddi t	ध ४ पर जास्ताचा पर दाववगाराक यूजा र iv)	जानसान (४ ५७ - ४ ख			4 1
5	किसी	कम्प	ानी में सा	ाधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास	निधि डकार्ड या किसी			
,	14 Kii	गरबा	र न्यास व	की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन ए	रस टी टी संदत्त है			
				र पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि				5ख
6	अनिवारि	सेयों	के लिए	र - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों	की विकय से(धारा 48			3 (1
	के प्र	थम प	परन्तुक	के अधीन विदेशी मूद्रा समायोजन के	साथ संगणित किया			
	सूचकांक	(इंडे	क्सेशन)	जाएगा) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिवेंचर प	र टीर्घातिश पंजीगत			
	એમિ লા મ				र पानानान नुनानरा			6 33
								6 ख
7	अनिवासि	ायों द	के लिए	- (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूर्च	ें बिद्ध प्रतिभूतियां, (ii)			6 ख
7	अनिवासि धारा 11	यों व 5कर	ब में नि	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर,			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार	ायों वे 5कर 11 11	ब में नि 5कघ में	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115क ग में निर्दिष्ट ं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर,			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार	ायों वे 5कर 11 11	ब में नि 5कघ में	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर,			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार	नयों दे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5 कघ में तियों के	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।)	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर व	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे [मिनित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:-			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:-	i क		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स क ब	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:-	i क		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स क ब ख नि	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:-			6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क व ख बि	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने गाजार मूल्य	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- ं प्राप्त/ प्राप्त करने	i क		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5क्ष में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क व ख वि	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने ग्राजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50	बद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित	i क		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	ायों वे 5कर 11 11 प्रतिभू	ब में नि 5क्य में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क व ख वि	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने गाजार मूल्य	बद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित	i क i ख		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	मयों र 5 कर 111 11तिभू i	ब में नि 5कंघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स क ब ख नि	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे गिम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने गाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल्ख	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	स्यों र 5कर त 11: प्रतिभू	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क ब ग प कोट न	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि गोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने गाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 1 किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख		6 ख
7	अनिवासि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र	स्यों दें 5कर 111: प्रतिभू i	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क व ग प कोट न	र्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल् ब से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभू	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	स्यों दें 5कर त 11; प्रतिभू i	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूवि शेयर स क व य ख वि ग । प्रतिफल् कुल (i 48 के	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे इम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेय प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वालार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 व किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल व से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य ग मूरा मूल्य ग म ii)	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क ii		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	स्यों दें 5कर त 11; प्रतिभू i	ब में नि 5कघ में तियों के प्रतिभूति शेयर स क ब ग । प्रतिफल् कुल (i 48 के	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिमलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिर होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेय प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वालार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल झ से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क ii		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	स्यों दें 5कर त 11; प्रतिभू i	ब में नि 5 क घ में 5 क घ में प्रितिभूति शेयर स क व ग न प्रितिफल् कोट न प्रितिफल् कुल (i सूचीव सूचीव	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने गाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 ा किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल् ब से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभू त का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क ii क iii		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	ायों दें 5 कर त 11: ग्रितिभू ं ii iii <u>iii</u>	ब में नि 5 क घ में 5 क घ में प्रितिभूति शेयर स क व ग न प्रितिफल् कोट न प्रितिफल् कुल (i सूचीव सूचीव	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिमलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिर होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेय प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वालार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल झ से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क iii क iii		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	ायों दें 5 कर त 11: प्रतिभू i iii <u>धारा</u> iii	ब में नि 5 क घ में ति थों के प्रति भूवि शेयर स क व य ख वि प्रति भूवि कोट न प्रति भूवि पूर्णत पूर्णत	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल ब से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभू ल का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत त्या या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii)	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- ं प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क ii क iii ख ii ख ii ख iv		6 ख
7	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क	ायों दें 5 कर त 11: प्रतिभू i iii <u>धारा</u> iii	ब में नि 5 क घ में ति थों के प्रति भूवि शेयर स क व य ख वि प्रति भूवि कोट न प्रति भूवि पूर्णत पूर्णत	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे ाम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल ब से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभू ल का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत त्या या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii)	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- ं प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट त का पूरा मूल्य (क या	i क i ख i ग क ii क iii ख ii ख ii ख iv	iii - ख iv)	6 ख
	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिर्ष्ट प्र क	ायों दें 5 कर त 11: ग्रितिभू ग्रिता ग्रा ग्रिता ग्रा ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रिता ग्रा	ब में नि 5क्य में 5क्य में हितयों के प्रिक्ट प्रित्यें के व्याप्त स्वाद्य स्वाद स	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के संबंध में गोग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाला शेयरों के संबंध में प्रतिफल के उद्देश्य के लिए धारा 50 में किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल के से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत वाया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ोबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) बंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट ल का पूरा मूल्य (क या तियों के संबंध में	i क i ख i ग क ii क iii ख i ख ii ख iv ख iv		
8	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिर्ष्ट प्र क	स्यों दें 5 कर त 11: ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू	ब में नि 5 क घ में ति थों के प्रित्यों के व प्रित्यों के व प्रित्यों के व प्रित्या स क व प्रित्या स क व प्रित्या स क व प्रित्या स क व प्रित्या स क व प्रित्या स क व प्रित्य स क व प्रित्य स क व प्रित्य स प्रित्य स स्वित्य स प्रित्य स प्रित्य स स्वित्य स्वित्य स स्वित्य स्वित्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वित्य स्वत्य स्व	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिमलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेय प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाला शेयरों के संबंध में प्रतिफल का के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल व से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य म + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत वाया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii) वें की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) वंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के वेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट ल का पूरा मूल्य (क या तियों के संबंध में साधारण अभिन्यास निधि	i क i ख i ग क ii क iii ख i ख ii ख iv ख iv		
8	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्टं प्र क अनिवारि किसी क	मयों दें 5 कर त 111 ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू ग्रितिभू	ब में नि 5 क घ में तियों के प्रितियों के वियों में स्वीवियों के लिए वियोग नेवासियों के लिए विया स्वीवियों के स्वीवियों के लिए विया स्वीवियों के लिए विया स्वीवियों के स्	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।) तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिमलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिर होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेय प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वालार मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल झ से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य ग + ii) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत ज्या या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii) के दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर केसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) वंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के बेत ब्यौरा दीजिए:- ं प्राप्त/ प्राप्त करने वाले शेयरों का उचित गक के अनुसार कोट ल का पूरा मूल्य (क या तियों के संबंध में साधारण अभिन्यास निधि स टी टी संदल्त है	i क i ख i ग क ii क iii ख i ख ii ख iv ख iv		
8	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र क अनिवारि किसी क उपरोक्त	म्यों दें 5 कर ते 11: ग्रितिभू ग्रितिभ् ग् ग्रितिभ् ग् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग्रितिभ् ग	ज में नि 5 क घ में 5 क घ में तियों के प्रितियूर्वि शेयर स क व व व व व व व व व व व व व व व व व व व	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफ आईआई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिमलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाला शेयर के लिए धारा 50 में किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 में किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य में अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत का पूरा मूल्य में मां) अधीन कटौतियाँ करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत करण के बिना सुधार की लागत का या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii) की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर केसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन ए	विद्ध प्रतिभूतियां, (ii) वंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के वेत ब्यौरा दीजिए:- ं प्राप्त/ प्राप्त करने वित्त कंपनी के अनुसार कोट ल का पूरा मूल्य (क या तियों के संबंध में साधारण अभिन्यास निधि स टी टी संदल है गत अभिलाभ	i क i ख i ग क ii क iii ख i ख ii ख iv ख iv		ख7ग
8	अनिवारि धारा 11 (iv) धार विदिष्ट प्र क अनिवारि किसी क उपरोक्त	स्यों दें 5 कर त 11: प्रतिभू ं ं धारा ं खिरायों वे रखार ख8	ब में नि 5 क घ में 5 क घ में तियों के प्रितिभूति शेयर स क व घ प्रितिभूति शेयर स क व घ प्रितिभूति विक्रिया	दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट हैं निर्दिष्ट एफ आई आई प्रतिभूतियों के विक्र सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।) तेयों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर वे मिनलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिरि होटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में गेग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य वेहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाला शेयर के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल के उद्देश्य के लिए धारा 50 म किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल के संबंध में प्रतिफल के संबंध में प्रतिफल के से अधिक) किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत के जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूत करण के बिना अर्जन की लागत करण के बिना सुधार की लागत वाया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय (ख i + ख ii + ख iii) में की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर केसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या ही ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन ए गत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घाविध पूंजी शित पर परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घाविध पूंजी शित पर परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घाविध पूंजी श्री की पर से से से से से से से पर से से से से पर से से से से से से पर से से से से से से से से से से से से से	वेद्ध प्रतिभूतियां, (ii) वंध पत्रों या जीडीआर, य से (धारा 112 क में के अतिरिक्त कंपनी के वेत ब्यौरा दीजिए:- प्राप्त/ प्राप्त करने विले शेयरों का उचित कंप के अनुसार कोट ल का पूरा मूल्य (क या तियों के संबंध में साधारण अभिन्यास निध्स टी टी संदल है गत अभिलाभ हैं	i क i ख i ग क ii क iii ख i ख ii ख iv ख iv		ख7ग

		क	कोटा नहीं वि	ए जाने व	वाले शेयर के	संबंध में प्र	ाप्त/ प्राप्त	करने i	क			
			योग्य प्रतिफल	का पूरा व	मूल्य ————							
		ख	विहित रीति र उचित बाजार		रत काट न वि	७ए जान व	।ल शयरा व	⊅T ji	ख			
		ग	पूंजी अभिलाभ	मूल्य एके उनेक	न के किन धा	т го пж	_ = 2-711	र क्योर :	π			
		41	पूजा आमलाभ न किए जाने व	। क उद्दर एने चेगजे	यकालए धा हेक्चे चंत्रं धारों	ारा ५० गक गानिकल त	क अनुसा जामा मन	יי מאוכן	11			
			या ख से अधि		प्रश्चय म	श्रातकल प	ग पूरा मूल	4 (47				
		कोट :	न किए जाने वाले		.थनिरिक्त ः	थास्तियों के	मंतंश में		म हां			
	•		न का पूरा मूल्य	71971 4	Ondived C	7111(KIMI M	(199 न		17 11			
	ii		(iग + ii)					c	म iii न			
		. । <u>उ २.</u> रा ४८ के	्रा अधीन कटौति	<u>и</u> ї					· · · · · ·			
	-		रण के बिना अ		ागत				खi			1
			रण के बिना सु						ख ii			
	_		ग या अनन्यता के			य			ख iii			
		iv योग	(खi+खii+ ³	ख iii)					ख iv			
	ग 3	।तिशेष (क	iii– खiv)	-					7 ग			
			गरा ५४छ /धारा ५	4छक के	अधीन कटौत	ी (नीचे म	द घमें ब	गौरे	7 घ			
		वेनिर्दिष्ट क										
			9 पर आस्तियों प		ालिक पूंजी	अभिलाभ	(9ग - 9घ)					ख
			भेलाभ समझी गई						٠			
	क्या नीचे	दिखाए ग	ए पूर्व वर्षों के दौर	गन् अंतरि	त आस्तियों	पर पूंजी अ	भिलाभ की	1 उपयोग	ा में नहीं [:]	लायी ज	ना सकी किसी	
		उस वर्ष वे	ह लिए देय तारीख	ा के भी _त ्	र पूंजी अभिल	न्भ खाता	स्कीम में ज	नमा किय	ग गया है			
	□ हाँ		हीं 🗆 लागू नही	ं नही होत	ा , यदि हाँ, र	तो ब्यौरें उप	ालब्ध कराएं	[
	क्रम संख	य्रा	पूर्व वर्ष में		गरा जिसके	-			-		आस्त्रियों के	
			जिसमें आस्तियां	अधी	नउस वर्ष	पूर्ववर्ष जि		पूंजी अ			र उपयोग	
			अंतरित की गई	म रि	ं जिसमें आस्तियां अर्जि			खाता में			ं की गई या	
			है		ती का दावा	/	क्री गई		ग की गई		ो अभिलाभ ———	
क				।कथ	ा गया	है		राशि			ता खाता वें च्याचेच वें	
ч											में उपयोग में i लाई गई	
											। लाइ गइ ो हुई राशि	
				5.457	/54छ					ज प	। पुरु राग्रा	
	i		2020-21	/549								
					/54छ							
	li		2021-22	/548								
			2022 22		/54 <mark>छ</mark>							
	iii		2022-23	/54₹								
ख	क से भिन	्न दीर्घ अ	वधि पूंजी अभिल	ाभ समई	ो गई राशि	•	<u> </u>					
			भिलाभ समझी ग			ii +ख)						ন্ত্ৰ
			भिलाभ की प्रकृति				ची पीटीआः	ई भरें) (ख	<u>12क1+र</u>	ख 12 क	2 + ख12ख)	ख
	e	<u> </u>	के अंतर्गत 10 प्री	तेशत की व	दर से प्रभार्य व	रीर्घावधि प्रं	जीगत अभिव	<u>्र्र्</u> ताभ की				
	का प्र	कृति में अ	ाय के जरिए पास						ख 11 क1			
	क2	<u>.</u> ारा 112क	को छोड़कर १० !	प्रतिशत र्क	दिर से प्रभार्य	र्विर्घावधिक	र्ग्यूजीगत उ	भभिलाभ	ਯ 1 4 ਛ ੨			
	q ¹ 2 q	ग्री प्रकृति म <u>े</u>	में आय के जरिए प	स					ख 11 क2			
			पूंजी अभिलाभ के						ख 11ख			
	एलटीसी	नी की रक	म जो ख1-ख11	में सम्मि	लेत है परंतु उ	डीटीएए के			कर प्रभा य	र्वावा	नहीं है या	
			ग्रभार्य है ः (अनुसूर्च									
		2000	उपरोक्त	देश	डीटीएए	संधि के	क्या	क्रम		<u>।</u> य	उपरोक्त	
	क्रम	आय		कानाम	की धारा	अनुसार	टीआरसी				मद् सं. ख	
		की	मद् सं. ख			दर (यदि	प्राप्त की	1	रव	मि	1 से ख11	
	क्रम		1 से ख11	और					l l			
	क्रम	की	1 से ख11 जिसमें			प्रभार्य	गई है				जिसमें	
12	क्रम	की	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित	और		प्रभार्य नहीं हो,					सम्मिलित	
	क्रम	की	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया	और		प्रभार्य नहीं हो, शून्य					सम्मिलित किया गया	
	क्रम	की	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित	और		प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट					सम्मिलित	
	क्रम संख्या	की रकम	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	और कोड		प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	गई है				सम्मिलित किया गया है	
	क्रम संख्या (1)	की	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया	और	(5)	प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट		(8)	(9)	सम्मिलित किया गया	
	क्रम संख्या (1)	की रकम	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	और कोड	(5)	प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	गई है		(9)	सम्मिलित किया गया है	
12	क्रम संख्या (1) I	की रकम	1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	और कोड (4)		प्रभार्य नहीं हो, श्नय प्रविष्ट करें (6)	गई है (7)	(8))	सम्मिलित किया गया है	ख

		ब		टिएए के अनुसार भारत में वि					ख12र
				कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1 10 + ख11 - ख12क) (यदि क्ष				ग + ख 8 - ख	ख 13
ग1	पूंजीग	ात ५	अभिल	ाभ आय की राशि (नीचे दी कई त	तालिका ड के 9ii + 9ii	i + 9iv + 9v + 9vi + 9vii	+ 9viii)		ग1
ग2	_			टल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अ	= -:	. सं. ख)			ग2
ग3	"पूंजी	गित	<u>અ</u> भિ	ताभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय	प्र (ग1 + ग2)				ग3
घ				ाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती व					
	1 8			/ धारा ५४ङग/धारा ५४छ /ध		कटौती की दशा में निम्नलि	खित ब्यं	ौरे दें	
			54 घ	के अधीन किया गया कटौती का	दावा				
			i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीर	व		क i	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम		वन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii		
		क क	iii	नई भूमि या भवन की खरीद व			क iii	दिन/मास/वर्ष	
		4'	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत	लाभ लेखा स्कीम में नि	`	क iv		
				(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड			
				दिन/ मास/ वर्ष					
			v	दावाकृत कटौती की राशि			क v		
			धारा 5	4 ड़ ग के अधीन दावाकृत कटौत	<u> </u>				
			i	मूल आस्ति के स्थानांतरण र्क	ो तारीख		ख i	दिन/मास/वर्ष	
		ख	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रे ज्यादा नहीं)	iं में विनिधान की गई [ः]	रकम (पचास लाख से	ख ii		
			iii	निवेश की तारीख			ख iii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	दावाकृत कटौती की राशि			ख iv		
			धारा 5	4 छ के अधीन दावाकृत कटौती					
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के र			गi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण	ा के लिए किए गए ख	र्च और लागत	ग ii		
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र			ग iii	दिन/मास/वर्ष	
		Т	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी	अभिलाभ खाता योजन	ग में जमा की गई राशि	ग iv	-	
					vक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड			
				दिन/ मास/ वर्ष					
			v	दावाकृत कटौती की राशि			η _ν		
			धारा 5	4 छक के अधीन दावाकृत कटौत	<u></u>				
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के			घ i	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण	ा के लिए किए गए ख	र्च और लागत	घ ii		
			iii	एसईजेड मे नई आस्ति के क्र	य निर्माण की तारीख		घ iii	दिन/मास/वर्ष	
	1	घ	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी	अभिलाभ खाता योजन	ग में जमा की गई राशि	घ iv		
				(ivक) निक्षेप की तारीख (iv	vक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड			
				दिन/ मास/ वर्ष					
			V	दावाकृत कटौती की राशि			ਬ v		
		ਤ∙	कुल	दावाकृत कटौती (1क + 1ख +	1ग +1घ)		ङ		

पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 12क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)

प्रशात चा प्रभात चा अभिलाभ (इस स्तंभ को किवल तभी भरें जब संगणित अंक 15% 30% लागू दर दर 10% 20% उटिरोएए दर 7= 1-2-3	٠. ٦	7 11 (-11 (10177	r - Ki Ki zi ii i içi çi								
क . पूँजी अभिवास से का प्रकार की शर्म जा केवल तभी भरे जब संगणित अंक सकारात्मक हो) 1 2 3 4 5 6 7 सुजराई की जाने वाली हानि(इस तभी भरे जब संगणित अंक में अठक				चालू वर्ष का पूंजी	मुजर	ाई की ग	ाई पूंजी ह	गनि	मुजराई की गई दीर्घ	अवधि पूंजी	हानि	मुजराई के
मुजराई की जाने वाली हानि(इस स्तंभ को केवल तभी भरे जब संगणित अंक नकारात्मक हो) 15% (अउड*+ अ४क*+ अ8क*) अ8क* अ8क* अगांव काली हानि(इस अठड अ४क*+ अठड अ४क*+ अछव* अन्य कारात्मक हो) 15% (अउड*+ अ४क*+ अ8क*) अ8क* अरु अन्य अवधि पूजी अभिताभ तर्र अरु अन्य अवधि पूजी अभिताभ तर्र अरु अनु अरु अरु अरु अरु अरु अरु अरु अरु अरु अर				केवल तभी भरें जब संगणित अंक	15%	30%	लागू दर		10%	20%		पश्चात पार वर्ष के पूंर्ज अभिलाभ 7= 1-2-3 4-5-6)
मुजराई की जाने वाली हानि(इस स्तेम को केवल तमि (अउड़"+ अउड़ अकक") श्री केवल संगणित अंक नकारात्मक हो) 15% (अउड़"+ अ4क"+ अ8क") 15% (अउड़"+ अ4क"+ अ6"+ अ2ग"+ अ4क"+ अ6"+ अ37"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ4क"+ अ6"+ अ2ग"+ अ4क"+ अ6"+ अ37"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ4क"+ अ6"+ अ5"+ अ7"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ5"+ अ7"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ5"+ अ7"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ5"+ अ5"+ अ7"+ अ8ग") 15% (अउड़"+ अ5"+ अ5"+ अ7"+ अ5"+ अ5"+ अ7"+ अ5"+ अ5"+ अ7"+ अ5"+ अ5"+ अ5"+ अ5"+ अ5"+ अ5"+ अ5"+ अ5				1	2	3	4		5	6		7
Iii	i	वाली हानि स्तंभ को है तभी भरें ह संगणित ह	ने(इस केवल जब अंक		अ4क*+	अ5ड़ * +	अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+		आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड़ *+	*+ आ2ड़* + आ3ग* + आ6ग*+ आ9ड़*+ आ10*+		
पूंजी अभिलाभ लागू तर अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*) v डीटीएए तर अ9ख* 10% अ9ख* 10% अ14ग *+ अ15*+ अ17ग *+ अ18च*+ अ11क1*+ अ11क2*) पूंजी हानि vii डीटीएए तर अ14ग *+ अ15*+ अ17ग *+ अ18च*+ अ15*+ अ17ग *+ अ18च*+ अ19इ *+ अ11क1*+ अ11क2*) 51टीएए तर अ11क1*+ अ11क2*) viii डीटीएए तर आ12ख ix मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)	ii		15%									
अभिलाभ लागू अ२ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*) v डीटीएए अ9ख* vi वीर्घ अवध + आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ11क1*+आ11क2*) पूंजी हानि vii डीटीएए उ% अभ्राग का का का का का का का का का का का का का	iii	लघु अवधि	30%	अ ऽड़ * + अ श्ख*								
vi तर अव्याप *+ vi वीर्घ आठ*+ आगण *+ अविध आ11क1*+आ11क2*) पूंजी आ4ग *+ हानि आठ*+ आगण *+ अाठ*+ आछ*+ आछ*+ अा11क1*+आ11क2*) viii डीटीएए दर आ12ख ix मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)		ं पूंजी अभिलाभ	लागू	अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* +								
vi वीर्च अवधि अवधि पूंजी हानि आ5*+ आ7ग *+ आ9ड़ *+ आ5*+ आ7ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड़ *+ आ11क1*+आ11क2*) viii डीटीएए दर आ12ख ix मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)	v			अ9ख∗								
पूंजी हानि vii	vi	अवधि		आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड़ *+								
पा	vii	पूंजी हानि		आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड़ *+								
v + vi+vii+viii)	viii			आ12ख								
x मुजराई के बाद शेष हानि (i – ix)	ix											
	x	मुजराई वे	<u> </u>									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है ।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है ।

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार/ तारीख	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	15% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
2	30% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
3	लागू दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
4	डी टी ए ए दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
5	10 % की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
6	20 % की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
7	डी टी ए ए दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
8	30% की दर पर वर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ					

अनुसूची वी.डी.ए			ल परिसंपत्ति के अंत भरा) जाएगा जिसमे	नरण से आय प्रत्येक स्थानांतरण अंतरित किय	ा जाता हो	
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगाया जाना है (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (क) धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है (ख) किसी अन्य मामले मे पिछले स्वामी की लागत।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपति अंतरण से आय (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें			-96			
_	की समस्त सकारात					(अनुसूची बी. पी की मद सं. क 3घ) (अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

		ग् दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग +	1घ +	1ঙ্গ)	, ·	1
क		iश, सकल (कi+कii)			1क	
		धारा २(२२)(ड़) के अधीन लाभांश आय			कi	
		(i) के अलावा लाभांश आय			कii	
ख	ब्याज	, सकल (खां + खांi + खांv)			1ख	
	i		खi			
			व्रां			
			व्रााां			
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में र	giv			
	v		खv			
ग	मशी	नरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	
	धारा	56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है			4.77	
घ	(घi +	घii + घiii + घiv + घv)			1ਬ	
		प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मल्य	घi			
	li		घii			
		गई है. संपत्ति का स्टांप शल्क मल्य	-			
	lii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की	घiii			
		गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क				
		मृत्य				
	lv		घiv			
			-			
	v	में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई	घv			
		है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार				
		मूल्य				
ङ	कोई	-	1 ङ			
	क्रं स					
		धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की			-	
		अस्वीकृति के कारण आय				
		21041 (2101 - 2101 - 2101			_	
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोडी जा सकती हैं				
ङ्	कोर्द .	अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1 ङ	
		जन्म जाम (कृपमा प्रकृति विशादह कर) प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधि	ोत न	<u></u>	2	
), वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय	4VI (I	\¬ <i>J</i>	2 क	
		1, यस प्रशा आयु आराम स दुइ आप 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खा। + खा।। + खार्र	, ₊ Jc	T v + 7a vi)	<u>2</u> य	
<u> </u>		धारा ६८ के अधीन उधार रोकड खा	T 0	av + Givi)	29	
		धारा ६९ के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान खाः।				
		धारा ६९७ के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि खांं।				
		, , ,				
		धारा ६९घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या ख vi				
		पुनःसंदाय रकम			эш	
ग		दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गां से गxiv का योग)	. .		2 ग	
			Ti			
		विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश				
		- () () ()	iक			
	i क	की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय				
		सेवा केंद्र में यूनिट से किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है)				
		या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश				
	ii		Tii			
	<u>"</u>	भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज				
	iii		īiii			
1		अवसंरचनात्मक ऋण निधि				
		धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा ग	ίν			
		194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज				
	IV	194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट् ब्याज्	Īν			

			1.				.0								
		vi	धारा 194ठ	115 व घ में वि	7(1)(क)(iiकर नेर्दिष्ट ब्याज	g) के उ	ग्धीन प्रभा	ये धारा	गvi						
			संवित	रित 🔻	आय जो ध र्मधारा 194ठ				ग∨ii						
			धारा 1	15 क((1)(क)(iii) वे	७ अधीन	प्रभार्य विदेश	र्गी करेंसी	गviii						
		viii	में क्रय	की ग	ाई धारा 10(2	23घ) में वि	वेनिर्दिष्ट यूटी	आई की							
					य पारस्परिक 1)(ख) के अध		गाळाती गा	. भाउ <i>नी</i> म	गiх			_			
		iy			गुरख) के जब गप्त तकनीर्क				*IIX						
			फीस र			1 (1-11-11	1. 1012 (41	11114 11							
					ग के अधीन			ा विदेशी	η_{X}						
					केए गए बांड			- 62-0							
					ग के अधीन केए गए जी.डी				ηχi						
			गुत्रा <u>ग</u>	प्रमा 115 क	घ(1)(i) के उ	^{१.७॥२ ५७ ९} अधीन प्रः	पार्य प्रतिभ	तियों के	η _X ii						
		xii	संबंध	में (ध	ारा 115कख	व में युनि									
			एफअ	ाईआई	द्वारा प्राप्त उ	आय		0 0 3							
					। में निर्दिष्ट ब ई.आई दरों				η _{хііі}						
					र.जाइ दरा i) के अनुसार		રા પ્રાપા પ	गाप-वारा							
			धारा १	<u>। (.) (</u> 15ख	मुखक के अधी विक के अधी में पर कर	न प्रभार्य	अनिवासी रि	<u>बे</u> लाड़ियों	ग _{хіν}						
		XIV	या खेल	ा संगम	ों पर कर										
	घ	विशेष	र दरों प	र प्रभा	र्य के रूप में व	रावाकृत अ	। न्य स्रोतों से	आय की प्र	ाकृति में	पासथ्रू अ	ाय (ड्रापडाः	उन उपलब्ध वि	म्या जाए)	2	
	ड	<u>द्धार</u>	1 और	ं में स	ग्रीमिलित रका	र जो भारत	र में डीटीग्रा	के अनुसा	र तिशेष	टुर्गे पर १	ग्रभार्य के ऋ	ूप में दावाकृत	है (नीचे की	घ	
					ग योग)	1 -11 -11 (1 1 0101	4 -13(11	V1-1V1	4(1 1()		1 1 414121	Q (11 1 11		
					मद			संधि के						1	
					सं.1कi,			अनुसार	क्या						
			,3	11य	1ख से 1घ, 2क,	देश का		दर	टीआ		आय-कर	आय-कर	लागू दर		
		क्रम		กา ที	2ग और	नाम	डीटीएए	नहीं दर्ज	ુ અમિ	אוער	आप प्र. अधिनियम	अधिनियम	(6 या 9	2	
		सं.	र	कम	2 घ	और	की मद	(कुछ नहीं दर्ज करें,	किया है		भी धारा	के अनुसार दर	में से निम्नतर)	ड़	
					जिसमें	कोड		यदि	्र (हां/न	ाहीं)		41	T Takit()		
					सम्मिलित है			प्रभार्य नहीं है)							
		(1)	(2	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	(9)	(10)		
		I													
	emar e-	 	216H-1	- 1 1	<u>-</u> ਜਿਸ਼ ਰਹੁਣ	गीनियों से	िह्य जो अस		्राच औ	र २८ के	- अलीन चिल	 रोष दरों पर प्रभ	प्या अध्या मे		
	यारा ५ <i>१</i> संबंधित		जयान	ФCII	तथा (उनक	टाातपा स	ामञ्ज जा ८५	7, 249, 241,	, 2य जा	९८५ प	जयान ।पन	त्तत तरा तर ध	નાવ આવ સ		
		क	व्यय/व	र्टौतीय	ां (" ग" में इंद	राज के अ	लावा)			3क					
		ख	अवक्ष	यण (तभी उपलब्ध,	यदि आ	य "अनुसूची	ओएस"	की 1ग	में 3ख					
			प्रस्तुत व) 5 अधीन लाभां	ய பர வா	ज राग केर	ਪਕ ਤਾਮੀ ਤ	गलका ज	ब 3 ग					
					वेत आय-मूल्य		ज प्यय (पर	वरा रामा उ	पराज्य ज	ויכ					
					अधीन योग्य		-कलित राधि	रो		3गi					
			योग	3.0	0 1	•				3घ					,
					न की जाने वाल	ी रकम								4	
					भार्य लाभ			0.1.			2.2			5	
_	सामान्य	लागू भ भे न	दर्श पर	प्रभाये	अन्य स्रोतों से	। शुद्ध आय	१ (१ (डीटीए)	ए हिस्से से	संबंधित	आय का	। करने के ब	बाद) – 3 + 4 +	- 5) (यदि	_	
6	कुछ नह	। ह त	ા અનુસ્	्या सा	वाईएलए का उ	अ क 41 (1)								6	
Ι				_ , \			<u> </u>		· · · · ·		~ *				
										ा शून्य	प्रावष्ट करे	, यदि नकारा	त्मक हैं)	7	
8				- स्वा	मेत्व और उन	नक रखरर	धाव के कि	याकलाप र	स आय	1 -	.				
	<u>क</u>		प्तियां		~ ` `	· · . v	·	0	<u> </u>	8 क				_	
	ख				प्राप्तियों के			अधीन व	हटौतिया <u>ं</u>						
	ग	धा	रा 58	के अध	धीन कटौती व	नहीं की व	गई रकमें			8ग					

	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभा	र्य लाभ			8 घ				
	ङ	बकाया (8क - 8ख + 8ग + 8१	ग)						8 ङ	
9	"अन्य स्रो	तों से आय" शीर्ष के अधीन आ	य (7 + 8ङ)	(8 ङ को शून्य	ले,	यदि नक	गरात्मक हो <i>)</i>		9	
10	अन्य स्रोत	ग ों से आय के उदभूत/प्राप्ति होने	के बारे में सूच	ना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक		6/9 से 5/12 तब		16/3 से 31/3 तक		
			(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)		
		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. ,			. ,			
	1	लॉटरियों, क्रांस वर्ड पहेली,								
		दौड़, खेलों, जुए, बाजी आदि								
		से जीत								
		धारा 115खखञ के अधीन								
	2	आनलाइन गेम से जीत								
	3	क्रम सं. 1क(i) में निर्दिष्ट								
	3	लाभांश आय								
		20% की दर पर धारा								
		115क(1)(क)(अ) के परंतुक के								
	4	अनुसार से भिन्न, धारा								
	-	115क(1)(क)(i) के अधीन								
		लाभांश आय (पीटीआई आय								
		सहित)								
		10% की दर पर धारा								
	5	115क(1)(क)(अ) के परंतुक के								
		अधीन लाभांश आय (पीटीआई								
		आय सहित)								
		10% की दर पर धारा								
	6	115कग के अधीन लाभांश								
		आय								
		20% की दर पर धारा								
	_	115कघ(1)(i) के अधीन								
	7	लाभांश आय (धारा 115कख								
		में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न)								
		(पीटीआई आय सहित)						1		
	8	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश								
		आय								

अनुर	रूची ओए	साधारण		
		क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? ¶? 🕟 हाँ 🛭 नहीं 🛮 (यदि हां	तो कृप	या निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)
	1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
		शाखाओं की संख्या	2	
		पूर्व वर्ष में लेखांकन की पद्धति 🗹 (का निशान लगाएं) 🔲 व्यापारिक 🗆 नकद	3	
		क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है 🗹 (का निशान लगाएं) 🗆 हाँ	4	
		धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्व वर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
	6	पूर्व वर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
		कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें,यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)		

	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)		
1	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है (छ का निशान लगाएं) □ हाँ □ नहीं		
Ī		धारा 145 क अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

	_					0 1 0 :						
अन्		– कार				ग वृत्ति से आय की संगणना						
	अ					कारबार से भिन्न, कारबार या व						
		1	कर पूर्व	लाभ	आय और व्य	य खाते के अनुसार कर से पूर्व ला	भ (जैसा व	तागू हो)		1	1	
		2क				ारबार से शुद्धँ लाभ या हानि (ह	ानि की ट	शा में - का चिन्ह	2क			
			प्रविष्ट करें) 1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि									
		2ख					शुद्ध लाभ या हानि	2ख				
			(हाान	का द	शा म - का ा	वेन्ह प्रविष्ट करें)						
							क	गृह संपत्ति	3क			
							ख	पूजी अभिलाभ	3ख			
							ग	अन्य स्रोत	3ग			
							गi	लाभांश आय	3ग i			
		_	धारा 1	15खर	खज के तहत	प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीष	र्गी	लाभांश आय के				
		3				। हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय		अलावा	3गii			
			,			,				0		
								धारा 115खखज		(अनुसूची		
							ঘ	के तहत अधिग्रहण	3घ	वी.डी.ए		
								की शुद्ध लागत,		की मद सं.		
		_	4 + + + +			n 	1 cm 4	यदि कोई हो)	475	क)		
						हानि, जो आय कर अधिनियम व ौर हानि लेखा में जमा आय, जो			4क			
		5			लत) लाभ अ / फार्मों से अ		<u> </u>	η ξ				
						14 का अश ई से आय का अंश	5क		-			
			હ	<u>स्कार</u>	ग्रा कर ग	इ.स.जाय का जरा प्त आय (प्रकृति रकम	5ख					
료			ग	काइ विर्नि	अन्य छूट प्रा देष्ट करें)	प्त आय (प्रकृति स्कम						
.अ				i			गi					
ते से				ii			गii					
कारबार या वृत्ति से आय				iii	कुल (गां +	गii)	5गiii					
या			ঘ	कुल	आय पर छू	ट (5 क + 5 ख + 5 ग iii)			5 घ			
बर												
गर			बकाया	बकाया बह (1– 2 क – 2 ख – 3 क - 3 ख – 3 ग - 3 घ – 3च - 3छ - 4क - 4ख – 5 घ								
Ю		6									6	
				£			क	स्वामित्व संपत्ति	7 क			
		7				i विकलित व्यय आय के अन्य मझा जाएगा।	ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
			शाप प	, अध	יח אוויא אי	मञ्चा जाएगा।	ग	अन्य स्रोत	7ग			
								धारा ११५खखज				
							घ	(अधिग्रहण की				
								कीमत के अलावा)				
		8	कुल ((7क -	+ 7ख+ 7ग)			8			
		9	समायो	जित	लाभ या हान्	ने (6 + 8)					9	
						विकलित अवक्षयण और अपक	रण				10	
		11	आयक	र अधि	<u>धेनियम के उ</u>	भधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
			i	धारा	32 (1)(ii) वे	5 और धारा 32(1) (iiक) अधीन र	अनुज्ञेय अ	वक्षयण	11i			
						ज्धीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अ	ायकर नि	यम का परिशिष्ट 1	11ii			
		का निद्ध करत हुए स्वय अपना संगणना कर)										
			iii	कुल	(11i + 11ii))					11iii	
		12	अवक्षय	ाण के	लिए समाय	जिन के पश्चात् लाभ या हानि (9	+10 - 1	1iii)			12	
						य सीमा तक लाभ और हानि ले			13			
						य सीमा तक लाभ और हानि ले			14			
		15	धारा ४	0 के	अधीन अनुज्ञे	य सीमा तक लाभ और हानि ले	खा में वि	कलित रकम	15			
		16	धारा ४	०क वे	र्ग अधीन अन्	गुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि	लेखा में	विकलित रकम	16			

	17	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित को अधीन अनुज्ञेय हैं	·	J	1	7		
	18	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, ब्याज	2006 की ६	गरा 23 के अधीन अनु	र् ज ़िय 1	3		
	19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			19	9		
		धारा ३२कग / ३२कघ / ३३कख / ३३कखक /	/ 35कखर	त्र / 32 कग / 40				
	20	क(3क) / 33कग / 72 क के अधीन समझी ग			2	י ו		
		धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			2	1		
	22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई			2	2		
	23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागी	कोई अन्य दार है, वेत	आय/कोई अन्य व्यय नि, कमीशन बोनस	जो और 2:	3		
		ब्याज सहित)	20 21	22 22			24	
		कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	20 + 21+	22 +23)		- 1	24	
		धारा 32(1) (111) के अधान अनुज्ञय कटाता धारा 32कग के अधीन कटौती के रुप में अनुज्ञेय रव	ETT		2			
	26							
	27							
	27							
			_					
	28							
	29							
	30	कोई रकम कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम			3()		
		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी य	ा हानि में ब	ढ़त कमी और स्टॉक				
	31	मुल्यांकन के तरीके में बदलाव		*	3	1		
	32	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)					32	
		आय(12+24+33)					33	
		निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -						
		i धारा ४४कड		34i				
	35	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शु	न्ट लाभ या		I		35	
	55	नियम 7क, 7ख,या 7ग 8लागू करने के पश्चात स			य से भिन	ा कारबार या	33	
	36	वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7र करें)	ख,या 7ग 8	लागू नहीं है तो 35की	वही रक	म यथाप्रविष्ट	अ36	
आ	सदा वे	र्व कारबार से आय की संगणना						
		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारब	ार से शद्ध	लाभ या हानि			37	
		धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	3-0.				38	
		धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां					39	
	40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 + 3	9)				ख40	
द	धारा :	5 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की	<u>र्ग</u> संगणना				CITO	
, 								
		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारब	।।र स कुल	लाभ या हानि			41	
	42	धारा 28 से 44घख के अनुसार जोड़					42	
	43	धारा 28 से धारा 44 घख के अनुसार कटौतियां अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन क	(धारा 35क तीती से थि	घ(ii), 32 या 35 जिस न्र)	में धारा	35 कघ के	43	
	44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42		••,			44	
		धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	3)				45	
		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)					इ 46	
		है (ड्रॉप डाउन						
	47	547						
ई48		कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' के अधीन प्र	प्रभार्य आय (<mark>अ36+आ40+इ46</mark> +३	अ3घ)		ई48	
उ	चालू	वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा 						
	क्र. सं.	मुजरा पश्चात	बची हुई	कारबार आय				
	L	या सकारात्मक		(2)		(3)	= (1) -	- (2)
	i							
	ii	अंक नकारात्मक है) सट्टे के कारबार से आय (ख40)						
	1	(5.70)			1			

	iii	विर्निदिष्ट कारबार से आय	(ग46)	
	iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii	()	

अनर	मची	सी.वाई.एल.ए. चालू वर्ष	की हानियों का मजरा क	रने के पश्चात आय के	व्यौरे		
~ J	<u>क्र</u> .	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय	चालू वर्ष में मुजरा	चालू वर्ष में मुजरा की	चालू वर्ष में मुजरा	मुजरा करने के
	सं.		(इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य	की गई गृह संपत्ति की हानि	गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से	की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न)	पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			हो या सकारात्मक हो)	कुल हानि	भिन्न)कारबार हानि	अन्य स्त्रोंतों से हानि कुल हानि	
				(अनुसूची- गृह संपंत्ति का 34)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी. के मद	(अनुसूची -ओ.एस	
			1	2	ड़ का 2 v) 3	का 6) 4	5=(1-2-3-4)
		समायोजित की जाने	•		<u> </u>	-	3-(1-2-3-4)
		वाली हानि					
	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट					
		आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को					
		छोड़कर)					
	iii	सट्टाबाजी से आय					
	iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
፲	v	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक					
듇		पूंजी अभिलाभ					
<u>F</u>	vi	30 प्रतिशृत की दर से					
- ਚ ਚ		कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
अप्रनीत की गई हानि का समायोजन	vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
अग्रनीत व	viii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी					
		અમિ लाभ					
	ix	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	х	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
		डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	xii	अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (घुड़दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
		दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
	xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
	χV	मुजरा करने के पश्चात् शे	ष हानि				

अन्स	ची पीटी	आई धा	रा ११५५क, १	15पख के अ	नसार का	रबार न्य	ास या विनिवेश निर्ि	धे के पास	के माध्यम से	आय के ब्यौरे	
.36	क्रम	धारा	कारबार	कारबार	क्रम		आय का शीर्ष	चालू	निवेश	निवल	ऐसी
		115पक/115पख	न्यास/	न्यास/				वर्ष	कोष	आय/क्षति9=7-8	रकम
		द्वारा सम्मिलित	विनिवेश	विनिवेश				आय	द्वारा		पर स्त्रोत
		निवेश सत्ता	निधि का	निधि का				9114	द्वारा वितरित		स्त्रोत
			नाम	स्थायी					चालू वर्ष क्षति का		पर कर
				खाता					क्षति का		कटौती,
				संख्या					हिस्सा		यदि
											पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह स	।पात्त अभिलाभ				
		ાવગ્યા ખાના ફ)			- 11	<u>पूजा</u> क	जामलाम अल्पकालिक				
						97	अवधि अवधि				
						कi	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक				
							अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	112क से भिन्न				
							धाराएं				
					iii	अन्य		•	•	•	
					क	लाभां	श				
					ख	अन्य					
겠고					iv		की गई आय जो छू	ट प्राप्त होग	I		
पास के माध्यम से आय						क	धारा के				
ध्यम						77	अधीन धाराके				
표						ख	, धाराक अधीन				
स						ग	धाराके				
₽							अधीन				
							यां जोड़े				
	2.				i	गृह स	<u> पित्ति</u>				
					ii		अभिलाभ	1	1	T	
						क	अल्पकालिक				
						<u> </u>	अवधि				
						कi	धारा १११क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	अवाध धारा 112 क				
						खii	112क से भिन्न				
							धाराएं				
					iii	अन्य	· ·	<u> </u>	<u> </u>	l	<u> </u>
					<u> </u>	लाभां					
					<u>.</u> ख	अन्य					
					iv		की गई आय जो छू	। ट प्राप्त होग	1	1	
						क	धारा के	(1 (1			
						75	अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धाराके				
						-:-	अधीन				
टिप्प		टम असम्ब	ो को भरने के	्रिया अन्तरेक	ار سا ل ي ا		यां जोड़े १ ।				
ıcw	4 Iv	इस अनुसूच	। का मरन क	।लए अनुदश	।। का ।नद	ारात क	١ ٢				

VI AII	सआई विशेष दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)				
क्र		$\overline{\mathbf{A}}$	विशेष दर	आ य	उस पर क
सं.				(i)	
			(%)		(ii)
	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एस.टी.सी.जी)		15		
2	115कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नही किया गया है)		30		
3	112 परंतुक (सुचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)		10		
4	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों/ जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)		10		
5	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)		10		
	११२ (अन्य पर एल.टी.सी.जी)				
7	112क (कारबार न्यास की साधार शेयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है		10		
8	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी				
	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी				
10	धारा 1 द क्या (अनिवासियों टारा लाज़ के क्या में या लाँ। ट्रम या		10		
11	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बांण्डस के लाभांश पर आय		10		
12	115 खख (लाटरी, पहेली,दौड़ों, खेल आदि से जीत)		30		
13	115खखञ (आनलाइन गेम से जीत)		30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
14	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपति के अंतरण से आय पर कर				
	i कारबार या वृत्ति से आय		30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ii पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय		30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
	115 खखड़ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग, या 69घ के अधीन आय)		60		
	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)			(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय			(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))	
	15% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय		15		
	30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पासथ्रू आय		30		
	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रृ आय		10		
	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय		20		
	धारा 112 क से भिन्न 10% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास		10		
23	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय			(अनुसूची ओएस का 2घ)	
			योग		

थनग	नी 1	१८७२ म. १४४ १ ००२ म. १५४ १००२ म. १५५७२ म.	था 12	निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/
অনুন্		10(23 1 (V)/ 10(23 1 (VI)/ 10(23 1 (VI4/)]		
	1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
	2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2	
	3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
	4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से 4i		
		आस्ति की एफ.एम.वी		
		(ii) 12कख या धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन सृजन या वि ii		
		स्थापन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/		
		अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के		
		दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी., यदि क्रमश: धारा		

	11 और धारा 12 या 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(viक)के अधीन फायदा उक्त अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया है			
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित अस्तियों का एफ.एम.वी	4iii		
	(iv) কুল (4i + 4ii + 4iii)		4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व		5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5] के अनुसार अभिवृद्धि आय		6	
	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आ	य-कर	7	
	115नञ के अधीन संदेय ब्याज		8	
	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण		9	
	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज		10	
	आय और संदत्त ब्याज		11	
12	संदाय/प्रत्यपर्णीय (10 - 11)		12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुष	सूची -	खखझ धारा 115खखझ के अधीन कतिपय संस्थाओं की निर्दिष्ट आय		
	क्रम सं.	विशिष्टियाँ		रकम
	1	धारा 10(23ग) या धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट समझी गई आय	1	< अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >
		धारा 11(1ख) के अधीन आय	2	< अनुसूची घ के स्तंभ ८ का कुल >
	3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय जिसे आय माना जाए जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	5	
	4	आय जो धारा 10(23ग) के धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो।	4	
	5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5	
	6	संचित आय आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के आनुज्ञेय नहीं हो	6	
	7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7	

अ	नुसूची	एफएसआ	ई	भार	भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
	क्रं.	देश का	कर संदायकर्ता की	क्रं.	आय के	भारत के बाहर	भारत के	भारत में ,सामान्य	भारत में	यदि धारा ९० या	
			पहचान संख्या	सं	शीर्ष	से आय (भाग	बाहर	उपबंधों के अधीन	उपलब्ध कर		
		फाइलिंग				ख-टी आई में	संदत्त कर	ऐसी आय पर कर	राहत	अधीन राहत कर ्	
ᄓ		उपयोगिता				सम्मिलित)		. संदेय	(ड़)(ग) या	दावा किया गया है	
4		में								तो डीटीएए का	
कि		उपबंधित							कम हो	सुसंगत अनुच्छेद	
1		किए जाने									
व		वाले ड्रॉप			(क)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ङ)	(च)	
동		डाउने)									
भारत से बाहर होने वाली आय और कर रहत	1			i	गृह संपत्ति						
<u>न</u> ्					कारबार या						
4E				ii	वृत्ति पूंजी						
1				•••	पूंजी						
ज्ञ				iii	अभिलाभ						
ᄓ				iv	अन्य स्रोत						
불				कुल							
	2			i	गृह संपत्ति						
				ii	कारबार या						
				"	वृत्ति						

			iii	पूंजी अभिलाभ				
			iv	अन्य स्रोत				
		9	कुल					
टिप्प	ण ▶	कृपया इस अनुसूची को भ	रने के	लिए अनदेशों	के प्रतिनिर्देश करे	`		

अनु		- टी. आर भा	रत से बाहर संदत्त करो	iं के लिए दावाकृत कर राहत की संक्षि	भ्रप्त जानकारी (निवासी के मा	मले म	उंपलब्ध)	
	1	दावाकृत चाहे गए) व	र राहत के ब्यौरे					
		देश का कोड	करदाता की पहचान	भारत के बाहर कुल संदत्त कर	हर कुल संदत्त कर कुल कर राहत उपलब्ध के संबंध में अनुसूची (देश के संबंध में अनुसूच् ई के (ग) का योग)) एफएसआई के (ड.) का य			
			संख्या	(प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची	(देश के संबंध में अनुसूर्च	ı)	दावाकृत राहत	
हत				एफएसआई के (ग) का योग))	एफएसआई के (ड.) का ये	गि)	(90,90क, या 91 विनिर्दिष्ट करें)	
र रा								
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत		(ক)	(ख)	(1)	(ঘ)	(ङ)		
लेए								
фf								
<u>ه</u>								
त्त								
संद			कुल					
इर	•	जहां डीटीएए लागू	2					
٩II		योग का भाग)	2					
। से	3	जहां डीटीएए लागू	नहीं होता है उस देश वे	रु संबंध में कर राहत (धारा 91) (1	(घ) के योग का भाग)	3		
ार	4	क्या भारत के बाहर	कोई कर संदत्त है जिस	पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, ज्या गया है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे	उसे विदेशी कर प्राधिकरण	4	हां/नहीं	
ਜ	4	द्वारा इस वर्ष के दौर	ान प्रतिदाय / प्रत्यय वि	त्र्या गया है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे	दें	- 1		
		क प्रतिदाय कर व			जेसमें भारत में कर राहत अ	नुज्ञात	ा क हैं	
	टिप्प	ण ▶ कृपया इस	अनुसूची को भरने के लि	ए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश				

.21 <u>-</u>	चनी	एफ ए	7	णाउन के	बाह्य किय	ਹੀ ਪੀ ਜ਼ਹੇਤ	मे तिने	जी .थर्ग	स्तयां और	.थाग का र	ਗੀਤਾ					
ΟŲ	सूट। अ1	31 G	मंबर 2	<u> ११६५ को</u>	समाप्त केल	ा ना स्नात विंडर वर्ष के	दौरान	केसी स	मय विदेशी	निक्षेपागार	जारा खातों के ब	योरे (जिसवे	रु अंतर	ति फाय	दाग्राही हित	न भी है)
		क्र सं		देश का	देश का	वित्तीय	विर्त्त	ोय ी	जेप	खाता	प्रास्थिति	खाता	अर्वा	धि के	अंत	अवधि
			-	नाम	कोड	संस्था	संस्थ		कोड 🏻	सं.		खोलने	दौरा		अतिशेष	के
						का नाम	का प	गता				की		क्तम		दौरान
												तारीख	अति	शिष		खाते में
																संदत्त
																या जमा
																सकल
\$		(1)	-	2)	(2)	(4)	/E\		(6)	(7)	(0)	(0)	/10	`	(11)	ब्याज (12)
न्धि		(1) (i)	- '	(2)	(3)	(4)	(5)	•	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
∤6		(ii)														
<u>F</u>			ਧੰਕਤ 🤉	റാമ കി	। समान कै	। ਜੇਂਟਰ ਨਾਂ ਕੇ	्र टीगन	किमी १	ी च्याम शा) वेत तिटेशी	.थगिउथा उ	। वाने के ह्यौं) रे (त्निय	पके अंत	। र्गत फायदाः	पारी हित
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे		भी है)	194, 2	023 471	रामाना प्र	राठर पन प	· QIXI'I	197(11 •	ग रागम पा	रता । अपूरा।	ાન(લા (31(1 47 941	(191	.197 91(1	गरा मगमप्रा	AIQI IQII
æ Æ		क्र	देश	देश	वित्तीय	वित्तीय	जिप	खाता	प्रास्थिति	खाता	अवधि वे	र्ग अंत		अवधि व	के दौरान ख	ाते से
कु		सं.	का	का	संस्था	संस्था	कोड	₹і.		खोलने	दौरान	अति	शेष	संदत/ज	नमा सकल र	रकम
4			नाम	कोड	का	का				की	अधिकत			(ड्राप ड	ाउन उपबंधि	धेत किया
					नाम	पता				तारीख	अतिशेष				समें रकम्	
	अ2														ष्ट्र हो जैसे वि	
															गाभांश/विक्र	
															ं या वित्तीय _'	
				(2)						(0)				का माच	ान/अन्य आ	4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1	1)		(12)	
		(i)														
L		(ii)														

ı				723 प्रा ग्राही हि		न्लंडर वर्ष	क दारान	किसी भी	समय किसे	ी इकाई द्वारा	धारित वि	दशा सा	धारण	और ऋ	ण ब्याज वे	^{ज्यौरे} (जिसके
		क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि दौरान अधिकः अतिशेष	के तम प्र	अंतमू	ें इ स स उ	मवधि के ,ौरान ति के ंबंध में ंदल या मा कल कम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का मोचन
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)		12)	(13)
		(i)														
		(ii)				<u> </u>										22.0
	अ4	31 दिख <u>अंतर्गत</u>	संबर , 20 फायदा)23 को ग्राही हि	समाप्त वै त भी है)	व्लेंडर वर्ष	के दौरान	। किसी भी		त विदेशी नक	व्द मूल्य र्ब	ोमा संवि	वेदा या	वार्षिक	ो संविदा वे	ज्यौरे (जिसके जिसके
		क्र सं		देश व	हा नाम	देश कोड	सं बी	त्तीय स्था जिसमें मा संविदा ो गई का म	वित्तीय संस्था पता	का जिप		संविदा तारीख			् मूल्य अभ्यर्पित	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
		(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)
		(i)														
		(ii)														
		31 दिख हित भी क्र सं.	है) देश का नाम)23 का जि को	प व	र्गी इक रुति न	गई ब	याज की कृति-सीधे	रखने	कुल विनिधान	ऐसे	14 ।हत आ की प्रकृ	य इ	इस विव पेश कि		
			और कोड			प	ता फ	गयदाग्राही वामी /		(लागत पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय		יום ז	रकम	जहां अनुसूर्च पेश की	
		40	कोड		- (0)	प	ता फ स्ट हि	गयदाग्राही वामी / इताधिकरी	से	पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय				अनुसूर्च पेश की गई है	संख्या
		(1)			g) (3)	प	ता फ स्ट हि	गयदाग्राही वामी / इताधिकरी		पर) (रु.	प्रोदभूत			रकम (10)	अनुसूर्च पेश की	
		(1) (i)	कोड		ব্র) (3)	प	ता फ स्ट हि	गयदाग्राही वामी / इताधिकरी	से	पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय				अनुसूर्च पेश की गई है	संख्या
		(i) (ii)	(2क) (2₹		(4)	ता फ स्ट हि	नयदाग्राही वामी / इताधिकरी 5)	(6)	पर) (रु. में) (7)	प्रोदभूत आय (8)	(9)		(10)	अनुसूर्च पेश की गई है (11)	संख्या
	ग	(i) (ii) 31 दिर	कोड (2क संबर, 20) (2₹		(4)	ता फ स्र हि (5	ायदाग्राही वामी / इताधिकरी 5)	से (6)	पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय (8)	(9)	र्गत फार	(10) यदाग्राह	अनुसूर्च पेश की गई है (11)	संख्या (12) है)
	ग	(i) (ii)	कोड (2क संबर, 20 . देः ना) (2र) (2र)))) (23 को) (1 का) म		(4)	ता फ स्ट हि	ायदाग्राही वामी / इताधिकरी हो किसी भी	से (6) समय अचल अर्जन की	पर) (रु. में) (7)	प्रोदभूत आय (8)	(9)	र्गत फार र • • •	(10) यदाग्राह	अनुसूर्च पेश की गई है (11)	संख्या (12) है) कराधेय और
	ग	(i) (ii) 31 दिर	कोड (2क संबर, 20 . देश ना) (2र) (2र)))) (23 को) (1 का) म	समाप्त कै जिप	प् (4) ज्लेंडर वर्ष संपत्ति	ता फ स्व हि (5 के दौरान स्वार्गि सीधे फाय-	ायदाग्राही वामी / दताधिकरी ं) किसी भीः नेत्व-	से (6) समय अचल अर्जन	पर) (रु. में) (7) त संपत्ति के व कुल	प्रोदभूत आय (8) ब्यौरे (जिस	के अंत	र्गत फार	(10) यदाग्राह	अनुसूर्च पेश की गई है (11) ही हित भी वरणी में	हैं) कराधेय और याज अनुसूची ची की मद
	ग	(i) (ii) 31 दिर	कोड (2क संबर, 20 . देः ना औ) (2र) (2र)))))))))))))))))))	समाप्त कै जिप	प् (4) ज्लेंडर वर्ष संपत्ति का	ता फ स्व हि (5 के दौरान स्वार्गि सीधे फाय-	ायदाग्राही वामी / व्याधिकरी) नेत्व- दाग्राही ो / धिकारी	से (6) समय अचल अर्जन की	पर) (रु. में) (7) त संपत्ति के व कुल विनिधान (लागत पर) (रु.	प्रोदभूत आय (8) व्यौरे (जिस संपत्ति से प्राप्त	के अंत	र्गत फार ं ते	(10) यदाग्राह इस वि पेश क्रि	अनुसूर्च पेश की गई है (11) ही हित भी वरणी में जहां अनुसू पेश व	हैं) कराधेय और याज अनुसूची ची की मद
	ग	(i) (ii) 31 दिर क्र सं	कोड (2क संबर, 20 . देः ना औ) (2र)) (2र को रा का म रा रा	समाप्त कै जिप कोड	प्ते (4) लेंडर वर्ष संपत्ति का पता	ता फ स्व हि (5 के दौरान स्वार्गि सीधे फायः स्वार्म हिता	ायदाग्राही वामी / व्याधिकरी) नेत्व- दाग्राही ो / धिकारी	सं (6) समय अचल अर्जन की तारीख	पर) (रु. में) (7) त संपत्ति के व कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय (8) संपत्ति से प्राप्त आय	े (9) के अंत आय की प्रकृति	र्गत फार ं ते	(10) यदाग्राह इस वि पेश कि रकम	अनुसूर्च पेश की गई है (11) वरणी में वरणी में जहां अनुसू पेश व गई है	संख्या (12) है) कराधेय और याज अनुसूची ची की मद
	ग	(i) (ii) 31 दिर क्र सं	कोड (2क संबर, 20 . देः ना औ) (2र)) (2र को रा का म रा रा	समाप्त कै जिप कोड	प्ते (4) लेंडर वर्ष संपत्ति का पता	ता फ स्व हि (5 के दौरान स्वार्गि सीधे फायः स्वार्म हिता	ायदाग्राही वामी / द्वाधिकरी) नेत्व- दाग्राही ो / धिकारी	सं (6) समय अचल अर्जन की तारीख	पर) (रु. में) (7) त संपत्ति के व कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	प्रोदभूत आय (8) संपत्ति से प्राप्त आय	े (9) के अंत आय की प्रकृति	र्गत फार ं ते	(10) यदाग्राह इस वि पेश कि रकम	अनुसूर्च पेश की गई है (11) वरणी में वरणी में जहां अनुसू पेश व गई है	हैं) कराधेय औव याज अनुसूर्व वी की मत

	क्र सं	का		जिप कोड	र्क	f	स्वामित्व- सीधे	अर्जन की तारीख	कुल विनिध	गन से		आय की	पेश किर	रणी में करा या गया ब्याज	न
		नाम औ को	₹		y ·		फायदाग्राही स्वामी / हिताधिकारी	ताराख	(लागत पर) (र में)		दभूत ाय	प्रकृति	रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनु की संख
	(1)	(20	চ)	(2ख)	(3	5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(i)														
	(ii)														
ङ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसने फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।													सके उ		
	क्र सं.	संस्थ का	ा संर का	था	देश का	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष दौरान	अं	या पिक	यदि (7)हां है तो	यदि (विवरण	7) हां में है ी में पेश की	, तो इ गई अ
		नाम जिसमे खाता रखा है	ं पत ों		नाम और कोड				उच्चत अतिशे / विनिध (रु. में	ोष प्रो आ गन क	दभूत	है तो खाते में प्रोदभूत राशि	रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनु [,] की संख
	(1)	(2 क)	(23	ख)	(3 क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(i)														
	(ii)														
च	भारत	से बाहर	देश क	ी विधि	ों के अ	धीन बन	ए गए न्यासों वे	p ब्यौरे जि	समें आ	प न्यासी,	हिताधि	कारी या	 व्यवस् था प	क हों	<u>I</u>
	क्र. सं	देश का नाम	जिप को ड	न्या स का	यों ना	के म	व्यवस्थापक का नाम और पता	हिताधिव यों के ना और पते		वह तारी ख	क्या आपर पास		विवरप	3) हां में है, त गी में पेश र्क	तो इस ो गई
	0	और नाम और पते को और ड पता					जब से प्रोद पद त अ धारित का किया करा गया है य है		य है, तो	म	जहां अनुसू ची पेश की गई है	अनुर ची क मद संख्य			
	(1)	(2क)	(2)	(3)	(4))	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)	П		1 -	1		-								_

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i)उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

	,	****	101 11 14	•							
व्यक्ति कराधेय है। अनुसूची पेश की गई है (1) (2क) (2ख) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	न	नाम और	जिप कोड	प्राप्त हुई			आपके			ाय	
(i)		काड		का नाम			कराधेय	रकम	अनुसूची पेश की	अनुसूची की मद संख्या	
)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(ii))										
	i)										

(ii)

टिप्पण कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

अनुसूची एस.प	र्च उ	असूचीबद	द्र कंपर्न	ो की शेयर धृी	ते							
यदि आप अस्	्चीबद्ध कंप	ानी हैं तो	कृपया	निम्नलिखित ब	पौरे दें ;-							
पूर्ववर्ष के अंत	। में शेयरधृ	ते के ब्यौ	रे									
शेयर धारक	भारत में ि	नेवासी	शेयर	पैन	अर्जन की त	गरीख	धारित शे	यरों की	प्रतिशेय		ार निर्गम	प्राप्त रकम
का नाम	प्रास्थि	ाति	का				संख	यां	अंकित मृ	ल्य किं	ोमत	
			प्रकार							,		
पूर्ववर्ष के अंत	में आबंटन	लंबित र	हते हुए	साधारण शेय	र आवेदन धन	राशि के	ब्यौरे					
शेयर धारक	भारत में '	निवासी	शेयर	का पैन	आवेदन की	आवेरि	देत शेयरों	प्राप्त	आवेदन	प्रतिशेयर अंवि	न्त प्रस्त	नावित निर्गम कीमत
का नाम	प्रास्थि	ग ति	प्रका	र	तारीख	की	संख्या	की ध	ानराशि	मूल्य		
शेयरधारकों वे	p ब्यौरे जो प	पूर्ववर्ष के	ं अंत मे	ंशेयर धारक	नहीं हैं किन्तु प्				य शेयर धार	क थे		
शेयर धारक	भारत में	शेयर	पैन	धारित	प्रतिशेयर		यर निर्गम	प्राप्त	अर्जन की	तारीख	अस्तित्वह	
का नाम	निवासी	का		शेयरों की	अंकित	व	गेम त	रकम	तारीख	जिसको	होने र्क	ो दशा में
	प्रास्थिति	प्रकार		संख्यां	मूल्य					वह	रीति	शेयरधारक र्क
										शेयरधारक		स्थायी खाता
										नहीं रहता		संख्या
										है		

			<u>भाग -ख</u>		
भाग		रुल अ			
	भाग	ख1	– अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या धारा10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/		
	10(23	<u>ग)(vi</u>	क) के अधीन छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो		
	1		115खखग के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय और अनाम संदान (कॉर्पस से भिन्न) [अनुसूची वी सी	1	
		का (ग	I- का- खा+ड.)]		
	2	धारा	115 खखग के अधीन अनाम संदान से भिन्न कॉर्पस का भाग बन रहा स्वैच्छिक अभिदाय	2	
		[બનુસ	नूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)] धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के		
		क	विशेष (२)(७) के अधान आधसूचित स्थानी के विशेष विशेष विशेष विशेष प्रतिनिधित्व दान क		
		(۲	[अनसूची वी.सी का का क + खांक]		
		ਹਰ	उपर्युक्त से भिन्न कॉर्पस [अनसूची वीसी का का क + खांक] ख		
		उपरो	क्त 1 में सम्मिलित अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11, धारा 12 और		
	3	धारा -	10 (23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi) तथा 10(23ग)(viक) में निर्दिष्ट कुल आय (अनुसूची ए आई	3	
	•	ग १८ का १८		_	
	4		11(1)(ग) के अधीन छूट योग्य राशि	4	
			बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या	क	
		ख		ख	
आय का विवरण	5	अनुप्र	युक्त आय (1+3-4 (क1- अनुसूची क का क1क))	5	
4	6	पूर्त य	। धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-		
8			गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीम्ड आवेदन,		
垣		i	15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क से	6i	
۳			क्रम सं. छ]		
		ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की सारणी क2 की क्रम सं. 4]	6ii	
			गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित या जमा		
			(न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अननुज्ञात) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिंदिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए	~···	
		iii	विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की	6iii	
			सारणी एआई का क्रम सं. 4]		
			वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2)		
		iv	के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त समझी गई रकम	6iv	
			क यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक	
			ख यदि हां, प्ररूप सं. ९क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख	
			पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या		
			पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा		
		v	10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15	6v	
			प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित -(अनुसूची क		
			का क1)]		

		vi	उपर्युक्त v में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ – यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती	6vi	
			है। <एफ वाई 2023-24 के लिए अनुसूची आई का स्तम्भ 2> व्यदि उपरोक्त (vi) लागू है, तो क्या प्ररूप संख्या 10 निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत		
			^भ किया गया है		
		::	ख यदि हा, तो प्ररूप संख्या 10 प्रस्तुत करने की तारिख (दिन / मास /वर्ष) कुल [6i +6ii+6iii+6iiiक +6iv+6v+6vi]	6vii	
H	7	जोडें	3/1 [01 +011+0111+01114/ +01V+0V+0V1]	OVII	
			धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	
			धारा 11 के अधीन आय के संबंध में छूट अनाम संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है।		
		ii	(अनुसूची वी.सी का घांंं)	7ii	
		iii	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iii	
			धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(iक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(iक)	7iv	
			धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40 अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
			धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
			धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
			कोई अन्य आय जिस पर आयकर अधिनियम के अधीन छूट अननुज्ञेय है	7viii	
			कुल [7i + 7ii+7iii +7iii +7iv +7v + 7vi + 7vii+7viii]	7ix	
F			11(4) के अधीन प्रभार्य आय	8	
		आय	11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viक) के अधीन छूट के पश्चात् सकल [(5-6vii)+7ix +8]	9	
			र्युक्त मद सं ९ का भाग नहीं बनने वाली आय	401	
	-	i ii	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची एचपी का 3) (यदि हानि शून्य भरें) कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की मद सं घ48 के अनुसार)	10i	
	-	iii	शीर्ष पूंजी अभिलाभ के अधीन आय	10ii	
	-	""	क अल्पकालिक	10iiiक	
		•	क i 15%की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9ii)	ना का	
		ŀ	कां। 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iii)	कii	
		-	कांii दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iv)	कiii	
		-	कांv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	कiv	
			कv कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv	
		ľ	ख दीर्घकालिक	10iiiख	
			खां 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	खi	
			खां 20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vii)	खii	
			खां। डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई	खiii	
		ļ	का 9viii) खiv कुल दीर्घकालिक (खा + खांi + खांii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)		
			खांv कुल देघिकालिक (खा + खांi + खांi) (यदि हानि हो तो शून्य भरे) ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ राशि) (कv + खांv) (यदि हानि हों शून्य भरें)	खiv 10iiiग	
		-	घ धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ	
		ļ	ड़ कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiड़	
	ļ	iv	अन्य स्त्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv	
		V	कुल (10i + 10ii + 10iiiड़ + 10iv)	10v	
_	11		ल आय [9+10]	11	
<u> </u>	12		वर्ष में 10v के विरूद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv and 4xiv का)योग)	12	
_	13		आय[11-12]	13	
	14	एसः	कुल आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची आई स्तंभ (i) का योग)	14	
	15	लगेग	में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर गा (अनुसूची वी.सी का घांii)	15	
	16	है (अ	ा 115खखंज के निर्दिष्ट प्रभार्य आय जिस पर 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना अनुसूची 115 खखज की क्रम सं 7)	16	
	17	कुल	आय पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा(13-14-15-16)	17	

10(2	3 ड.ड.)	, 10(2	ारा १३क/१३ख तथा धारा १० (२१), १०(२३क), १०(२३ककक) ९क), १०(२३ग)(iii क ख), १०(२३ग)(iii कग), १०(२३ग)(iii p), १०(२३चख), १०(२४), १०(४६), १०(४७) के अधीन छूट का व	0(23ग)(iii कड),			
1	10(2	७ड.ड.	1), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23घ), 10(23घक), 10), 10(23चख) के10(29क) 10(46), 10(46क), 10(46र अधीन छूट योग्य राशि			1	
2	योग्य सं 3 }]	राशि), $10(23$ ग)(iiiकख), $10(23$ ग)(iiiकग), $10(23$ ग)(iiiकघ), $10(23$ ग)(iiiव $[\{4$ अनुसूची आईई- 2 का क्रम सं 1 (पंक्ति क के लिए) $\}$ or $\{$ अनुसूची आईई- 3 का क्रम स	i 3 } या { अ	नुसूची आईई-4 का क्रम	2	
3	धारा	10(21)	के साथ पठित धारा 11(3), के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची। वे	रतंभ 15	का योग]	3	
4			ल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय		-0 }	4	
5	6vii)	**	: के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय (अ	टा क मद स.	5		
6			प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय[घारा 13क और 13ख के लिए लागू]			6	
7	आयः		ਹੀ। ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਆ । ਮੁਸਦੀ ਸਭ ਹੀ ਵਰ ੨ । ਹਾਰੇ ਕਰੀ ਕੇ ਆਸ	. 		٠,٠	
	i ii		<mark>सीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 3]</mark> (यदि हानि हो शून्य [:] ार या वृत्ति का लाभ व अभिलाभ अनुसूची बीपी के मद सं. 48		וכו	7i 7ii	
	iii		ार या पृत्ति की लाम व जामलाम [जनूसूचा बावा के मद स. 48 अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	ন অনুধ	11)	/11	
	-41	क	अल्पकालिक (अनूसूची) पूंजी अभिलाभ का ए5)	7iiiक			
		क i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी के मद ई का 9ii)	क i			
		कii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iii)	कii			
		क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iv)	क iii			
		क iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9v)				
		क v	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	क v			
		ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का बी 4) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iii ख			
		ख i	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	ख i			
		ख ii	20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vii)	ख ii			
		खiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9viii)	खiii			
		ख iv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	ख iv			
		ग	कुल पूंजी अभिलाभ (क v+ ख iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iiiग			
		घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ			
		ड़	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ड़			
	iv		स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस की मद संख्या 9 के अनुसार]			7iv	
8	V JI do d	_	7i + 7ii + 7iiiग + 7iv) 6+7v-4-5] +3		7v 8		
9			७+7V-4-5] +3 मुजरा की जाने वाली वर्तमान वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए की	v और 4xiv का	9		
10		कल ३	भाय (8-9)			10	
11			।। व (७-५) में शामिल है तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची एस आई	के स्तंभ (i) का योग)	11	
12	दर प्र	योजन वे	र्म लिए शुद्ध कृषि आय			12	
13			0-11-12) [लागू यदि (10-11) अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य	नहीं है		13	
14	अधिव	व्तम सी	मांत दरों पर प्रभार्य आय		14		

भागः	ख3- अनुप्रय <u>े</u>	ज्यि यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के अधीन कर प्रभार्य	
।. जन बाइस	ारल के भाग वें परंतुक के	क के क्रम सं. अ(26) यदि हां तो धारा 10 के खंड 23(ग) या धारा 13 की उपधारा से भिन्न पूर्व अधीन प्रभार्य आय की संगणना करें।	
1	क्रम सं.७ र	में भिन्न पूर्व वर्ष के लिए कुल आय	रकम रू. में
2	निर्धारिती	की वस्तुओं के लिए भारत में उपगत कुल व्यय	रकम रू. में
3	अननुज्ञात	किए जाने वाला) व्यय	
	(i)	ट्रस्ट या संस्था के नाम जमा कोष से व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत पर तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगंणना की जा रही है।	रकम रू. में
	(ii)	किसी ऋण या उधार से व्यय	रकम रू. में
	(iii)	आस्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अर्जन आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में;तथा	रकम रू. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को दान या योगदान के रूप में व्यय	रकम रू. में
	(v)	पूंजीगत व्यय	रकम रू. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) या धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40क की उपधारा 3 के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा (3क) के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(ix)	कोई अन्य अननुज्ञात	रकम रू. में
	(x)	कुल व्यय जिसे अननुज्ञात किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(viii)+(ix)	रकम रू. में
4	योग		
	(i)	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>	रकम रू. में
	(ii)	धारा 11 के अधीन आय अनाम संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। 11(अनुसूची वी.सी का घांii)	रकम रू. में
	(iii)	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
	(iv)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(v)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन की दशा में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(vi)	कुल योग (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	रकम रू. में
5	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
6	कुल राशि	[(1-2+3x)+4vii+5)]	रकम रू. में
7	उपर्युक्त में	मद सं. 6 का आय भाग नहीं है	
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 3] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रू. में
	iii	पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
		क अल्पकालिक	
		कः @ 15% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9ii)	रकम रू. में

			,							
		कii	@ 30% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का)	रकम रू. में						
		कiii	अनुप्रयोज्य दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9iv)	रकम रू. में						
		कiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9v)	रकम रू. में						
		कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में						
		ख	दीर्घकालिक							
		खi	दीर्षकालिक @ 10% की दर से प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9vi)	रकम रू. में						
		खii	@ 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9vii)	रकम रू. में						
		खांंं	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9viii)	रकम रू. में						
		खiv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में						
		ग अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iv) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)								
		घ	धारा 115खखज के अधीन @ 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रू. में						
		ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रू. में						
	iv	अन्य	स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रू. में						
	v	कुल (7i+7ii+7iii중 +7iv)	रकम रू. में						
8	7v के विरू योग)	न्द्ध वर्त	मान वर्ष की हानियों का मुजरा है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का	रकम रू. में						
9	कुल आय ((6+7-8)	रकम रू. में						
10	आय जो 9	में सम्मि	ालित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)	रकम रू. में						
11	धारा 115र (अनूसूची व	के अधीन @ 30% के दर से 9 में सम्मिलित अनाम संदान पर कर लगाया जाना है। ग घांं।	रकम रू. में							
12	धारा 115 115खखइ		के अधीन @ 30% की दर से 9 में शामिल आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची म सं. 9)	रकम रू. में						
13	धारा 10 वे 11-12)	ত্ত্ৰভ (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा(10) के अधीन कर प्रभार्य आय (9-10-	रकम रू. में						

0									
HI1			आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना						
	1		आय पर संदेय कर			_			
		क	सामान्य दरों पर कर क्रि. सं. (17) भाग ख- कुल आयके भ	ાન લ	—; .a_ ! क]≀				
			[क्र. सं. (13-14) भाग-ख, कुल आय के भाग ख 2 के] य	l [sp.	સ. 13	,19	•		
			भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के]						
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई के स्तंभ (ii) का यो	ग		1र	9		
		ग	@ 30%की दर से धारा 115खखग के अधीन अनाम संदान						
			सं. 15, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या क्रिम सं.	11, 3	नाग ख	- 1ग	T		
			कुल आयके भाग ख 3 के] अधीन						
		ਬ	@ 30% की दर से 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय पर						
			16, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या क्रिम सं. 12,	भाग र	ब- कुर	त 1र	1		
			आयके भाग ख 3]						
		ड़	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल	आय	कि भा				
			ख 1			1ਫ	•		
		_	कृषि आय पर छूट [भाग २ में अनुप्रयुक्त यदि (10-11)	भाग र	g- gr				
		디	आयअधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]			17	4		
	_		कुल आय पर कर संदाय (1क+1ख+1ग+1घ+1ड़-1च)					1छ	
	2	अधि		TO F				3	
		١.	अनुसूची एसआई की "धारा 115खखंड. के अधीन आय के स्तं	I+I (II)	का	_	.		
		1	25%			2i			
			17 (4 = 2 - 17 - 1 17 2 m + 1 1 17 2 m + 1 1 1 17 2 m + 1 1 17 2 m + 1 1 17 2 m + 1 1 17 2 m + 1 1 1 17 2 m + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2000			•		
			पर (1छ -अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन	<u> </u>		2i	i		
			कुल (i + ii)					2iii	
			य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)					3	
			त कर दायित्व (1छ+2iii+3)					4	
	5	कर र			1				
		क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	5क				_	
			धारा ९१ (अनुसूची टीआर का ३)	5ख					
			कुल (5क+5ख)					5ग	
			कर दायित्व (४-५ग)					6	
	7		फीस और ब्याज		1				
		Ф	विवरणी प्रस्तुत करने के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा	7क					
			234क)						
		প্র	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा	7ख					
		_	234ख)					_	
			अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग					
		ㅂ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस	7घ					
		-	(धारा २३४च)]	<u> </u>				
	_		संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)					7ड.	
		,	दायित्व (6+7ड.) र कर					8	
	9	संदत्त	। कर अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	0.7	- 1				
			स्त्रोत पर कर की कटौती (15 ख के स्तंभ 9 से)	9व 9ख	_				
L .					_				
कर			स्त्रोत पर कर का संग्रहण (15ग के स्तंभ 7i का कुल) स्वतः कर निर्धारण (15क के स्तंभ 5 से)	91	_				
सदत		<u>ਬ</u>	` '	95					
Ŧ	10	ड़	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9ध) रकम (यदि 9ड़, 8 से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्र	1 2 m -	-),			9ड़ 10	
	10	सद्य	ारकम (यदि 9ड़, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो है इय (यदि 9ड़, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो है	गायष्ट (केंक्ट रू	≀√) 1/∀)	મુગ	जगा कर रिय	10	
	11	HIGO	शंप (पाद ५५, ० त्र जायक ६), (प्रावदाय, याद काई हं, ती (mv	भपग् ए	11 H	ताध	जना करा दिया	11	
		जाए धारा	''।) 115नड. के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर संदेय कर (.2I=TT-	fl 115	ਹ ਰ :	का का। अंग्रह्म ४३५	12	
	12	વારા	। । २७७. पर जतगत ष्याज साहत । । २७४ आय पर सदय कर (অনুধূ	41 115	าน	यग प्रगम संख्या 12)	12	
	42	ਰਸਾ '	आपका भारत में बैंक खाता है						हां अथवा नहीं का चयन करे
खाता	13	प्या ५	गायपग मारत म षपग्राता ह						
ব্ৰ									
фb		æ, -	ر المراجع على المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع		بىرى ،	- ج	बाजों को को क		
		(ab)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों ह	up ocul	(७।४।	HC	त्रापा का छाटेकर)		

	क्रम सं.	न सं. भारत में धारित बैंक खातों की बैंक का		खाता सं .			इंगित करें जिसमें आप
		दशा में बैंक का आई.एफ.एस			रसीद/भुगतान हेतु		गए अपने प्रतिदाय का
		कोड			प्रयोग किए खातो को	पाना पसंद व	करेंगे(प्रतिदाय के लिए
					इंगित करें(खातों का	एक र	वाते को 🗹 करें)
					प्रकार(ई-फाइलिंग		-
					यूटीलिटी द्वारा दिए जाने		
					े वाला ड्रापडाउन)		
	i						
	ii						
	टिप्पणः						
		नेट खाते के सिवाय, किसी समय मे					
	२. मर्ल्ट	ोपल खातों की दशा में प्रतिदाय वि	þसी वैद्य खाते में जमा <u>ी</u>	केया जाएगा प्रतिदा	य विवरणी की प्रोसेसिंग	के पश्चात	
		पेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
	ख) अ•ি	नेवासी, अपने विकल्प पर एक विदे		प्रस्तुत कर सकते			
	क्रं र	सं. एस.डब्ल्यू.आई.एफ.	टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थि	ाति	आई.बी.ए.एन
1	1 क्या अ	ाप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी सम	. गय			-	
		त के बाहर स्थित कोई आस्ति		म्सी अस्तित्व में वि	ततीय हित सममिलित	है) को	
	हितधा	री सुवामी, हितधारी या अनुयंथा	के रूप में धारित कर	ते हैं।		• •	
	(ii) भा	रत के बाहर स्थित किसी एकार	उनट में हसताक्षर प्राप्ति	धेकारी हैं: या			□ हां च नहीं
	(iii) H	रित के बाहर किसी स्रोत से आर	र है? (निवासी के माम	ले में ही लाग) <i>(</i> र्या	दे उततर हां है तब अन	सिची च क	
		ना सुनिश्चित करें)	i vi (i i i i i i i i i i i i i i i i i		4 0 1/11 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (יר די יי־אינ	
	וי ויד	ા પુતાસાં મળ					

			<u> </u>														
	कर संद																
		हर ३		: निर्धारण वे	म् संदाय												
9	क्रं.सं.		बी.एस.	.आर कोड			ा करने			चा	लान व	ठी क्रम र	ांख्या	7	रकम(रू.) में	
						(त	ारीख/	मास/व	वर्ष)								
	i																
দ্র	ii																
표	iii																
कर संदाय	iv																
þ	v																
	vi																
	टिप्पण		भाग ख	ा-टीटीआ ई	की क्रम	संख्या ९	9क औ	र 9घ	में कल अ	ग्रिम क	र और	स्वतः नि	ार्धारण कर व	का योग	प्रविष्ट क	रें।	
ख			ोत पर क	र कटौती के	ब्यौरे व	ग्टौतीकत	र्गाकटौ	तीकर्ता	ओं) द्वारा	6ख/16	छ्य/16 ग/16 घ/16ड़ के						
	अनुसार				-		`		,				3	-	, .	•	
क्र.सं०	स्वंय/ उ		अन्य	कटौतीकर्ता	अर्	प्रेषित	चालू	वित्तीय	वर्ष का	इस वर्ष	र्जमा	टीडीएस	म का दावा	प्रस्तृत	की गई	अग्रेषित	Ŧ
	व्यक्ति	Ŧ	व्यक्ति	का टैन/	अदा	वाकृत	टीर्ड	ोएस (र्ग	वेत्त वर्ष	(केवल	तभी ज	नब समान	ा आय इसी	तदनुरू	^र पी	टीडीएर	Ŧ
	[निय	म	का पैन/	किराएदार/	टीड	डीएंस	2023	3-24 ਰੇ	र्ग दौरान	वर्ष कर	र से वि	तेए प्रस्ता	वित , लागू	रिसींट/	′ आहरण	क्रेडिट	
	37 खक	(2)	आधार	क्रेता का			काटा				दि टीर	डीएस धार	रा 194 एन				
	के अनु	सार	(यदि	पैन/ आधार	-						न काट	ग्रया।					
	अन्य	Γ	टीडीएस														
	व्यक्ति] से	क्रेडिट														
	संबंधि	ोत	अन्य														
	जम	T	व्यक्ति														
	टीडीप	रस	से														
			संबंधित														
			है)														
						अग्रेषित			नेयम	स्वयंक			क(2) के	कुल	आय		
							कटौर्त	1 37ख	क(2) के	के	अनुस	गर किसी	अन्य व्यक्ति	रकम	का शीर्ष		
					जिसमें					हाथों में	के हा		न्ना किया गया				
					कटौती				य व्यक्ति	दावा		(यदि ला	गू हो)				
					की गई			के	हाथों में	की गई							
									टा गया								
								(यदि	लागू हो)								
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10		(11)	(12)	(13)	
								आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार				
i																	

क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37 - आई के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अंग्रणीत रकम	चालू वित्त टी.सी.एस वर्ष 2023 दौरान सं संग्रहित किया	नियम 3-24 के प्रहित कर) नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संप्रहित किया (यदि		नियम 37 के अनुसा अन्य व्यवि द्वारा दावा किया गय (यदि लागृ	स -आई र स्ति	अग्रेषित टी.सी.एस जमा
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	लागू हो) (6ii)	(7i)	(7ii)		(8)
	-	-			-	-			टी.सी. पैन एस		-

		स	त्यापन	
म यह आर धाषणा करता/व करने के लिए सक्षम हूं । मेर मैं यह और घोषणा करता	२२ता हू कि म यह विवरणा अप ा स्थायी खाता संख्यांक	नाहै (यदि है (यदि गोचनात्मक धार	आदि में दी गई सूचना में की हैसियत में दे रहा/दे आबंटित हुआ हो) (कृप णाओं का समाधान कर	दियाँ है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का
तारीख		स्थान		यहां हस्ताक्षर करें।"
_				

[अधिसूचना सं. 24/2024/फा. सं. 370142/1/2024-टीपीएल(भाग -1)] सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: आयकर नियम,1962, भारत के राजपत्र ,असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83(अ), तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

- **G.S.R** 153(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2024.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR-7, the following Form shall be substituted, namely: —

	[For persons including con								mpa	ME TAX RETURN panies required to furnish return 9(4B) or 139(4C) or 139(4D) only]											Assessment Year								
	"FO	11K-/	ur		Pleas	se see	rule	1) or 1 e 12 o fer in	f the	e I	ncoı	ne-	-tax	Ru	les,	19) 01	ılyj		2	0	2	4	-	2	5		
Par	t A-GI	EN																											
	(A1) N format	Name (as m	ention	ed in d	leed (of cre	ation	/ estal	olish	in	g/ inc	corp	pora	ation	/		(A	2) F	AN										
PERSONAL INFORMATION	(A4) F	(A4) Flat/Door/Block No									(A5) Name of Premises/Building/Village										(A3) Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY)								
NFOR	(A6) Road/Street/Post Office									(A	17) A	rea	a/Lo	cali	ty					+		11)	' 	/ (A12) Su					
ONAL I	(A8) T	own/City/I	District	t						(A9) State (A10) Pin code/Zip code								Status (see instructions)			iı	Status (see instructions))					
PERS	(A13) (No. 1	Office Pho	ne Nur	nber w	ith S	TD co	ode/N	Aobile	e (A14) Mobile No. 2								1	(A15) Em	ail A	ddre	ss 1							
	(A16)	Email Add	ress 2																										
	(A17)	(i) Return	furnish	ed und	der s	ection	□ 13	39(4A)) 🗆 :	13	9(4B)	□ 1	39(4	C)		139	(4 I))										
	(ii) Ple	ase specify	the se	ction u	nder	whic	h the	exem	ptio	n i	is cla	ime	e d (a	drop	dow	n to	be	pro	videa	!)									
		Whether a					y you			ess	see? (Yes	s/No) If	Yes	, th	en p	olea	se fu	rnis	sh th	e det	ails:						
	Sl.			Name of the project/instituti (see instruction)						on	n Nature of activity (see instruction)							Classification (see instructions)											
	2																												
	3																												
	4																												

	registe	ered)	f registration/provisi		_						-	_
	Sl.		registration/approv Section under whice registered/provision registered or approved/notified	h	Date of registration	Date of Approva registration/provisional registration or Unique			al/ Approving/ registering Authority		Date regist	from which tration/provisional tration/ approval
	1		(Dropdowns to be provided)					` ,				
	(A20)	Details of	f registration/provisi	onal	 registration o	or approval ui	nder a	ny law othe	r than	Income-tax	x Act (i	including the
		ration un	der Foreign Contrib		_			-				_
	Sl.		Law under/Portal on which registered	in c	ecify details case 'Any er Law'	Date of registration approval	registration or Notificat			cation/ registerin		Date from which the registration is effective
	1		(Dropdowns to be provided)									
	2											
	(A21) (ai)	Return	filed u/s (Tick) [Plead	se see	instruction]	Revised R	eturn,					e date, 139(5)- nation of delay.
	(aii)	Or filed	in response to notice	u/s		139(9) ,	1 42	2(1), 🗆 148,	, 🗆 15	53C		-
	(b)	Receipt	d/ defective/Modified No. and filing original return			,						_/_/_
	(c)	number	in response to a notic / Document Identific te of advance pricin	ation	Number (DI						2CD	(unique number) //
	(d)				Resident			lon-resident	t			1
rus	(e)	[applica	r any income include ble in the case of resi	dent]	[if yes, ensur	e to fill Sched	ule FS	I and Sched			n made	e? 🗆 Yes 🗆 No
FILING STAT	(f)		r this return is being lease furnish followi			ntative assess	ee? (T	ick) ☑ □	Yes			□ No
CING		(1)	Name of the repres									
FD		(2)	Capacity of the Rep	rese	ntative (drop	down to be pr	ovided)				
		(3)	Address of the repr	esen	tative							
		(4)	Permanent Accoun	t Nu	mber (PAN)/A	Aadhaar No.	of the	representati	ive			
	(g)	Whethe	r you are Partner in	a firi	n? (Tick) ☑ l	☐ Yes ☐ No)	If yes, plea	se fur	nish follow	ing info	ormation
			N	ame	of Firm					P	AN	
	(h)	Legal E	ntity Identifier (LEI)	deta	ils (mandato	ry if refund is	50 cr	ores or mor	e):			
		LEI Nu	mber					Valid u	pto da	ite	((DD/MM/YYYY)

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र असाधारण : 47

	(A22)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☑ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares Opening ☐ Characteristics ☐ Cha																	
						Open balan	_	Share	es acquired	during	the yea	r	tra	ares nsferre		C	losing ba	alance	
		Nai of con any	np	Type of the comp any	PA N	No. of sha res	Cost of acquisi tion	No. of sha res	Date of subscrip tion / purchase	Face value per shar e	Issu e pric e per shar e (in case of fres h issu e)	Purchas price pe share (i case of purchas from existing shareho der)	se er n	No. of shar es	Sale consid- tion	era	No. of shar es	Cost of acquisi tion	
1		1a		1b	2	3	4	5	6	7	3 9		10	11		12	2 13	3	
		<u>.</u>	¥ ¥ 71	owo :		ho•	ootali	4:0	b	me i f	ho al-	table		a : a - 3		n4 - 6	on 47	on object	\exists
	(A23)	i			e, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object eral public utility then-														
1			a	Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business															
				referred to in proviso to section 2(15)? ii If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts %															
									f rendering										
			b		comme		business fo	or any o	consideratio	n as re	eferred (to in prov	iso to	o section	n [l Yes	; 	l No	
S							ercentage (of recei	pt from sucl	ı activ	ity vis-à	-vis total	recei	pts	%	,			
AIL		ii	If 'a						eceipts from						titution				
OTHER DETAILS			Sl	. Na	me of t	he proj	ect/Institu	tion							of aggre from suc	_			
HEF			a																
OT			b																
1	(A24)	i		_	_		-		during the on was grar		n the ba	sis of whi	ich		□ Yes			No	
		ii	If y	es, pleas	e furni	sh follo	wing infor	mation	:-										
			A				nge (DD/M		YY) registration	/m == •	doral -	.a.a.t	. k	hore	/_	/_			-
									registration manner witl	-		_							
			В	da	ys as p	er Clau	se (ab) of s	sub-sec	tion (1) of so		_	=		-	□ Yes			No	
						-	b-section (4	1								
			C		neuner tion 12		egistration	/provis	ional registi	auon	nas beei	1 granted	una	er	□ Yes			No	
			D	da	te of su	ich fres	h registrat	ion/pro	visional reg	istrati	on (DD/	MM/YYY	(Y)		/_	/_		-	_
	(A25)	Is thi	is you	ır first r	eturn													☐ Yes	
	(A26)	Whe	ther	provisio	ns of tv	wenty s	econd prov	viso to S	Section 10(2	3C) or	Section	13(10) ar	re ap	plicable	?			□ Yes	_
		16 ((X)	oc"	nloss: f	umich i	halar:: '	nforme#	. w.b/1	hom									□ N	0
	(a)						nformation (15) of sect		ner: re applicabl	e								☐ Yes	s
	(d)		_,,1,011	- 01 p10	. 1.0 10				- appacant	-									
	(b)			_		lause (a	a) of tenth	proviso	to 10 (23C)) / sub-	clause (i) of claus	se (b)	of sub-	section	(1) o	f section		
		12A	nave	been vio	лацеа														U

(c)		tions specified in clause () ave been violated	b) of tenth proviso to 10	(23C)/ si	ub-clause (ii) o	f clause (b) of sub	-section (1) of se	ection	□ Yes
(d)	Condi	tions specified in twentiet	h proviso to 10(23C)/ cla	use (ba)	of sub-section	ı (1) of sec	ction 12	A have be	en viol	ated	□ Yes
(A27)	(i) Are	e you liable for audit und	er the Income-tax Act? (Гick) 🗹	☐ Yes	□ No,	If yes,	furnish f	ollowir	ng infor	mation-
	(ii) Sec	ction under which you are	e liable for audit (specify	section). Please menti	on date o	f audit r	eport. (D	D/MM	(/YY)	
	a	Name of the auditor sig	ning the tax audit report								
	b	Membership No. of the	auditor								
	c	Name of the auditor (pr	oprietorship/ firm)								
	d	Permanent Account Nu	mber (PAN)/Aadhaar No	o. of the	proprietorshi	ip/ firm					
	e	Date of audit report									
	f	Date of furnishing of th	e audit report		(1	OD/MM/Y	YYYY)				
	g	Acknowledgement num	ber of the audit report								
	h	Unique Document Iden	tification Number (UDIN	V)							
(A28)	(i) If li report	iable to audit under any A	act other than the Incom	e-tax Ao	et, mention the	Act, sect	ion and	date of fu	rnishir	ng the a	ıdit
	Act a	and section	(DD/MM/YY)		Act and secti	on		(DD/MN	M/YY)		

$\overline{}$
INFORMATIC
_
_
_
_
< 1∶
. 7
_
~
_
~
-
=
$\overline{}$
$\overline{}$
r-
_
•
$\overline{}$
_
-
r
•
~
-
r 7
T.
\sim
_
$\overline{}$
~
-
r_7
—
_
\leq
MEMBER'S

[भा	ग I	I—खण्ड	ぎ 3(i)]		भ	ारत का	राजपत्र	असाधारण	·:					49
			iculars of pers	ons who were	e members i	n the A	OP on 3	1 st day of M	[arch	, 2024 (to	be fille	d by ventur	e capital f	und/
	13,	Sl. No	,	Name and Address	sl	Percenta hare (if letermin	_	PAN			eligible	r/ nent Id (if for	Status	
		(1)		(2)	(3	3)		(4)			Aadhaa (5)	er)	(6)	
			iculars regard	_		der(s) / '	Trustee((s) / Manage	er(s),	etc., of th	he Trust	or Institut	ion [to be	mandatorily
		A	Details of al	ll the Author rector (s)/ sha	(s)/ Founder						_			_
RMATION		Sl.	Name	Relation	Percentag Of sharehold in case of sharehold	Reside of India?		Type of Identificat (Select fro drop down	om	Identif Numbe		Address	Mobile number	E-mail address
MEMBER'S INFORMATION														
MEMBEF		В		ny of persons rsons who are			(5% or 1	more) of suc	h per	rson at a	ny time	during the	previous y	ear
		Sl.	Name		Whether Resider India?		(Sele	e of tification ect from down)		Identification Number		ddress	bene	entage of ficial ership
		С		of the person(s uring the pre		have m	ade subs	stantial cont	tribut	tion to th	ie trust /	' institution	in terms (of section
		Sl.	Name and	address		PAN				adhaar N f availabl		Enrolment	t Id	
		D	such autho	or, founder, the	rustee, man	ager or	substan	tial contribu	utor i	is a Hind	u undiv			=
		Sl.	Name and		my and the	PAN						/ Enrolment	t Id	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule I	Details of amou	unts accumulate	d / set apart within the	meaning o	f section 11(2)	or in terms o	f third proviso to section
	10(23C)/10(21)/	10(21) read with	section 35(1).				
Year of accumulation (F. Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/ religious/Scientific research/ social science or statistical research purposes upto the beginning of the previous year	Balance	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Balance available for application	Amounts applied for charitable or religious /Scientific research/ social science or statistical research purpose during the previous year out of previous years' accumulation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				= (2-4)		= (5-6)	
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)	Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AB or approved under sub-clauses (iv)/(v)/(vi)/(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balance amount available for application	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 11	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 11 (if applicable)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable)
	(9)	(10)	(11) = (7-8-9-10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (9+10+13+14)
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

Schedule IA	Details 0	of accumulated income	taxed in earlier assess	ment years as per sect	ion 11(3)
<u>FY</u>	Assessment yo	ear in which the amoun	at referred at Col 6 of S	Schedule I was taxed (Figures in Rs.)
Year of	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
accumulation (F.Yr.)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (A+B+C+D)
2018-19					
2019-20					
2020-21					
2021-22					
<u>Total</u>					

Schedule D	Details of	of deemed applic	ation of incom	e under claus	e (2) of Explana	tion 1 to sub-sec	ction (1) of section	n 11.
Year in which income is deemed to be applied (F.Yr.)	Amount deemed to be applied during the previous year of deeming	Reason of deeming application (ग) income has not been received during that year (日) any other reason	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied during the financial year pertaining to current Assessment year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year pertaining to current AY	Amount which could not be applied and deemed to be income u/s 11(1B) during the previous year	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2024-25 onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6-7)	(9) = (4-6)
Dropdowns to be provided		Dropdowns to be provided						
2023-24		Dropdowns to be provided						
Total								

Schedule DA	Details of accumulated inco	me taxed in ea	rlier assessme	nt years as pei	r section 11(1E	3)							
Assessment Year	Assessment year in which th	e amount refe	rred at Col 5 o	of Schedule D	was taxed (Fig	gures in Rs.)							
Year of accumulation (F.Yr.)	Prior to AY 2020-21	Prior to AY 2020-21 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24											
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) (A+B+C+D+E)							
Prior to FY 2018-19													
2018-19													
2019-20													
2020-21													
2021-22													
Total													

Sch	edul	e J		nt showing the								by assesses
Sci	A 1	Details of con Corpus Donation	claiming		Appli ed durin	Amount invested or deposite d back into corpus (which was earlier applied and not claimed as applicati on) where applicati on from corpus is made						Investe d in modes other than specifie d in Sec 11(5) as on 31.03.2 024
IENT OF FUNDS			(1)	(2)	(3)	on or after 01.04.20 21.	(5)	(6)	(7) = (1+2+5-	(8)	(9)	(10) = (7-8- 9)
DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS		i. Representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.202 0 ii. – Other							3)			
		than (i) above received on or after 01.04.202										
		iiiOther than (i) and (ii) above Total										

A 2	Details of	f loan ar	nd borrowing	s									
	Oper Bala As 01.04	on	Loan & Borrowin taken fo applicatio towards objective during th year	r the object the tropic institutions during the tropic during the tropic that the tropic that the tropic tr	ed for jects of ust or ution ng the ear	loan or borrow during year (v was ea applied not cla applica where applica from a or borr	nent of ving the vhich rlier d and imed as ation) ation ny loan rowing e on or	in wa	uncial year which (4) s applied earlier	1	Total spayment of loan or porrowing during the year		sing e as on .2024
	Details of corpus investment/o		(2)	(3) (4)		(5)		(6)			=(1+2-6		
В			eposits made under section 11(5			5) as on 31.03.2024 Mode of investment as per section 11(5)			per	er Amount of investme		nt	
	(1)	(2)			(3)				(4)				
	i	notifie	red for the red u/s $80G(2)$	enovation or (b) on or after	Dropdown to be provided (Please specify the nature)								
	ii	01.04.		(i) above received on or after									
	iii	Other	than (i) and	(ii) above									
	iv	TOTA	AL										
7				luring the pre			concern ((s) in	which perso	ons r	eferred to in	section 1	3(3) and
	Sl. N		Name and	Whether the concern is a		nber of hares	Class of shares h		Nominal value of the		Income from the	Wheth amoun	
	address of the concern			company (tick as applicable h]	held	shares i	leid	investmer		investment	(6) exc percen capital cond	t of the of the cern
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	applica (8)	ble 🗹)
	i		-)	□ Yes □ N	lo		(5)		(0)		(1)	☐ Yes	□ No
	ii iii			☐ Yes ☐ N								☐ Yes	□ No
	iv											☐ Yes	
	v			□ Yes □ N								☐ Yes	□ No
				TOTAL									

D	Other investment	s as on the last day of	f the previous year								
	Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable	Class of shares held	Number of shares held	Nominal value of investment					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	i		□ Yes □ No								
	ii		□ Yes □ No								
	iii		□ Yes □ No								
	iv		□ Yes □ No								
	v		TOTAL								
E	Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided										
	Sl. No	Name and address of the donor	Value of contribution/ donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	i										
	ii										
	iii										
	liv	TOTAL									

Par	t A-	BS			CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS O	N 31 ^S	T DAY OF MARCH, 2024	ı	
	A	Sour	ces	of Fu	nds				
		1	Ow	n Fur	nds				
			a	Corpu 80G(2	as out of the donations received for renovation $\alpha(b)$ on or after 01.04.2020	r rep	air of places notified u/s	1a	
					corpus received on or after 01.04.2021			1b	
			с	Corpi	us other than (a) and (b)			1c	
				_	ne accumulated under third proviso to clause (2.	3C) of	f section 10 or section	1d	
S				11(2)		-1	. 1 ' 1'	1.	
FUNDS			е	accou	ce Amount of deemed Income being exemption nt of deemed application and required to be ap	ciaim plied i	in FY 2024-25 onwards	1e	
OF F			f	Any o	ther reserve (Specify the nature)				
S				i	Specify the nature	i			
SCE				ii	Specify the nature	ii			
SOURCES				iii	Total (ai + aii)			1fiii	
S			g	Total	fund (a+ b+c+d+e+f)			1g	
		2	Loa	an and	l Borrowings				
			a	Secur	ed loans	a			
			b	Unsec	ured loans (including deposits)	b			
			c	Total	Loan Funds (a+ b)			2c	
		3	Ad	vance	S			3	
		4	Soi	irces (of funds (1g + 2c +3)			4	
	В	App	lica	tion o	f funds				
		1	Fix	ed ass	ets				
			a	Gross	Fixed Assets			1a	
			b	Depre	eciation			1b	
		c Net Fixed Assets (1a-1b)					1c		
		2		estme				2	
		3	3 Current assets, loans and advances						
			a	Curre	ent assets				
				i	Inventories			I	
Š				ii	Sundry Debtors			ii	
QN.				iii	Cash and bank balances				
F					A Balance with banks	iiiA		_	
IO ?					B Cash-in-hand	iiiB		_	
01					C Others	iiiC			
APPLICATION OF FUNDS					D Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB		<u> </u>	iiiD	
TIC				iv	Other Current Assets	1 111	<i>-</i>)	iv	
APP				v	Total current assets (i +ii + iiiD + iv)			av	
7			b		and advances			В	
					(av + b)			С	
					ent liabilities and provisions				
			u		Current liabilities				
				i		<u> </u>			
					A Sundry Creditors	A			
					B Other payables	B			
				••	C Total (A + B)	iC 			
					Provisions	ii		,	
			1	iii	Total (iC + ii)			diii	

		e	Net Current Assets (3c – 3diii)	3e	
	4		Accumulated balance/ Any other reserve (deficit)	4	
	5		Total, application of funds (1+2+3e+4)	5	
	6		Out of 5, Investment made in modes specified u/s 11(5)	6	
	7		Out of 5, Investment made in modes other than specified u/s 11(5)	7	

Sc	hedule R	Reconciliation of Corpus	of Schedule J and Balance sheet		
Par	ticulars		Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Other corpus received on or after 01.04.2021	Corpus other than (1) and (2)
			(1)	(2)	(3)
A.	Closing balan per Schedule	ice as on 31.03.2024 as J			
В.	Reasons of di	ifference (+/-) (Bi+Bii+Biii)			
	i) Purchase o	of fixed asset			
	ii) Depreciati	ion			
	iii) Any other	r reason (Please specify)			
C.	Closing balan per Balance s	ice as on 31.03.2024 as sheet (A+B)			

Sche	dule LA		Political Party			
	1	A) \	Whether registered under Section 29A of Representation of People Act, 1951	☐ Yes		No
		a	If yes, please enter registration number			
		b	Date of Registration	/_	<u></u>	_
		в) \	Whether recognized by the Election Commission of India	☐ Yes		No
		a	If yes, date of recognition			
	2	Who	ether books of account were maintained? (tick as applicable 🗹)	☐ Yes		No
	3	Who	ether the accounts have been audited? (tick as applicable 🗹)	☐ Yes		No
-		If yo	es, furnish the following information: -			
		a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	/_	_/	_
ARTY		b	Name of the auditor signing the audit report			
		c	Membership No. of the auditor			
		d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)			
		e	Proprietorship/firm registration No.			
AL PA		f	Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)			
IC/		g	Date of audit report	/_	<u></u>	_
POLITICAL PARTY	4		ether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of People Act, 1951 for the financial year has been submitted? (tick as applicable	□ Yes		No
		If yo	es, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)	/_	/	_
	5	a	Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? (tick as applicable 🗹)	□ Yes		No
		b	If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable)	□ Yes	_	No

6	thar clea	ether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise a by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic ring system through a bank account or through electoral bond? (tick as icable 🗹)	С	□ Yes □ No		
7	Plea	se furnish the following information: -				
	a	Total voluntary contributions received by the party during the F.Y. (b+d)	7a			
	b	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 20,000 during the F.Y.	7b			
	ci	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 in cash during the F.Y.	7ci			
	cii	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 other than in cash during the F.Y.	7cii			
	d	Aggregate value of all the voluntary contributions received more than Rs. 20,000/- during the F.Y.	7d			

Sche	dule E	T	Electoral Trust			
	1	Whe	ther books of account were maintained? (tick as applicable 🗹)		Yes	No
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable \(\overline{\mathcal{D}} \))				No
	3	have	ther record of each eligible political party to whom the distributable contributions been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible ical party) was maintained? (tick as applicable \overline{\overline	□ Yes □		No
	4	Whe	ther the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable 🗹)		Yes	No
T.	-	If yes	s, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)	_	/	 _
TRUST	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax?(tick as applicable ☑)			Yes	No
AL	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year				
OR		i	Opening balance as on 1st April	i		
ELECTORAL		ii	Voluntary contribution received during the year	ii		
EL]		iii	Total $(i + ii)$	iii		
		iv	Amount distributed to Political parties	iv		
		v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser)	v		
		vi	Total $(iv + v)$	vi		
		vii	Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii)(As per rule 17CA)	vii		
		viii	Closing balance as on 31st March (iii – vi)	viii		

Schedule `	VC	Voluntary Contributions [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]		
A	Domestic	Contribution (Other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)		
	i	Corpus donation (Aia +Aib)	Ai	
	a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) Aia		
	b	Corpus other than above Aib		
	ii	Other than corpus donation		
		(a) Grants Received from Government	Aiia	
		(b) Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility	Aiib	
		(c) Other specific grants	Aiic	
		(d) Other Donations	Aiid	
		(e) Total	Aiie	
	iii	Voluntary contribution Domestic (Ai + Aiie)	Aiii	
В	Foreign co	ontribution (other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)		

	i	Corpus donation (Bia + Bib)			Bi	
	a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Bia			
	b	Corpus other than above	Bib			
	ii	Other than corpus donation			Bii	
	iii	Foreign contribution (Bi + Bii)			Biii	
	iv	iv Specify the purpose for which foreign contribution has been received				Free text box
C	Total Cor	ntributions (Aiii + Biii)			С	
D		ous donations, chargeable u/s $115BBC$ [Applicable $10(23C)$ (iv) or $10(23C)$ (v) or $10(23C)$ (vi) or $10(23C)$ (iiae)]				
	i	Aggregate of such anonymous donations receive	d		i	
	ii	5% of total donations received at Sl. No. C+Di or 1,00,000 whichever is higher Anonymous donations taxable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)			ii	
	iii				iii	{to be taken as nil, if negative}
E	Anonymo	ous donations other than those included at Sl. No. D	iii (<i>Di-</i>	Diii of Schedule VC)	E	

Sche	Schedule AI		Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]						
	1	Rece	ipts from main objects	1					
	2	Receipts from incidental objects							
	3	Rent							
	4	Commission							
Ħ	5	Dividend income							
INCOME	6	Interest income							
Ž	7	Agriculture income							
OF	8	Net consideration on transfer of capital asset							
AGGREGATE	9	Any	other income (specify nature and amount)						
æ			Nature		Amount				
GGF		a	Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)	a					
A		b		b					
		c		c					
		d		d					
		e	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)	e		9e			
	10	Tota	1 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)			10			

					Amount	
A	Applic	ation towards the stated objects of the trust/institution		Revenue	Capital	Total
	1	Donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(vi)/(via)— Other than Corpus (100% of donations made need to be entered here)	1			
	1a	85% of the donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(vi)/(via)— Other than Corpus	1a			
	2	Religious	2			
	3	Relief of poor	3			
	4	Educational	4			

				·					
	5	Yoga	5						
	6	Medical relief	6						
	7	Preservation of environment	7						
	8	Preservation of monuments etc.	8						
	9	General public utility	9						
	10	Application which cannot be specifically identified under 1 to 9 above	10						
	11	Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)	11						
	12	Total (A1a to A11)	12						
В	C2 to C	liture not allowed as application, other than application out of source of fund at 27 (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8) mount entered in Sl. No. B should be out of Sl. No. A	В						
	1	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(vi)/(via) towards Corpus	1						
	2	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(vi)/(via) other than towards corpus in case of donations out of accumulated income	2						
	3	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(vi)/(via) not having same objects	3						
	4	Donation to any person other than trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)	4						
	5	is obtained							
	6	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is not obtained	6						
	7	Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution	7						
	8	Any other disallowable application	8						
С		of fund to meet revenue and capital application in Row A (to the extent amount at C2 to C7 is included in Sl. No. A12)	С						
	1	Income derived from the property/income earned during previous year (Excluding corpus)	1						
	2	Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years	2						
	3	Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)	3						
	4	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart	4						
	5	Corpus	5						
	6	Borrowed Fund	6						
	7	Any other (Please specify)	8						
D		mount applied during the previous year [A12-B-C2-C3-C4-C5-C6-C7]	D						
Е	include	t which was not actually applied during the previous year out of D (if it is d in Sl. No. A12)	E						
F	previou	t actually paid during the previous year which accrued during any earlier is year but not claimed as application of income in earlier previous year	F						
G	Total a	Total amount to be allowed as application (G=D-E+F)							

Sch	edule I		Income & Expenditure statement [Applicable for assessees claiming exemption under sections 10(21),10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EB), 10(23FB), 10(29A), 10(46A), 10(46A), 10(46B),10(47) {Exemptions are not subject to computational or heads of income conditions}								
	1	Total receipts including any voluntary contribution	1								
	2	Application of income towards object of the institution	2								
	3	Accumulation of income	3								

Sc	hed	ule IE- 2	Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A certain heads of income only are taxable and other receipts reported in Row A below are exempt]), 10	(24)] {Where	
	1		receipts including any voluntary contribution (Excluding receipts falling under taxable heads to be ted as per Row B) $ \frac{1}{2} \left($	1		
A	2	Appli	cation of income towards object of the institution	2		
	3	Accur	nulation of income	3		
	1	Do yo	u have any income which is taxable? If Yes Please provide details (Tick) ✓	Ĺ	Yes □No	
В		a	Income from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP)	1 a	□Yes □No	
		b	Income from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP)	1 b	□Yes □No	
		c	Income from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)	1 c	□Yes □No	
		d	any income 3 any income which is taxable? If Yes Please provide details (<i>Tick</i>) □ Yes The from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP) The from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP) The from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)			

Sched	Income & Expenditure statement [Applicable 10(23C)(iiiac)] (please fill up address for easily grants exceeding fifty per cent of the total received.)	ch institution se	parately): { Exen	nption is s	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Edu	cational / Medica	al)	1	
2	Addresses where activity is carrying out			2	
3	Total receipts including any voluntary contribution			3	
4	Government Grants out of Sl. No. 3 above			4	
5	Amount applied for objective			5	
6	Balance accumulated			6	
Sched	Income & Expenditure statement [Application or 10(23C)(iiiae)] (please fill up address for from all the institutions/universities not except the statement of the statement and the institutions of the statement of the statement and the institutions of the statement and the statement	r each institution	separately): {Exc		
1	Objective of the institution (<i>drop down to be provided - Educational / Medical</i>)	1			
2	Addresses where activity is carrying out	2			
3	Gross Annual receipts	3			
4	Amount applied for objective	4			
5	Balance accumulated	5			
	(Add row option to be provided for Sl. No. 1 to 5 above)				
	Sum of Gross Annual receipts (Sum of Sl. No. 3)				

Sched	lule	HP	Details of Income of property)	from House Prope	erty (Please	refer	to instru	ictions)	(Drop	down to	be pr	ovided	indic	ating	g owr	iership
	1	Addre	ess of property 1		Town/ Cit	y		St	ate	Count	ry		PIN	Cod	le/ Zi	p Code
		Is the	property co-owned	? □ Yes □ No	(if "YES" please enter following details)											
RTY		Assess	see's percentage of s	share in the proper	ty											
Ľ		Name	of Co-owner(s)		PAN/Aad (optional)	haar]	No. of C	co-owne	er(s)	Percent	age S	hare ir	1 Pro	pert	y	
ER.		I														
SE PROPERTY		П														
		[Tick option	✓ the applicable	Name(s) of Tenar (if let out)	t PAN/Aad available)	naar No. of Tenant(s) (if			s) (if	f PAN/TAN/Aadhaar No. of Te TDS credit is claimed						
HOUSE		☐ Let	out emed let out	I II												
11		a	Gross rent received whole of the year, lo					e two, į	f let ou	ut for	1a			-		
		b	The amount of ren	t which cannot be	realized	1b										
		с	Tax paid to local at	uthorities		1c										
		d	Total (1b + 1c)			1d										

	e	Annual value (1a – 1d)			1e	
	f	30% of 1e	1f			
	g	Interest payable on borrowed capital	1g			
	h	Total (1f + 1g)			1h	
	i	Arrears/Unrealised rent received during the	e year less	30%	1i	
	j	Income from house property 1 (1e – 1h + 1i)		1j	
		(fill up details separately for each property))			
2	Pass t	hrough income/Loss if any *			2	
3	Incon (if neg	ne under the head "Income from house prop gative take the figure to 2i of schedule CYLA)	erty" (1j +	2)	3	
		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is Furnishing of TAN of tenant is mandatory, i	y, if tax is deducte	d under section 1.	94-IB.	

Schedule **Capital Gains** CG A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents) From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain) Date of purchase/ DD/MM/YYYY Date of sale/transfer DD/MM/YYYY acquisition Full value of consideration received/receivable a ai ii Value of property as per stamp valuation authority aii Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital iii Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else aiii take (aii)] b Deductions under section 48 Cost of acquisition without indexation bi ii Cost of Improvement without indexation bii Short-term Capital Gains Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer biii iii CAPITAL GAINS Total (bi + bii + biii) biv c Balance (aiii – biv) **1c Deduction under section 54G/54GA** (Specify details in item D below) 1d A1e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note) State Pin code S.No. Name of PAN/Aadhaar Percentage Amount Address of buyer(s) No. of share property, F buyer(s) Country code, Zip code NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount. 2 From slump sale Fair market value as per Rule 11UAE(2) 2ai ii Fair market value as per Rule 11UAE(3) 2aii iii 2aiii Full value of consideration (higher of ai or aii) B Net worth of the undertaking or division 2bC Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b) A2c

a	Full value	of considera	ation	3a	
_		s under sect			
	i		equisition without indexation	bi	
	ii	_	nprovement without indexation	bii	
	iii	Expenditu	are wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (i +	ii + iii)	biv	
c	Balance (3	a – biv)	-	3c	
	prior to re	ecord date a	u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of ignored (Enter positive value only)	3d	
e	Short-term	n capital gai	n on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)	1	
For fore	· NON-RES eign exchan	SIDENT, no ige adjustmo	t being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company ent under first proviso to section 48)	(to be compute	ed with
a	STCG on t	transactions	on which securities transaction tax (STT) is paid		
b	STCG on t	transactions	on which securities transaction tax (STT) is not paid		
For	NON-RES	SIDENTS- fi	com sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per sect	ion 115AD	
a	i	In casa s	ecurities sold include shares of a company other than quoted share	os ontor the	
a	1	following		s, enter the	
			Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		С	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	ii	Full value	of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
	iii	Total (ic -	- ii)	aiii	
b	Deductions	s under sect	ion 48		
	i	Cost of ac	equisition without indexation	bi	
	ii		provement without indexation	bii	
	iii		are wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (i +	ii + iii)	biv	
С	Balance (5	am – bív)		5c	
d	months pr	ior to recor	u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 d date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising urity to be ignored (Enter positive value only)	5d	
			n on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		
Fra	m colo of o	ceate athor t	han at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above		
a	i i	In case as	sets sold include shares of a company other than quoted shares, enter t	the following	
			Il value of consideration received/receivable in respect of unquoted	ia	
		b Fai	ir market value of unquoted shares determined in the prescribed nner	ib	
			ll value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per tion 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	

	n Fun V	atue of consid	ierauon in i	respect of as	sets otner tnan	unquotea	snares		aii		
	iii Total	(ic + ii)						-	aiii		-
b Dedu	ctions under							_		Ī	
		of acquisition							bi 		4
	ii Cost o	of Improveme	ent without	indexation					bii		4
	Exper		y and exclus	sively in con	nection with tr	ansfer			biii		
		<u>(i + ii + iii)</u>						_	biv		4
	nce (6aiii – biv		loss to be	dicallowed 1	ı/s 94(7) or 94	(8) ₋ for ev	ample if acc		6c		4
bougl	ht/acquired v	vithin 3 mont	ths prior to	record date	e and dividend e ignored (Ente	l/income/b	onus units ar	·e	6d		
e Deem	ed short tern	n capital gain	s on deprec	iable assets					6e		1
f Dedu	ction under s	ection 54G/54	4GA						6f		
g STC	G on assets of	ther than at A	A1 or A2 or	A3 or A4 or	r A5 above (6c	+ 6d + 6e -	- 6f)	•		•	A
/ Amount o	deemed to be	short term ca	noital gains								+
deposited	in the Capita No Not P	al Gains Acco	yes, then p in Secti which claim	ne within du rovide the d ion under deduction ned in that	et transferred e date for that etails below New asset ac	year?			Amou used t	unt not for new or	
				year	Previous yea which asset	Previous year in Amount utilis which asset out of Capital			Capit	ined lized in tal gains int (X)	
					acquired/con	structed	Gains accou				1
i		020-21	54G/5								1
ii iii		021-22 022-23	54G/5								4
					GA, other than	at 'a'		L			
Amount o	deemed to be	short term ca	pital gains	(Xi + Xii +X	Kiii + b)						A
					npital Gain, (Fi	ill up sched	ule PTI) (A8a	a+A8b -	+ A8c)		1
a Pass	Through Inco	ome/Loss in tl	he nature of	f Short Tern	n Capital Gain	, chargeab	le @ 15%	A	A 8a		Ī
b Pass	Through Inco	ome/Loss in tl	he nature of	f Short Tern	n Capital Gain	, chargeab	le @ 30%	A	A8b		1
	Through Inco	ome/Loss in tl	he nature of	f Short Tern	n Capital Gain	, chargeab	le at	A	A8 c		1
Amount o	of STCG inclu	ıded in A1 –	A8 but clair	med as not c	hargeable to ta	ax or charg	geable at spec	rial rate	s in In	ndia as per	
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	of I T	Rate per I. Act		Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	1
I											$\ $
111		1			1]			1
	,	Too 1:				D.T.					+
+ + -				_	x in India as p		There is a				A
b Total	amount of S'	TCG claimed	as chargea	ble to tax at	special rates in	n India as j	per DTAA				A
0Total Sho	ort-term Capi	tal Gain (A1e	e+ A2c+ A3	e+ A4a+ A4	b+ A5e+ A6g+.	A7 + A8-A	9a)				

		Capital Gain)	both (fill up detail			·				
		ate of purcha equisition	ase/	OD/MM/YYYY	U	ate of sale/tran	ister	DD/MI	M/YYYY		
	a	i	Full value of cor	sideration receiv	ed/receivable				ai		
		ii	Value of proper	ty as per stamp v	aluation autho	rity			aii		
		iii	Gains [in case (a take (aii)]	nsideration adopt aii) does not exce					aiii		
	b	Deductions	under section 48								
		i	Cost of acquisiti	on					bi		
		iia		biia							
		iib		biib							
			(a)Cost of impro	vement							
			(b)Year of impr								
			Add row								
		iii	Expenditure wh	olly and exclusive	ely in connection	on with transfe	r		biii		
		iv	Total (biia + bii	o + biii)					biv		
	c	Balance (aii	i – biv)						1c		
	d	Deduction u	nder section 54D)/54EC/54G/54G	(Specify detai	ls in item D belo	ow)		1d		
	e	I ong torm	Canital Cains on	Immovable prop	orty (1c 1d)						В
	f	Long-term	Capital Gaills on	immovable prop	erty (IC - Iu)						ь
	•			able property, ple				-	- 1	a. .	4
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of	Percentage share	Amount	Address of property,	Pin	code	State	
			buyer(s)	buyer(s)	Share		Country				
				, ,			code, Zip				
							code				_
											-
		NOTE▶	ection								
				than one buyer,	ne documents. please indicat	e the respectiv	e percentage	share			
2	Fro	m slump sal	In case of more and amount.			e the respectiv	ve percentage	share			
2	Fro	om slump sal	In case of more and amount.	than one buyer,	please indicat	e the respectiv	e percentage	share	2ai		
2	Fro		In case of more and amount. e Fair market val	than one buyer, ue as per Rule 11	please indicat	e the respectiv	ve percentage	share	2ai 2aii		
2		i	In case of more and amount. e Fair market val Fair market val	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11	please indicat UAE(2) UAE(3)	e the respectiv	ve percentage	share			
2	a	i ii iii	In case of more and amount. Fair market val Fair market val Full value of co	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high	please indicat UAE(2) UAE(3)	e the respectiv	ve percentage	share	2aii		
2	a b	i ii iii Net worth o	In case of more and amount. Fair market value and real to the second se	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high	please indicat UAE(2) UAE(3)	e the respectiv	ve percentage	share	2aii 2aiii		
2	a b c	i ii iii Net worth o Balance (2a	In case of more and amount. Fair market value and amount. Fair market value of confidence in the undertaking iii - 2b)	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high	please indicat UAE(2) UAE(3)	e the respectiv	ve percentage	share	2aii 2aiii 2b		
2	a b c d	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u	In case of more and amount. Fair market value fair market value of confithe undertaking iii – 2b)	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii)	e the respectiv	e percentage	share	2aii 2aiii 2b 2c		В
	a b c d e	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction v	In case of more and amount. Fair market value and amount. Fair market value of confit the undertaking iii – 2b) I/s 54EC capital gains from	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii)			share	2aii 2aiii 2b 2c		В
	a b c d e	i ii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of bo	In case of more and amount. Fair market value and amount. Fair market value of confidence of the undertaking iii – 2b) It s 54EC Tapital gains from the capital gains from the capi	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii)			share	2aii 2aiii 2b 2c		B
	a b c d e Fro	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo	In case of more and amount. Fair market value fair market value of coff the undertaking iii – 2b) J/s 54EC capital gains from the consideration	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii)			share	2aii 2aiii 2b 2c 2d		B
	a b c d e Fro	i ii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions	In case of more and amount. Fair market value of confidence in the undertaking iii – 2b) I/s 54EC capital gains from the consideration under section 48	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division n slump sale (2c-2 (other than capit	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bor			share	2aii 2aiii 2b 2c 2d		В
	a b c d e Fro	i ii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i	In case of more and amount. Fair market valuation from the undertaking iii – 2b) In the undertaking iii – 2b)	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division n slump sale (2c-2 (other than capit	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bor			share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a		В
	a b c d e Fro	i ii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i ii	In case of more and amount. Fair market value fair market value of coff the undertaking iii – 2b) Jost 54EC Tapital gains from the section desertation under section 48 Cost of acquisitic cost of improverse.	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 usideration (high g or division a slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without index	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi		B
	a b c d e Fro	i ii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i	In case of more and amount. Fair market value of consideration and amount. Full value of consideration and amount. Fair market value of consideration and amount and amount and amount and amount and amount and amount and amount and amount and amount and amount and amount amount and amount amou	than one buyer, ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division n slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a		B
	a b c d e Fro a b	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i ii iii	In case of more and amount. Fair market value of comparison of the undertaking iii – 2b) In the state of the undertaking iii – 2b) In the undertaking iii	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division n slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind olly and exclusive	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi bii biii		
	b c d e Fro a b	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction v Long term o m sale of boo Full value o Deductions i ii iii iv LTCG on b om sale of list	In case of more and amount. Fair market value of confine the undertaking iii – 2b) I/s 54EC Tapital gains from the consideration under section 48 Cost of acquisitic Cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of improve Expenditure who to the confideration under section 48 Cost of acquisitic cost of acqu	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 nsideration (high g or division n slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind olly and exclusive	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon ation exation	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi bii biii		B
	a b c d e Fro a b C Fro sect	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boi Full value o Deductions i ii iii iv LTCG on b m sale of list tion 112(1) is	In case of more and amount. Fair market value of consideration and amount. Full value of consideration and are section 48 Cost of acquisitic cost of improve expenditure where the consideration are section 48. Cost of improve expenditure where the consideration are debenture where the consideration are section 48.	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 usideration (high g or division a slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind olly and exclusive biii) ue - (3a-biv)	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon ation exation	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi bii biii		
	a b c d e Fro a b c Fro sect	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i ii iii iv LTCG on b m sale of list tion 112(1) is	In case of more and amount. Fair market value of comparison of the undertaking iii – 2b) In the state of the undertaking iii – 2b) In the undertaking iii	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 usideration (high g or division a slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind olly and exclusive biii) ue - (3a-biv)	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bon ation exation	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi bii biii		
	a b c d e Fro a b c Fro sect	i ii iii Net worth o Balance (2a Deduction u Long term o m sale of boo Full value o Deductions i ii iii iv LTCG on b m sale of list tion 112(1) is	In case of more and amount. Fair market value of consideration and sor debenture of consideration and or debenture of consideration of debenture of consideration and or debenture of securities (other applicable of consideration and or debenture of securities (other applicable of consideration of the securities of the securities (other applicable of consideration of the securities of the securities of the securities (other applicable of consideration of the securities o	ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 ue as per Rule 11 usideration (high g or division a slump sale (2c-2 (other than capit on without index ment without ind olly and exclusive biii) ue - (3a-biv)	UAE(2) UAE(3) er of ai or aii) d) al indexed bor exation ely in connection	nds issued by G	overnment)	share	2aii 2aiii 2b 2c 2d 3a bi bii biii		

	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
1	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
c	Long Tern	m Capital Gains on assets at B4 (4a – biv)		
Fro	om sale of e	quity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust is paid under section 112A		
+		pital Gains on sale of capital assets at B5		
		SIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed		
_		schange adjustment under first proviso to section 48)		
LT	CG comput	ted without indexation benefit		
in s		SIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in		
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted	ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed		
		manner	ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
	iii	Total (ic + ii)	aiii	
b	Deductions	s under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			DIII	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
с				
For	Long-term	Total (bi + bii +biii)		
For or u	Long-term NON-RES	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8		
For or u	Long-term NON-RES	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A		
For or u	Long-term NON-RES	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	biv	
For or u Lon	Long-term r NON-RES unit of a bus ng-term Ca om sale of as	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter		
For or u Lon	Long-term r NON-RES unit of a bus ng-term Ca om sale of as	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	biv	
For or u Lon	Long-term r NON-RES unit of a bus ng-term Ca om sale of as	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
For or u Lon	Long-term r NON-RES unit of a bus ng-term Ca om sale of as	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per	ia ib	
For or u Lon	Long-term r NON-RES unit of a bus ng-term Ca om sale of as	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ia ib ic	
For u Lon Fro a	Long-term NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	ia ib ic aii	
For u Lon Fro a	NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i ii iii Deductions i	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii)	ia ib ic aii aiii bi	
For u Lon Fro a	I Long-term T NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i ii iii Deductions	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii) s under section 48	ia ib ic aii aiii	
For u Lon Fro a	NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i ii iii Deductions i	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii) s under section 48 Cost of acquisition with indexation	ia ib ic aii aiii bi	
For u Lon Fro a	Long-term NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i ii iii Deductions i ii	Total (bi + bii +biii) Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii) s under section 48 Cost of acquisition with indexation Cost of improvement with indexation	ia ib ic aii aiii bi bi bii	
For or u Lon Fro a	ii iii Deductions ii iii	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii) s under section 48 Cost of acquisition with indexation Cost of improvement with indexation Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer Total (bi + bii + biii)	ia ib ic aii aiii bii bii biii	
For or u Lon Fro a	Long-term NON-RES unit of a bus ng-term Cap om sale of as i ii iii Deductions i ii iii iv Balance (a	Total (bi + bii +biii) n Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) SIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund siness trust on which STT is paid under section 112A pital Gains on sale of capital assets at B8 ssets where B1 to B8 above are not applicable In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b) Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares Total (ic + ii) s under section 48 Cost of acquisition with indexation Cost of improvement with indexation Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer Total (bi + bii + biii)	ia ib ic aii aiii bii bii bii biii	

	a	in tł	ether any amou ne Capital Gair Yes D No D I	ıs Accou	unts Sche	me withi	n due date for	that yea		evious year sho	wn below	was	deposited	
		S.1		Previo	ous year ch asset	Sectio	n under deduction		sset acquired/con	structed	new as	set or ied u ital g	nutilized ains	
								which	us year in asset ed/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account				
		i		2020-2			4G/54GA							
		ii		2021-2			4G/54GA				1			
	ь	iii	aunt daamad ta	2022-2		•	4G/54GA	at 6a?			1			
	D	_	ount deemed to											B10
	_	 	ount deemed to						· (E:11 1	I I DET				D10
	11	(B1 1	1a1+11a2 + B1	1b)					ain, (Fill up sche				ı	B11
		a1	Pass Through 112A	Income	/ Loss in	the natui	re of Long Te	rm Capi	ital Gain, charge	able @ 10% u/	B11a	1		
			Pass Through under sections			the natu	re of Long T	Term Ca	apital Gain, cha	rgeable @ 10%	6 B11a	a2		
		b	Pass Through	Income	/ Loss in t	he natur	e of Long Ter	m Capit	al Gain, chargea	ble @ 20%	B11	b		
	12		ount of LTCG pecial rates in I				11 but claimed	l as not	chargeable to tax	or chargeable			1	
		Sl. No.	Amount of in	ncome	ITOBIL	Country name & Code	Article of E	DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRO obtained (Y/N)		Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I												
		II												
		a	Total amount o	of LTC	G claimed	as not c	hargeable to t	ax in In	dia as per DTAA	<u>I</u>	B12	a		
									l rates in India as		B12	b		
		Tota	al long term ca	pital gai	in] [B1e +	B2e + B	3c + B4c + B5	5 + B6 + 1	B7c + B8+ B9e+	B10+B11-B12a] B13	3		
C	C1 Sı	ım o	f Capital Gain	Income	s (9ii + 9i	ii + 9iv +	9v + 9vi + 9vi	ii + 9viii	of table E below))	C1			
C	2 _{In}	com	e from transfei	of Virt	tual Digita	al Assets	(Item No. B o	f Schedi	ıle VDA)		C2			
	_		e chargeable u								С3			
1) In	forn	nation about de	duction	claimed	against (Capital Gains							
	_		ase of deduct				/54GA give f							
		a	<u> </u>					on claim	ned u/s 54D				1	
			i]	Date of	acquisit	ion of o	riginal asset		ai		dd/r	nm/y	ууу	
			11	_			on of new lar indertaking	nd or	aii					
								na	aiii		dd/1	nm/s	3,333	
							nd or buildi		aiii		aa/1	nm/y	ууу	
			iv Amou	_		_	l Gains Acco	unts	aiv					
					cheme b				(1)		/• · · ·	TEC.	G 1	
					(iva) Da		posit		(ivb) Account	Number	(ivc)	IFS (Code	
						nm/yyyy								
			v	Amo	ount of d	eductior	claimed		av					

b		Deduction claim	ed u/s 54EC	
	i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	bii	
	iii	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	biv	
c		Deduction claim	ned u/s 54G	
	i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii	
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
		(iva) Date of deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code
		dd/mm/yyyy		, ,
	v	Amount of deduction claimed	ev	
		Deduction claime	ed u/s 54GA	
	i	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii	
d	iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div	
		(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code
		ddmm/yyyy		
	v	Amount of deduction claimed	dv	
e		Total deduction claimed $(1a + 1b + 1c + 1d)$	e	

Sl.	Type of Capital Gain		current year (Fill this nly if computed figure is positive)	SI	ort ter	m capital loss set o	ff	Long to	erm capital loss set off		Currer year's capita gains remaini after so off
				15%	30%	applicable rate	DTAA	10%	20%	DTAA	(9=1-2-3 5-6-7-8
				10 / 0	2070	upplicusie rute	rates	10 / 0	20,0	rates	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative)			(A3e*+ A4a*+ A8a*)	(A5e*+ A8b*)	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g* +A7*+A8c*)		(B4c*+B5*+ B7c*+B8**+ B11a1*+B11a2*)	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)	B12b	
ii	Short	15%	(A3e*+ A4a*+ A8a*)								
iii	term capital gain	30%	(A5e*+ A8b*)								
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g* +A7*+A8c*)								
v		DTAA rates	A9b								
vi	Long term capital	10%	(B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B11a1*+B11a2*)								
vii	gain	20%	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+B11b*)								
viii		DTAA rates	B12b								
ix		`	+ iii + iv + v + vi + vii + viii)								
X	Los	s remainin	g after set off (i-ix)								
not The	chargeab e figures o	ole to tax or of LTCG in	this table (A1e* etc.) are chargeable at special ra this table (B1e* etc.) are o tax or chargeable at sp	tes as p	er DTA	AA, which is included of LTCG computer	ed the	rein, if any. spective column (B1-B11) as reduced by t		
Inf	ormation	about ac	crual/receipt of capita	al gain			1				
S	o. Type o		gain / Date				1:	pto 16/6 to 5/6 15/9 (i) (ii)	16/9 to 16/1 15/12 15 (iii) (iv	/3	16/3 t 31/3 (v)
2			ital gains taxable at th ital gains taxable at th				+				
3			ital gains taxable at ti ital gains taxable at ap						+ + -		
4			al gains taxable at DTAA								
5	Long-	term cap	ital gains taxable at th	ne rate	of 10%	6					
6			ital gains taxable at th			/o					
7	_	_	al gains taxable at the rat								
8		I gains on	transfer of Virtual Dig	ital As	set taxa	able at the rate of	f				
o		alue from	item 14ii of schedule SI, i	fany							

Schedule VDA Income from transfer of Virtual Digital Assets u/s 115BBH (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction								
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col.		
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)		
Add Ro	ws							
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)								
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)								

Sched	ule	os	Income from other sources					
1	G	ross i	ncome chargeable to tax at normal applicable rates (1	a+ 1b+ 10	c+ 1d + 1e)			1
	a	Divi	dends, Gross (ai+aii)	1a				
		i	Dividend income other than (ii)	ai				
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii				
	b	Inte	rest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)	1b				
		i	From Savings Bank	bi				
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii				
Š		iii	From Income-tax Refund	biii				
URCE		iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv				
OTHER SOURCES		v	Others	bv				
THE	c	Rent	tal income from machinery, plants, buildings, etc., Gro	1c				
	d		Income of the nature referred to in section $56(2)(x)$ which is chargeable to tax $(di+dii+div+dv)$					
		i	Aggregate value of sum of money received without co	di				
		ii	In case immovable property is received without consi property	dii				
		iii	In case immovable property is received for inadequativalue of property in excess of such consideration as a	diii				
		iv	In case any other property is received without consider property	div				
		v	In case any other property is received for inadequate value of property in excess of such consideration	dv				
	e	Any	other income (please specify nature)			1e		

	Sl.no	Nature	Amount				
	1	Income due to disallowance of exemption under clauses of section 10					
	2	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year chargeable u/s 56(2)(xii)			-		
		Rows can be added as required			_		
2 Ir	ncome c	nargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e	e elements	related to Sl. No. 1	1)	2	
a	Winnii 115BB	ngs from lotteries, crossword puzzles, races, card gam	es, etc., cl	nargeable u/s	2ai		
ai	iiWinniı	ngs from online games chargeable u/s 115BBJ			2aii		
b	Incom	e chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bv	ri)		2 b		
	i Cas	h credits u/s 68			bi		
	ii Une	explained investments u/s 69			bii		
	iii Une	explained money etc. u/s 69A			biii		
	iv Uno	lisclosed investments etc. u/s 69B			biv		
	v Une	explained expenditure etc. u/s 69C			bv		
	vi Am	ount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi		
c	Any ot	her income chargeable at special rate (total of ci to cxi	iv)		2c		
		Dividends received by non-resident (not being a					
	1	company) or a foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci				
	ia	Dividend received by non-resident (not being a company) or a foreign company, from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to 115A(1)(a)(A)	cia				
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii				
		Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii				
		Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ				
		Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @4 %	cv				
		Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi				
		Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii				
	viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii				
	ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)	ix				
	x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable n/s 115AC	cx				

			xi	purchased	y way of in foreign of u/s 115AC				exi							
			xii	(other than	ceived by ar n units refe u/s 115AD(rred to in			cxii							
			xiii	Income re Government	eceived by nt securitic chargeable	an FII es referre	d to in	section	cxiii							
			xiv		eceived by a			men or	cxiv							
		d		ass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates rop down to be provided)											2d	
		e	Amou	nt included	in 1 and 2		ich is clain	ned as cl	hargeal	ble at	specia	l rates i	n India	as per DTA	A	
			Sl. Amount Item Country Article Rate as per Wheth				of I.T. as rate ned Act per [lower of									
			(1)	(2)	included (3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		
			I													
		De 2 <i>e</i> ,		ons under se	ection 57(oth	er than tho	se relating	to income	e charg	eable a	it spec	ial rates	under 2a	, 2b, 2c, 2d	&	
ŀ			a l	Expenses / D	Deductions (other than	entered in	c)			3a					
				Depreciation OS'')	n (available	only if inco	ome offered	d in 1c of	f ''sched	lule	3b					
				Interest exp ncome offer	enditure or red in 1a)-	n dividend	u/s 57(i)	(availabl	le on	ly if	3c					
					erest expend	iture u/s 5'	7(i) – comp	uted val	ue		3ci					
			d	Total 3d												
	4	Ar	nounts	s not deduct	tible u/s 58										4	
	5	Pr	ofits c	hargeable to	o tax u/s 59										5	
ŀ					ther sources							r reduc	ing inco	me related	to 6	
-			_		+4+5) (If n sources (other	_		_				s nil, if i	negative)		7	
}		In	come f	rom the act	ivity of own	ing and m	aintaining	race hors	ses							
-	8															
			a I	Receipts							8a					
			b l	Deductions 1	under sectio	n 57 in rel	ation to rec	eipts at	8a only		8b					
			c	Amounts no	t deductible	u/s 58					8c					
			d	Profits char	geable to tax	x u/s 59					8d					
			e	Balance (8a	- 8b + 8c +	8d)									8e	
ŀ	9	In	come i	ınder the he	ead "Income	e from oth	er sources"	(7 + 8e)	(take	8e as n	il if ne	gative)			9	
	10	In	forma	tion about a	ccrual/recei	ipt of incor	ne from Ot	her Sou	rces							
	_	5	S. No.	Other S	Source Inco	me U	U pto 15/6		16/6 to 5/9		m 16/9 15/12	to Fro	m 16/12 i 15/3	to From 1 31/		
							(i)		ii)		(iii)		(iv)	(v)		

1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting, etc., referred to in section 2(24)(ix)			
2	Winnings from online games u/s 115BBJ			
3	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)			
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI income)			
5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)			
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%			
7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)			
8	Dividend income chargeable at DTAA Rates			

Schedu	General		
	Do you have any income under the head business and profession? ☐ Yes ☐ No (if "ye	s" pleaso	e enter following details)
1	Nature of Business or profession (refer to the instructions)	1	
2	Number of branches	2	
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☑ □ mercantile □	3	
4	Is there any change in method of accounting $(Tick) \ \square$ Yes	4	
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A	5	
(Method of valuation of closing stock employed in the previous year	6	
	a Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	6a	
	b Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	6b	
	c Is there any change in stock valuation method $(Tick)$ \square Yes \square No	6c	
	d Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A	6d	

Schedu	ule BP			Computation of income from bus	ines	s or profession				
		From b	ousiness or	profession other than speculative busin						
				re tax as per income and expenditure a					1	
		2a	Net profit of case of loss	or loss from speculative business includ	ed i	n 1 (enter –ve sign in	2a			
		2b	Net profit o	or Loss from Specified Business u/s 35A e of loss)	D ii	ncluded in 1 (enter –ve	2b			
					a	House property	3a			
					b	Capital gains	3b			
					\vdash	Other sources	3c			
			Income/ re	ceipts credited to profit and loss	ci	Dividend income	3ci			
		3		nsidered under other heads of income	other than Dividend					
			or chargea	ble u/s 115BBH	cii	income	3cii			
					u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3d	(Item No. A of Schedule VDA)			
		4	Profit or lo	ss included in 1, which is referred to in	sect	ion 44AE	4			
	ŀ	5	Income cre	edited to Profit and Loss account (inclu	ded	in 1) which is exempt				
	ŀ		a	Share of income from firm(s)	5a					
			b	Share of income from AOP/ BOI	5b					
			с	Any other exempt income (specify						
Z			-	nature and amount)	ci					
SIC				ii	cii					
FES				iii Total (ci + cii)	5cii		-			
ROJ		d Total exempt income 5d								
R P		6	Balance (1-	-2a-2b-3a-3b-3c-3d-4-5d)			•		6	
ME FROM BUSINESS OR PROFESSION					a	House property	7a			
ES			E	dabited to mark and loss account	b	Capital gains	7b			
SIN		7		debited to profit and loss account under other heads of income/ related	с	Other sources	7c			
BU				chargeable u/s 115BBH		u/s 115BBH (other				
MC					d	than Cost of	7d			
FR	ŀ	8	Total (7a)	7b + 7c+ 7d)		Acquisition)	8			
ME		9		rofit or loss (6+8)			0		9	
CO				on and amortization debited to profit a	nd lo	oss account			10	
INCO			_	on allowable under Income-tax Act		<u> </u>				
				Depreciation allowable under section 3	32(1)	(ii) and 32(1)(iia)	11i			
			ii	Depreciation allowable under section 3			11ii			
			iii	(Make your own computation refer Appe	ndix	-IA of IT Rules)	1111	L	11	
	-	12		Total (11i+11ii) oss after adjustment for depreciation (9)+1A				11iii 12	
	}			ebited to the profit and loss account, to			4.0		14	
		13	under secti	on 36			13			
		14	Amounts d under secti	ebited to the profit and loss account, to	the	extent disallowable	14			
		15		ebited to the profit and loss account, to	the	extent disallowable	15			
		16	Amounts d	ebited to the profit and loss account, to	the	extent disallowable	16			
		17		on 40A nt debited to profit and loss account of le under section 43B	the p	previous year but	17			
		18	Interest dis	sallowable under section 23 of the Micr	0, S1	nall and Medium	18			
		19		s Development Act, 2006 come under section 41			19			
		20	Deemed in	come under section 32AC/ 32AD/ 33AE .(3A)/ 33AC/ 72A	20					
		21		come under section 43CA			21			
		22		item of addition under section 28 to 44)R		22			
		44	rany omer	iciii di additidii diidel sectidii 20 to 441		44				

		23	Any other income not included in not allowable (including income fifrom firms in which company is a	rom salary, commiss			23					
		24	Total (13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 -	+ 19 + 20 + 21+22 +2	23)		<u> </u>	24				
		25	Deduction allowable under section	n 32(1)(iii)			25					
		26	Amount allowable as deduction u	nder section 32AC			26					
		27	Amount of deduction under section amount debited to profit and loss 35 or 35CCC or 35CCD is lower that it item 23)	s account (if amount	deductible	under section	7 27					
			Any amount disallowed under sec allowable during the previous yea		ding previ	ous year but	28					
			Any amount disallowed under sec but allowable during the previous	29								
			Any other amount allowable as de	30								
			Decrease in profit or increase in lo		DS adjusti	ments and	31					
			deviation in method of valuation of	of stock				32				
				otal (25+26+27+28+29+30+31)								
			Income (12+24-32)	anformation 3 - 3 - 3 - 3 - 3	h a ar 3			33				
		34	Profits and gains of business or pr	rotession deemed to								
			i Section 44AE		34i							
		35	Net profit or loss from business or (33+34)	-				35				
		36	Net Profit or loss from business business after applying rule 7A, 7 same figure as in 35)	B or 8, if applicable								
	В	Compu	tation of income from speculative business									
		37	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account									
		38	Additions in accordance with sect	ion 28 to 44DB				38				
		39	Deductions in accordance with section 28 to 44DB									
		40	Income from speculative business) (37+38-39)				B40				
	С	Compu	tation of income from specified bu	ısiness under sectior	1 35AD							
			Net profit or loss from specified b			count		41				
			Additions in accordance with sect					42				
		13	Deductions in accordance with sec (ii) 32 or 35 on which deduction u/s	ction 28 to 44DB (oth	her than de	duction under	section, (i) 35AD,	43				
		44	Profit or loss from specified busin	ess) (41+42-43)				44				
			Deductions in accordance with sec					45				
			Income from Specified Business) (C46				
		47	Relevant clause of sub-section (5) selected from drop down menu)		ich covers	the specified	business (to be	C47				
	D48	Income	chargeable under the hea 340+C46+A3d)	d 'Profits and	gains fr	om busines	s or profession'	D48				
	E	Intra h	ead set off of business loss of curre									
		Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Busines off	s loss set	Business income remaining after set off					
				(1)	(2)	=	(3) = (1) - (2)					
		i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A36)							
		ii	Income from speculative business	(B40)								
		iii	Income from specified business	(C46)								
		iv	v Total loss set off (ii + iii)									
		v	Loss remaining after set off (i -	- iv)								

Sche	dule	CYLA Details of Incom	me after set-off	of current years losses			
	Sl.		Income of current year	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than	set off Total loss	Income remaining after
		Loss to be adjusted ->	1	2	3	*	= (1-2-3-4)
	i	House property					
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
Ę	iii	Speculation income					
ME	iv	Specified business					
LSU	v	income u/s 35AD Short-term capital					
SADJ	vi	gain taxable @15% Short-term capital					
AR LOS		gain taxable @ 30% Short-term capital gain taxable at					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	viii	applicable rates Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA					
CO	ix	Long term capital gain taxable@ 10%					
	x	Long term capital gain taxable @ 20%					
	xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA					
	xii	Net Income from Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
	xiii	Profit from owning and maintaining race horses					
		Total loss set-off					
	XV	Loss remaining after se	et-off				

Sche	dule P	Pass Thro	ough Income o	letails from bu	ısines	s trust or investment	fund as per	r section 115U	A, 115UB	
S THROUGH	SI.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
\sim	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PA	1.	(drop down to			i	House property				
		be provided)			ii	Capital Gains				

						A	Short term		1	
							Section			
						ai	Section 111A			
						_ ••				
						aii	Others			
						В	Long term			
						bi	Section			
							112A			
						bii	Sections			
							other than			
						0.1	112A			
					iii		er Sources		1	 1
					a		dend			
					b	Oth				
					iv		ome claimed to	be exempt		 T
						A	u/s			
							•••••			
							l row to be			
							vided			
	2.				i		se property			
					ii	Cap	ital Gains			
						A	Short term			
						ai	Section			
							111A			
						aii	Others			
						В	Long term			
						bi	Section			
							112A			
						bii	Section			
							other than			
							112A			
					iii	Oth	er Sources			
						A	Dividend			
						В	Others			
					iv	Inco	ome claimed to	be exempt		
						A	u/s			
						Add	row to be			
						prov	vided			
NOTE		Please refer to	the instruction	ons for filling	out th	is sch	edule.			

Sch	edule SI	Income chargeable to tax at special rates [Please see inst	ruction]			
	Sl. No.	Section	Ø	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares where STT paid)		15		
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)		30		
E	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)		10		
RATE	4	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)		10		
, R /	5	115AD (LTCG for FII on securities)		10		
ΑI	6	112 (LTCG on others)		20		
SPECIAI	7	112A(LTCG on equity shares/units of equity oriented fund/units of business trust on which STT is paid)		10		
S	8	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA				
	9	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA				
	10	115AC (Income by way interest received by non- resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)		10		

11	115AC (Income by way of Dividend received by non- resident from bonds or GDR purchased in foreign currency	10		
12	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	30		
13	115BBJ (Winnings from online games)	30	(2aii of Schedule OS)	
14	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset			
	(i) Income under head business or profession	30	(3d of Schedule BP)	
	(ii) Income under head Capital Gain	30	(C2 of Schedule CG)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	60		
16	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)		(part of 2c of schedule OS)	
17	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA		(part of 2e of schedule OS)	
18	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	15		
19	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	30		
20	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	10		
21	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	20		
22	Pass through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A	10		
23	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates		(2d of schedule OS)	
	Total			

Schedule	Accreted income under section 115TD (Applicable if exc 10(23C)(vi)/10(23C)(via)	emption	claimed u/s	11 an	d 12 or 10(2	3C)(iv)/10(23C)(v)/			
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified p	erson		1					
2	Less: Total liability of specified person			2					
3	Net value of assets (1 – 2)			3					
	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i							
4	FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration/approval u/s 12AB or 2 nd Proviso to section 10(23C), if benefit u/s 11 and 12 or section 10(23C)(iv)/10(23C)(vi)/10(23C)(vi)/10(23C)(via) respectively not claimed during the said period								
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)								
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv							
5	Liability in respect of assets at 4 above			5					
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]			6					
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal	rate		7					
8	Interest payable u/s 115TE			8					
9	Specified date u/s 115TD			9					
10	Additional income-tax and interest payable			10					
11	Tax and interest paid			11					
12	Net payable/refundable (10 - 11)		12						
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	e 1 I/YYYY		Date 2 AM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY				
14	Name of Bank and Branch								
15	BSR Code								
16	Serial number of challan								
17	Amount deposited								

Sche	Schedule 115BBI Specified income of certain institutions under section 115BBI									
		Particulars		Amount						
	1	Deemed income referred in Explanation 4 to the third proviso to section 10(23C) or section 11(3)	1	<total 15="" col="" i="" of="" schedule=""></total>						
	2	Deemed income referred under section 11(1B)	2	< Total of Col 8 of Schedule D>						
	3	Income which is deemed to be income under the twenty-first proviso to Section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(c)	3							
	4	Income which is not exempt under section $10(23C)$ on account of violation of clause (b) of the third proviso of section $10(23C)$ or which is not excluded from the total income as per section $13(1)(d)$	4							
	5	Income which is not excluded from the total income as per section 11(1)(c)	5							
	6	Income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of this Act;	6							
	7	Total (total of Sl. No. 1 to 6)	7							

RELIEF	Sl.	Code (Dropdown to be provided in the e-filing		Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
AX		utility)		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
TO	1		i	House Property					
IAAN			11	Business or Profession					
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
ISI				Total					
100	2		i	House Property					
FROM				Business or Profession					
ME			iii	Capital Gains					
[00]			iv	Other sources					
				Total					

Sche	dule T	IR Summar	y of tax relief claimed f	for taxes paid outside India (avai	lable only in case of residen							
E	1	Details of Tax	relief claimed									
D OUTSIDE		Country Cod	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FS in respect of each country							
X PAID		(a)	(e)									
FOR TAX INDIA												
ŒF			Total									
RELIEF	:											
TAX	3	(Part of total of 1(d)) Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) 3										

Whether any tax paid outside India, on which refunded/credited by the foreign tax authority dur					tax relief was allowed in India, has been ing the year? If yes, provide the details below Yes/No					
a Amount of tax refunded				n	Assessment year in which tax relief allowe India	ed in				
NOTE Please refer to the instructions for filling out thi					chedule.					

Sch	adu	le FA	Details	of Foreign	Assets and	Income	from an	v cource	outci	da India								
SCI		Details of	Foreign D	epository A	Accounts hel							me d	luring tl	ne calen	dar y	ear ending		
	Sl No	as on 31st Country name	code	Name of financial institutio	Address of financial institutio n	ZIP code	Accoun		us	Acco		ba di	Peak llance uring period	Closin balan	ce	Gross interest paid/credited to the account during the period		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8))	(9)))		(10)		(11))	(12)
	(i)																	
	(ii)																	
	A2		Foreign C		ccounts held	(inclu	ding any	beneficia	l inte	nterest) at any tim		ne du	ring the	calend	lar ye	ar ending as		
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	SI No	Country name	Country code	Name of financia institutio	l of	code	Account	Status	oj	ccount pening date	Pea balan durii the per	ice ng	Closing balance	e paid acc (d pro natu intere	d/cred ount (per rop do vided are of a est/divi	amount lited to the during the riod own to be specifying amount viz. idend/procee in sale or of financial		
GN 2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9) (10))	(11)	asse		ner income) 12)		
REI	(i)		` ,										•		Ì			
ř FO	(ii)																	
s of	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2023																
DETAIL	Sl No	Country name	Country code	Name of entity		ZIP	Nature of entity	Date of acquiring the interest	n va	Initial alue of the vestmen t	Pea value investi t duri the per	of nen ng	Closin g value	amount paid/credite d with respect to the holding during the in		Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12	2)	(13)		
	(i)					1			_									
	(ii)																	
	A4				Insurance (g as on 31 st				itraci	t held (i	ncludin	ig an	y benefi	icial int	erest)	at any time		
	Sl No	Country name	Country code	institutio	of financial on in which ce contract neld	fin	dress of ancial titution	ZIP code	Dat	e of con	sur		The cash val surrender va the contra		pai with the	otal gross amount d/credited n respect to e contract ng the period		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)		(7)			(8)			(9)		
	(i)																	
	(ii)																	

Sl	ending a Countr					Nature of	Dat	e	Total	Income	Nature	Income	taxable an	nd offer	
	y Name	_				Interest-	sinc		Investment	accrued from	of		n this retu		
	and			the Ent	ity	Direct/	hele	d ((at cost) (in	such Interest	Income	Amoun	Schedule	Iter	
	code]	Beneficial			rupees)			t	where	num	
						owner/							offered	of	
					В	Beneficiary								sched	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)		(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	
(i)															
(ii)															
				roperty	held (including	any bei	nefici	al interest)	at any time duri	ing the ca	alendar y	ear ending	g as on	
	31 st Dece			C 41			D.4.	. e	TD-4-1	T	NT-4	Ι τ	41-1	. 1 . 66.	
	Countr y Name	-	Addres			nership- Direct/	Date acquisi		Total Investment	Income derived from	Nature of		taxable an n this retu		
110	y Name and	Code	Prop	erty		neficial	acquisi		(at cost) (in	the property	Income		Schedule	rn Ite	
	code					wner/	11	(rupees)	the property	licome	t	where	num	
						neficiary							offered	of	
						•								sched	
(1)	(2a)	(2b)	(3	3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	
(i)															
(ii)															
D		-		pital Ass	et hel	d (includi	ng any	benef	ficial interes	st) at any time d	uring the	calenda	r year end	ling as	
CI	31st Dece			C A 4			Data	- e	T ()			l T		1 00	
Sl No	Country Name	Zıp Code	Nature	of Asset		nership- Direct/	Date of		Total	Income	Nature of		ne taxable and offere in this return		
INU	and code					neficial	dequisi	ition Investment (at cost) (in		Income		Schedule	Ite		
					_	wner/	l '		rupees)	the asset	licome	Amount	where	num	
						neficiary			. upces,						
													offered	01	
						iciiciui y							onerea	_	
(1)	(2a)	(2b)	(.	3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	sched	
(1) (i)	(2a)	(2b)	(3	3)			(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		sched	
(i)	(2a)	(2b)	(3	3)			(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		sched	
(i) (ii)						(4)		nority		(7)			(10)	sched (11	
(i) (ii) E	Details o	of acco	ount(s) in	n which	you l	(4) nave signi nber, 202	ng auth	hich l	held (includes has not been	uding any bene n included in A	ficial inte	rest) at a	(10)	sched (11	
(i) (ii) E	Details of calendar	of according year	ount(s) in ending as	n which s on 31st	you l Decer Zip	(4) nave signi mber, 202. Name	ng auth	hich l	held (includes not been been been been been been been bee	uding any bene n included in A Whether	ficial inte	rest) at a	(10) any time of yes, Incomp	sched (11	
(i) (ii) E	Details o calendar Name of Institut	of according to the lion	ount(s) in ending as Address of the	n which s on 31 st Countr y Name	you l Decer Zip	nave signi mber, 2022 Name of the	ng auth 3 and w Accoun	hich l Ba	held (includes the has not been heak hear)	uding any bene n included in A Whether ncome accrued	ficial inte to D abov If (7) is yes,	rest) at a re.	(10) any time of the yes, Incoming this returns the control of the yes, Incoming th	sched (11	
(i) (ii) E	Details of calendar Name of Institut in which	of accoryear The lion the I	ount(s) in ending as Address of the nstitutio	on which is on 31st Country Name and	you l Decer Zip	nave signimber, 202. Name of the accoun	ng auth 3 and w Accoun t Numbe	hich l Ba Inve	held (includes the has not been held held held) Peak held held held held held held held held	uding any benennin included in A Whether ncome accrued is taxable in	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income	rest) at a re.	(10) any time of the second o	sched (11 during me offerin	
(i) (ii) E	Details of calendar Name of Institut in which account	of accoryear the Lion the Liu is	ount(s) in ending as Address of the	n which s on 31 st Countr y Name	you l Decer Zip Cod	nave signimber, 2022 Name of the account	ng auth 3 and w Accoun	hich l Ba Inve	held (includes not been held (includes held) held) held (includes held) held (includes held) held (includes held)	uding any bene n included in A Whether ncome accrued	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued	rest) at a re.	yes, Incomin this retuit Schedul where	sched (11 during me offerin e Ite	
(i) (ii) E	Details of calendar Name of Institut in which	of accoryear the Lion the Liu is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio	on which is on 31st Country Name and	you l Decer Zip Cod	nave signimber, 202. Name of the accoun	ng auth 3 and w Accoun t Numbe	hich l Ba Invo	held (includes not been been been been been been been bee	uding any benennin included in A Whether ncome accrued is taxable in	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the	rest) at a re.	(10) any time of the second o	during me offering little litt	
(i) (ii) E SI No	Details of calendar Name of Institut in which account	of accoryear the Lion the Liu is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n	country Name	you l Decer Zip Cod	nave signinber, 2022 Name of the account tholder	ng auth 3 and w Accoun t Numbe	hich l Ba Invo	held (includes the peak halance) in the ear (in upees)	uding any bene n included in A Whether ncome accrued is taxable in your hands?	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account	rest) at a re. If (7) is	yes, Incoming this return this return where offered	during me offerin e Ite num c sche	
(i) (ii) E Sl No	Details of calendar Name of Institut in which account	of accoryear the Lion the Liu is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio	on which is on 31st Country Name and	you l Decer Zip Cod e	nave signimber, 2022 Name of the account	ng auth 3 and w Accoun t Numbe	hich l Ba Invo	held (includes not been been been been been been been bee	uding any benennin included in A Whether ncome accrued is taxable in	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the	rest) at a re.	yes, Incomin this retuit Schedul where	during me offerin e Ite num c sche	
(i) (ii) E SI No	Details of calendar Name of Institut in which account	of accoryear the Lion the Liu is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n	country Name	you l Decer Zip Cod e	nave signinber, 2022 Name of the account tholder	ng auth 3 and w Accoun t Numbe	hich l Ba Invo	held (includes the peak halance) in the ear (in upees)	uding any bene n included in A Whether ncome accrued is taxable in your hands?	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account	rest) at a re. If (7) is	yes, Incoming this return this return where offered	during me offering e Ite num c sche	
(i) (ii) E SI No (1) (i) (ii)	Details of calendar Name of Institut in which account held (2a)	of accoryear the lion the I	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n	Country Name and Code	you l Decer Zip Cod e	nave signimber, 2022. Name of the account holder (4)	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r	hich l Ba Invo dur ye ru	held (includes a possible of the content of the con	uding any bene n included in A Whether ncome accrued is taxable in your hands?	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8)	rest) at a re. If (7) is Amoun	yes, Incoming this retuit Schedul where offered (10)	during me offerin e Itenum sche	
(i) (ii) E SI No (1) (i) (ii)	Details of calendar Name of Institut in which account held (2a)	of accoryear The lion the I t is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n	Country Name and Code (3a)	you l Decer Zip Cod e	nave signimber, 2022. Name of the account holder (4)	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r	hich I Ba Invo dur ye ru	held (includes the peak halance) in estment ring the ear (in supees) (6)	uding any bene n included in A Whether ncome accrued is taxable in your hands?	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8)	rest) at a re. If (7) is Amount (9)	yes, Incoming this retuit Schedul where offered (10)	me offeirn e Ite nun sche	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institutin which account held (2a)	of accoryear the lion the I t is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a)	you h Decer Zip Cod e (3b)	nave signinber, 2022 Name of the account holder (4) ws of a co	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5)	hich I Ba Invo dur ye ru utside and ess of	held (includes a property of the content of the con	uding any beneficial included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes,	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar: If (8) is	yes, Incoming the control of the con	during me ofform e Ito num sche (1)	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institute in which account held (2a) Details of Country Name and	of accoryear The Joint the It is	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a)	you h Decer Zip Cod e (3b)	nave signimber, 2022 Name of the accountholder (4) ws of a column Name and address	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5)	hich I Ba Invo dur ye ru utside and ess of	held (includes a position where the content of the	uding any beneficial included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) If (8) is yes, Income	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar: If (8) is	yes, Incomin this return offered (10) yes of settlon yes, Incomin this return	during me offerin e Ite nun sche (1)	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institute in which account held (2a) Details of Country Name	of accoryear The lion the I t is I trust Zip Cod	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a) d under and Name and Sofi ad	you I Decer Zip Cod e	nave signimber, 202. Name of the account tholder (4) ws of a constant Name and address of	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5)	hich I Ba Invo dur ye ru utside and ess of	held (includes a position where the content of the	uding any benefin included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is taxable in your	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes, Income derived	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar If (8) is	yes, Incoming the control of the con	during me offerin e Ite num e (1)	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institute in which account held (2a) Details of Country Name and	of accoryear The lion the I t is I trust Zip Cod	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a) d under and Name and Sofi ad	you h Decer Zip Cod e (3b)	(4) nave signinber, 2022 Name of the accountholder (4) ws of a connadaddress of	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5) untry o	hich I Ba Invo dur ye ru utside and ess of	held (includes a position where the content of the	uding any beneficial included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes, Income derived from the	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar If (8) is	yes, Incomin this return offered (10) yes of settlon yes, Incomin this return	during me offerin e Ite num l sche	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institute in which account held (2a) Details of Country Name and	of accoryear The lion the I t is I trust Zip Cod	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a) d under and Name and Sofi ad	you I Decer Zip Cod e	nave signimber, 202. Name of the account tholder (4) ws of a constant Name and address of	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5) untry o	hich I Ba Invo dur ye ru utside and ess of	held (includes a position where the content of the	uding any benefin included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is taxable in your	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes, Income derived	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar If (8) is	yes, Incoming the control of the con	during me ofform e Ito num c sche (1)	
(i) (ii) E Sl No (ii) (ii) (ii) F Sl No	Details of calendar Name of Institute in which account held (2a) Details of Country Name and	of accoryear The lion the I t is I trust Zip Cod	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a) d under and Name and Sofi address and true and	you I Decer Zip Cod e	nave signimber, 202. Name of the account tholder (4) ws of a constant Name and address of	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5) untry o	hich l Ba Invo dur ye ru utside and ciarie	held (includes a position where the content of the	uding any benefin included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is taxable in your	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes, Income derived from the	rest) at a re. If (7) is Amount (9) eneficiar If (8) is Amount	yes, Incoming the control of the con	during me offerin e Ite num e (1)	
(i) (ii) E Sl No (i) (ii) F Sl	Details of calendar Name of Institution which account held (2a) Details of Country Name and code	of accoryear the lion the I t is I trust Zip Cod e	ount(s) in ending as Address of the nstitutio n (2b)	Country Name and Code (3a) d under and Name and Sofi address and true and	you I Decer Zip Cod e (3b)	nave signimber, 2022 Name of the account tholder (4) ws of a color Name and address of Settlor	ng auth 3 and w Accoun t Numbe r (5) Name addre Benefic	hich l Ba Invo dur ye ru utside and ciarie	r held (includes not been peak alance/ in estment ring the ear (in upees) (6) e India, in value of the position held	uding any beneficial included in A Whether income accrued is taxable in your hands? (7) which you are a Whether income derived is taxable in your hands?	ficial inte to D abov If (7) is yes, Income accrued in the account (8) trustee, be If (8) is yes, Income derived from the trust	rest) at a see. If (7) is Amount (9) eneficiary (18) is Amount (9)	yes, Incoming the control of the con	sche (1 during me offi num sch (1 cum te li num te li num te sch	

G	income ı	ınder	the head business or profession						
Sl No	Countr y Name and code	Zip Cod e	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	in	es, Income this retur Schedule where offered	n
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9
(i)									
(ii)									

Schedule SH SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY If you are an unlisted company, please furnish the following details;-Details of shareholding at the end of the previous year Name of the Residential Type of **PAN** Date of Number of Face value per Issue Price per Amount shareholder status in India share acquisition shares held share share received Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year Name of the Residential Type of Date of Number of **Application** Face value per share Proposed issue price applicant status in share application shares money applied for India received Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year Residential Type | PAN Name of Number **Face Issue** Amount Date of Date on Mode of In case of the status in of shares Price received acquisition which cease cessation transfer, value of shareholder India share held to be PAN of the per per shareholder shareholder share share

Part-B

art B –	TI	STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2024										
		cable if exemption is being claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)	(via) and									
where I		not applicable.	T									
1			1									
		Voluntary Contributions and anonymous donations taxable u/s 115BBC (Other than Corpus) [(C-Ai-Bi+E) of Schedule VC] Voluntary contribution forming part of corpus other than anonymous donations taxable u/s 115BBC [(A+B) of schedule Part B-TI-Part BI] Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Aia +Bia of Schedule VC] B Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC] Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 above (10 of Schedule AI) Amount eligible for exemption under section 11(1)(c) A Approval number given by the Board B Date of approval by board Income to be applied [1+3-4-(A1-A1a of Schedule A)] Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:- Amount applied during the previous year [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i. e. not from the income of prev. year] [Sr.no. G from Schedule A] ii Repayment of loan during the previous year- [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J] Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested										
2			2									
4	1 <i>D)</i> 0j	schedule I dit D-11 -1 dit D1]	4									
		Corpus representing donations received for the renovation or repair of places										
	A		A									
		[Aia +Bia of Schedule VC]										
			В									
3			3									
	(10 of S	chedule AI)	4									
4	Amoun	t eligible for exemption under section 11(1)(c)	4									
			A .									
	A	Approval number given by the Board	A									
			В									
	В	Date of approval by board	ь									
		<u>I</u>	5									
5	Income	to be applied [1+3-4-(A1-A1a of Schedule A)]	3									
	Applies	ation of income for charitable or religious nurposes or for the stated objects of the										
6		itution:-										
	i		6i									
	ii		6ii									
	ii Repayment of loan during the previous year- [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J] Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested											
	Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one or more of the forms or modes specified in Section 11(5) maintained											
	specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or											
	deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J] Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation											
	iv	to section 11(1) < Col 2 of Schedule D for FY 2023-24>	6iv									
		A If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the	A									
		Assessing Officer										
		B If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)	В									
		Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the										
	*7	stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of	6v									
	v	third proviso to section $10(23C)$ (restricted to maximum of 15% of $[(1 + 3 \text{ above}) - (A1 \text{ of Schedule})]$	UV									
		A)]}										
		Amount in addition to amount referred to in (v) above, accumulated or set apart for specified										
		purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are	<i>(:</i>									
	vi	fulfilled) < Col 2 of Schedule I for FY 2023-24>	6vi									
		A If (vi) above applicable, whether option in Form No. 10 has been furnished to the	A									
		Assessing Officer B If yes, date of furnishing Form No. 10 (DD/MM/YYYY)	В									
	vii	Total [6i+6ii+6ii+6iv+6v+6vi]	6vii									
7	Additio		U 111									
-	i	Income chargeable under section 115BBI < Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>	7i									
		Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous										
	ii	donation (Diii of schedule VC)	7ii 7iii									
	iii Income chargeable under section 12(2) iv Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s. 40(a)(ia)											
	v	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s. 40A(3)/(3A)	7v									
	vi	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A	7vi									
	L	to section 11(1) read with section 80G(2)(b)										
		Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A	7vii									
	vii		/ VII									
		to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)										
	vii viii ix		7viii 7ix									

9	[(5-6vii)		er Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via)	9				
	Income	not formi	ng part of item No. 9 above					
	i		from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	10i				
	ii	Profits a	and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]	10ii				
	iii		under the head Capital Gains					
		A	Short term	10iiiA				
		Ai	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Ai				
		Aii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Aii				
		Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	Aiii				
10		Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	Aiv				
		Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii+ Aiv) (enter nil if loss)	Av				
		В	Long term	10iiiB				
	Bi Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG) Bii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)							
		Biii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Biii				
		Biv	Total Long-term (Bi + Bii + Biii) (enter nil if loss)	Biv				
		C	Sum of Short-term/Lon g-term capital gains (Av+Biv) (enter nil if loss)	10iiiC				
		D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	10iiiD				
		E	Total capital gains (C + D)	10iiiE				
	iv	Income	from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	10iv				
	v	Total (1	0i + 10ii + 10iiiE + 10iv)	10v				
11	Gross in	ncome (9+	10)	11				
12	Losses o	of current	year to be set off against 10v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)	12				
13	Total In	come (11-	12)	13				
14								
15								
16	Specifie 115BBI)		chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No. 7 of Schedule	16				
17	Aggrega	ate Incom	e to be taxed at normal rates (13-14-15-16)	17				

10(23A	10(23	3AAA)	if exemption is being claimed under section 13A/13B an, 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46),	3C)(iiiab)			
1	10(23	DA), 10	gible for exemption under sections 10(21), 10(23A) 0(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46) Schedule IE-1]			1	
2	10(23	C)(iiiad	gible for exemption under section 10(23A), 10(23d), 10(23C)(iiiae), 10(24) [{Sl. No. 1 of Schedule IE-2 (Fedule IE-3} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-4}]			2	
3	Incon	ne char	geable under section $11(3)$ read with section $10(21)$ [Total	al of Col 1	5 of Schedule I]	3	
4	Incon	ne clain	ned as exempt under section 13A in case of a Political Pa		4		
5		ne clain ule ET	ned as exempt under section 13B in case of an Electoral	m No. 6vii of	5		
6	Volum	ntary C	ontribution received during the year [applicable for sect	and 13B]	6		
	Heads	s of Inc					
	i	Incon	ne from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if l		7i		
	ii	Profit	ts and gains of business or profession [as per item No. D	48 of sche	dule BP]	7ii	
	iii	Incon	ne under the head Capital Gains				
7		A	Short term (A5 of schedule CG)	7iiiA			
		Ai	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Ai			
		Aii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Aii			
		Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)				
		Aiv					
		Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii + Aiv)	Av			

			(enter nil if loss)			
		В	-	7iiiB		
		Bi	Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss)	Bi		
		ы	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	В		
		Bii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	Bii		
		Biii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Biii		
		Biv	Total Long-term (Bi + Bii + Biii) (enter nil if loss)	Biv		
		С	Sum of Short-term/Lon g-term capital gains (Av+Biv) (enter nil if loss)			
		D Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG) 7iiiD				
		E	Total capital gains (C + D)	7iiiE		
	iv	Incon	ne from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]		7iv	
	v	Total	(7i + 7ii + 7iiiE + 7iv)		7v	
8	Gross	s incom	e [6+7v-4-5] +3		8	
9	Losse	s of cu	rrent year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4	4xiv of Schedule CYLA)	9	
10	Gross	s Total	Income (8-9)		10	
11		ne whic lule SI)	th is included in 10 and chargeable to tax at special rates	s (total of col. (i) of	11	
12	Net A	gricult	ural income for rate purpose	12		
13	Aggre to tax	egate Ir	ole 13			
14	Incon	ne char	geable at maximum marginal rates		14	

		ble if total income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to section 10(23C) or section 13	0(10)						
		(26) of Part A-General, please the provide computation of Income chargeable under twenty Clause (23C) of section 10/Sub-section (10) of section 13							
1	Total Incor	ne for the previous year other than Sl. No. 7	Amount in Rs.						
2	Total Expe	nditure incurred in India, for the objects of the assessee	Amount in Rs.						
	Expenditur	re to be disallowed							
	(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed							
	(ii)	Expenditure from any loan or borrowing							
	(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and							
	(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.							
	(v)	Capital expenditure							
3	(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40							
	(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 of section 40A	Amount in Rs.						
	(viii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with section (3A) of section 40A							
	(ix)	Any other disallowance	Amount in Rs.						
	(x)	$Total\ expenditure\ to\ be\ disallowed\ (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(vii)+(ix)$	Amount in Rs.						
ļ	Additions		·						
	(i)	Income chargeable under section 115BBI < Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>	Amount in Rs						
	(ii)	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (Diii of schedule VC)							
	(iii)	(iii) Income chargeable under section 12(2)							
	(iv)	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of	Amount in Rs						

•		Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)						
	(v)	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of	Amount in Rs					
		Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)						
	(vi)	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act	Amount in Rs					
_	(vii)	Total Additions (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	Amount in Rs					
5		geable u/s 11(4)	Amount in Rs					
6	Sum total [(]	[-2+3x)+4vii+5]	Amount in Rs					
7	Income not f	forming part of item No. 6 above						
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	Amount in Rs.					
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D48 of schedule BP]	Amount in Rs.					
	iii	Income under the head Capital Gains						
		a Short term						
		ai Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		aii Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		aiii Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		aiv Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	Amount in Rs.					
		av Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.					
		b Long term						
		bi Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		bii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		biii Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.					
		biv Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	Amount in Rs.					
		C Sum of Short-term/Lon g-term capital gains (av+biv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.					
		d Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	Amount in Rs.					
		e Total capital gains (c + d)	Amount in Rs.					
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	Amount in Rs.					
	v	Total (7i+7ii+7iiie+7iv)	Amount in Rs.					
8	Losses of cui	rent year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)	Amount in Rs.					
9	Total Incom	e (6+7-8)	Amount in Rs.					
10		come which is included in 9 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)						
11	Anonymous	Anonymous donations, included in 9, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)						
12	Income char	Amount in Rs.						
13	Income char section 13 (9	geable to tax u/s twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of -10-11-12)	Amount in Rs.					

Part 1	B – T	ITI	Computation of tax liability on total income			
	1	Tax pay	able on total income			
		a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. (13 - 14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b		
		c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on [Sl. No. 15 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 11 of Part B3 of Part B-TI]	1c		
		d	Tax on income chargeable u/s 115BBI @30% on [Sl. No. 16 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 12 of Part B3 of Part B-TI]	1d		
		e	Tax at maximum marginal rate on Sl. No. 14 of Part B2 of Part B-TI	1e		
		f	Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (10-11) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1f		
		g	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+1e- 1f)	1g		
	2	Surchar	ge			
		i	25% of Column (ii) of "Income under section 115BBE" of Schedule SI	2i		
		ii	On [1g – (Column (ii) of "Income under section 115BBE" of Schedule SI)]			
		iii	Total (i + ii)	<u>.</u>	2iii	
	3	Health a	and Education cess @ 4% on (1g+ 2iii)		3	
	4	Gross ta	x liability (1g+ 2iii + 3)	4		
	5	Tax reli	ef			<u> </u>
		a				
		b	Section 91 (3 of Schedule TR)			
		с	Total (5a + 5b)		5c	
	6	Net tax	liability (4 – 5c)		6	
	7	Interest	and fee payable			
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a		
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b		
		c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c		
		d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d		
		e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)		7e	
	8	Aggrega	te liability (6 + 7e)		8	
	9	Taxes P				
TAXES PAID		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	9a		
XES		b	TDS (total of column 9 of 15B)	9b		
TA		c	TCS (total of column 7(i) of 15C)	9c		

		d	Self-Assessment Tax (fr	com column 5 of 15A)		9d							
		e	Total Taxes Paid (9a+ 9	9b+ 9c+ 9d)				g	Oe				
	10	Amount	payable (Enter if 8 is gre	ater than 9e, else enter	0)			1	10				
	11	Refund (If 9e is greater than 8) (r	efund, if any, will be di	rectly credite	d into	the bank account)	1	11				
	12	Net tax p	ayable on 115TD incom	e including interest u/s	3 115TE (Sr.)	10. 12	of Schedule 115TD) 1	12				
	13	Do you h	ave a bank account in Ir	ndia				Select `	ect Yes or No				
		a) Details	s of all Bank Accounts he	eld in India at any tim	e during the	previ	ous year (excluding	dorma	nt accounts)				
		SI.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Nu	mber			account ided by e-filing utility)				
		i	i										
\mathbf{T}		ii											
BANK ACCOUNT		Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c 2) In case of multiple accounts, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return											
ANK		Rows can be added as required											
B		b) Non- 1	residents, may, at their o	ption, furnish the deta	ils of one for	eign l	bank account:						
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of	the Bank		Country of Lo	cation	IBAN				
	14	Do you a (i) hold, a entity) lo (ii) have (iii) have [applicab	-	□ Yes □ No									

15	TAX PAY	AX PAYMENTS etails of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax												
A	Details of	payments of A	Advance Tax a	nd Self-A	ssessr	nent Tax								
. ×	Sl No	BSR C	Code	Date of	Depo	sit (DD/M	M/YYYY)	Se	rial Num	ber of Challa	an	Amount (Rs)		
SELF IT TAX	(1)	(2))			(3)				(4)		(5)	
S	i													
	ii													
75	iii													
ADVANCE/ SI ASSESSMENT	iv													
A S	<i>NOTE</i> ▶	Enter the t	otals of Advanc	e tax and S	Self-A	ssessment i	ax in Sl N	o. 9a	ı & 9d of 1	Part B-TTI			•	
В	Details of	Tax Deducted	l at Source (TI	OS) on Inc	ome	As per Fo	rm 16 A i	ssue	d or Forn	n 16B/16C/16	6D/16E fur	nished by	Deduct	or(s)]
Sl	TDS	PAN/Aadhar	TAN of the	Unclain	Inclaimed TDS of the current					dit being cla	imed this	Corresp	onding	TDS
No	credit	of Other	Deductor/	TDS bro	ught	Finan	cial Year			only if corres		Rece		credit
	relating	,	PAN/Aadhar	forward	(b/f)	(TDS Ded				s being offer		withdi		being
	to self /	TDS credit	of Tenant/			the FY	72023-24)	this year), not applicable if			offe	red	carried
	other	related to	Buyer							deducted u/			ı	forward
	person	other		Fin.		Deducted			Claimed			Gross	Head	
	[other	person)		Year in	b/f	in own	the hand			of any other		Amount	of	
	person			which		hands	any oth		hands	per rule 37			Income	
	as per			deducted			person			applica	able)			
	rule						per ru							
	37BA(2)]						37BA(2) (if applicable)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	<i>(</i>	(9)	(10))	(11)	(12)	(13)
				_			Income '	TDS		Income TDS	S PAN/		_	
						Aadhaar								

i												
C	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
TCS	SI. No.		Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaim brought (b) Fin. Year in which collected	forward (f) Amount b/f	Year (taduring the Collected in own hands	e current fin. ax collected e FY 2023-24) Collected in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed hands of her per	l in the f any erson as 37-I (if	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)		(8)
										TCS	PAN	
	i											
		NOTE ➤ Please enter total of column (7)(i) in 9c of Part B-TTI										

VERIFICATION

Ι,	son/ daughter of	, solemnly declare that to the best of				
my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is						
in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.						
further declare that I am making this return in my capacity as(drop down to be provided) and I am also						
competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number(if allotted) (<i>Please see instruction</i>).						
I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement						
have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)						
Place	Date	Sign here → ".				

[Notification No. 24/2024/F. No. 370142/1/2024-TPL(Part-1)]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Note:- The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 83(E), dated the 31st January, 2024.